14.05.2012 की स्थिति के अनुसार

वर्ष 2004-2005 तथा 2005-2006
के लिए
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की पहली रिपोर्ट पर
की गई कार्रवाई
का ज्ञापन

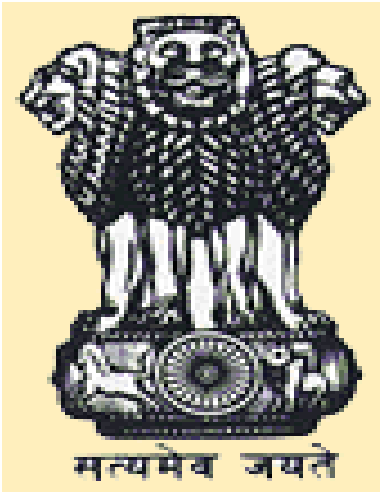

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय

अध्याय-1

अध्याय-1 : आयोग का संगठनात्मक ढांचा और कार्य चालन

सिफारिश सं. 1 से 4

1. रिक्त पदों की बहुत बड़ी संख्या के कारण आयोग को काम करने में भीषण समस्याओं का अनुभव हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को, जो संयुक्त संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में नियंत्रक प्राधिकरण हैं और सचिवालयिक पदों के सम्बन्ध में संवर्ग प्राधिकरण है, इन रिक्त पदों को भरने के लिए सुनियोजित प्रयास करने की सलाह दी जाती है, ताकि आयोग अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन प्रभावकारी ढंग से कर सके। आयोग जनजातीय कार्य मंत्रालय से भी अतिरिक्त स्टाफ मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता है, ताकि आयोग अपने विस्तारित विचारणीय विषयों के बारे में कारगर ढंग से कार्रवाई कर सके **{पैराः 1.9.4}।**
2. आयोग के भुवनेश्वर, रायपुर, रांची और शिलांग स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों के स्तर को निदेशक के स्तर तक ऊंचा उठाने की अविलम्ब आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(i)}**।
3. आयोग के छः क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक कर्मचारियों (कार्यालयाध्यक्षों से भिन्न) की मौजूदा संख्या को बढ़ाने के लिए भी, जैसाकि नीचे की सारणी में स्तम्भ 4 में दिया गया है, अविलम्ब आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(ii)}**।
4. आयोग के छः में से पांच क्षेत्रीय कार्यालयों का अधिकार–क्षेत्र इतना बड़ा है कि आयोग को उन क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकार–क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों, सरकार की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का उपयुक्त रूप से मानीटरन करना और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की जांच करने के लिए वहां का दौरा करना असम्भव प्रतीत हो रहा है। इसलिए, पांचवीं अनुसूची के राज्यों में आयोग की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग के चार अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, जिनमें से एक–एक कार्यालय हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), शिमला (हिमाचल प्रदेश) और अहमदाबाद (गुजरात) में हो, निम्नलिखित न्यूनतम कर्मचारियों के साथ, स्थापित किए जाने की अविलम्ब और वास्तविक आवश्यकता है **{पैराः 1.13.1(iiii)}**।

की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न पदों के संवर्ग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (एम/एसजेएंडइ) राष्ट्रीय अनुसूचित

जाति आयोग (एनसीएससी) द्वारा नियंत्रित होते हैं| चूंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) आयोग के किसी संवर्ग को नियंत्रित नहीं करता है, अत: वहां की रिक्तियां जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नहीं भरी जा सकतीं| तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनसीएसटी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अलग संवर्ग के सृजन हेतु मुद्दे को डीओपीटी के साथ उठाया है| डीओपीटी ने कुछ मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी हैं| मामले पर पुनर्विचार के लिए स्पष्टीकरणों/टिप्पणियों को पहले ही डीओपीटी के पास भेज दिया गया है| डीओपीटी को एनसीएसटी के साथ जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अलग संवर्ग के संबंध में आवश्यक आदेश जारी करने के अनुरोध के साथ दिनांक 17.09.2010, 29.10.2010, 10.01.2011, 07.02.2011, 19.04.2011, 17.11.2011 तथा 30.01.2012 को स्मरण कराया गया है| एनसीएसटी ने समय-समय पर अनुसूचित जाति आयोग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ भी संयुक्त संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए मामले को उठाया है|

अतिरिक्त जनशक्ति तथा एनसीएसटी के अतिरिक्त कार्यालयों को स्थापित करने के संबंध में, अनुसूचित जाति कल्याण समिति (14वीं लोकसभा) की तैतीसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में आयोग का सुदृढ़ीकरण करके 481 पदों तथा एनसीएसटी में तत्संबंधी अवसंरचना के सृजन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) को एक प्रस्ताव भेजा गया था तथा अप्रैल, 2011 में निधियन पद्धति और प्रविधियों के बारे में एनसीएसटी तथा इस मंत्रालय के आईएफडी के अधिकारियों के साथ मंत्रालय में एक बैठक आयोजित की गई थी| बाद में, एनसीएसटी ने किए जाने वाले व्यय को गैर-योजना से करने का प्रस्ताव किया और इस प्रस्ताव के साथ मुद्दे को आईएफडी में भेज दिया गया था| अत:, आईएफडी ने गैर-योजना के तहत निधियन पद्धति सहित कुछ सर्वेक्षण किए तथा तदनुसार दिनांक 19.11.2011 को आवश्यक निर्णय लेने के लिए फाइल एनसीएसटी के पास भेज दी| एनसीएसटी से प्रतिक्रिया अभी प्रतीक्षित है| एनसीएसटी को दिनांक 27.01.2012 को प्रस्ताव की प्रस्तुति के लिए स्मरण कराया गया है| उत्तर प्रतीक्षित है|

अध्याय-2

अध्याय-2 अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिए संवैधानिक उपबंध

सिफारिश सं. 1

अनुच्छेद 164(1) को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए, ताकि इस अनुच्छेद के उपबन्धों को झारखंड और छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित राज्यों पर और ऐसे सभी अन्य राज्यों पर लागू किया जा सके जिनमें पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र हों, और यह उपबन्ध किया जा सके कि इनमें से प्रत्येक राज्य में एक जनजातीय मंत्री होगा, जिसे, अतिरिक्त रूप से, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का या किसी ऐसे अन्य कार्य का भार भी दिया जा सकता है **{पैराः 2.2.4(i)}**।

की गई कार्रवाई

संविधान के अनुच्छेद 164(1) में दिए गए प्रावधान दिनांक 13.06.2006 के संविधान (94वां संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ के नवसृजित राज्यों पर भी लागू कर दिए गए हैं|

सिफारिश सं. 2(क) से 2 (ख)

2(क) संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (6) को यह उपबन्ध करने के लिए संशोधित किया जाए कि आयोग द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(टों) को उनके प्रस्तुत किए जाने के बाद तीन महीनों के भीतर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा और उसके साथ संघ से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई तथा किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई हो तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के अन्दर संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा **{पैरा 2.3.2 के नीचे की सारणी की क्रम संख्या 1 का स्तम्भ 3}**।

2.(ख) अनुसन्धान के अनुच्छेद 338क के खंड (7) को भी यह उपबन्ध करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग ऐसे विषय से सम्बन्धित हो, जिसका किसी राज्य सरकार से सम्बन्ध है, तो ऐसे प्रतिवेदनों की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे तीन महीनों के अन्दर राज्य के विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगा और राज्य से सम्बन्धित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन ऐसी प्रस्तुति के छः महीनों के भीतर विधान–मंडल के समक्ष रखवाएगा **{पैरा 2.3.2 के नीचे की सारणी की क्रम संख्या 2 का स्तम्भ 3}**।

संख्या 2 (क) तथा 2 (ख) पर की गई कार्रवाई

संसद में यथाशीघ्र रिपोर्टें पेश करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं| आवश्यक कार्रवाई में गई अभिकरण शामिल होते हैं| इस बीच, समय संसद के प्रत्येक सदन में आयोग की रिपोर्टें रखने के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु मंत्रालय द्वारा कदम उठाए गए हैं| इसिलिए, यह आवश्यक नहीं माना गया कि संविधान के अनुच्छेद 338 क के खण्ड 6 तथा 7 में संशोधन किया जाए| राज्यों को संविधान के खंड 7 के अनुच्छेद 338 क के तहत शीघ्र कार्रवाई करने की पहले ही सलाह दी गई है।

अध्याय-3

अध्याय-3 : अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के विचार निम्नानुसार हैं:

सिफारिश सं. 1

गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को सलाह देनी चाहिए कि 1991 से 2001 तक के दशक में कर्नाटक(80.82 प्रतिशत) और नागालैंड(67.23 प्रतिशत) राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारणों का पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन कराया जाए **{पैराः 3.2.1}**।

की गई कार्रवाई

(क) कर्नाटक :

कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1991 की जनगणना में 19.16 लाख से 2001 की जनगणना में 34.64 तक निरपेक्ष संख्या में बढ़ी है| प्रतिशतता की शब्दावली में 1991-2001 के दौरान दशकीय वृद्धि 80.8 प्रतिशत है| 2001 की जनगणना के अनुसार बड़े स्तर पर यह पाया गया है कि नायडा, नायक, चोलीवाला नायक ..... (क्रम संख्या 38) राज्य में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियां हैं तथा अनुसूचित जनजाति कुल जनसंख्या का 84.3 प्रतिशत है| नायकडा इत्यादि की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि तथा राज्य की अनुसूचित जनजाति की समग्र जनसंख्या में तीव्र वृद्धि 1991 की जनगणना के पश्चात नाईक, नायक, बेडा, बेडार, वाल्मिकि को नायकडा के उप समूहों के रुप में शामिल करने के कारण हुई है| पहली बार जनगणना 2001 में इनकी गणना की गई है| अत:, 1991 की जनगणना में नायकडा की जनसंख्या 1,370,455 से बढ़कर 2001 की जनगणना में 2,918,649 हो जाने के ये कारण हो सकते हैं|

कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नायकडा के उप समूहों के समावेश के कारण हुई है| ऐसा होने के कारण राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में वृद्धि हेतु कारण को सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन किया जाना प्रस्तावित नहीं है|

(ख) नागालैण्ड

नागालैण्ड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए "वाइटल रेट सर्वे, नागालैंड (वीआरएस)" नामक एक अध्ययन

परियोजना शुरु की गई है तथा इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पापुलेशन स्टडीज (आईआईपीएस) मुम्बई को सौंपा गया है| आरजीआई के कार्यालय ने सूचित किया है कि अध्ययन पूरा कर लिया गया है|

सिफारिश सं. 2

अब जब दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, चाहे उनका जन्म–स्थान कोई भी हो, अपने अधीन सिविल पदों में आरक्षण के लाभ बहाल करने का फैसला कर लिया है, गृह मंत्रालय को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को यह सलाह देनी चाहिए कि 2011 की अगली जनगणना में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य संघ राज्यक्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के प्रवासी लोगों की गिनती की जाए **{पैराः 3.2.3}**।

की गई कार्रवाई

महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत के कार्यालय ने पाया है कि भारतीय जनगणना अनुयाचन की विस्तारित पद्धति का अनुपालन करती है| इसके अनुसार, सभी लोगों की गणना उनके मूल स्थान तथा संवैधानिक स्थिति के बजाए उनके सामान्य निवास स्थान पर की जाती है|

अनुसूचित जनजाति की स्थिति की रिकार्डिंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के प्रावधान के अनुसार अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची के आधार पर सख्ती से की जाती है| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिबंध और अंतर्राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिबंध संवैधानिक आदेशों के अनुसार हैं। जनगणना संगठन भारत सरकार की नीति को केवल निष्ठापूर्वक कार्यान्वित करता है| अतः, प्रत्येक/संघ राज्य क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति के आदेश को मानना कर्तव्यबद्ध है|

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली के मामले, संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के संबंध में राष्ट्रपति का कोई आदेश नहीं है|

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य स्थानों में प्रवासी अनुसूचित जनजातियों के लाभों के संबंध में मामला इस समय न्यायाधीन है|

सिफारिश सं. 3 (क) से (घ)

3(क) :जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्यपालों द्वारा रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए विषय–वस्तु के विशेष सन्दर्भ में एकरूपात्मक फार्मेट विहित करना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को निम्नलिखित अनुदेश जारी करने चाहिए **{पैराः 3.3.5(i)}**।

3(क)(i):रिपोर्टें जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद छः महीनों के अन्दर पहुंच जानी चाहिएं।

3(क)(ii):उन राज्यों को, जहां जनजाति सलाहकार परिषदें हों, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टी.ए.सी. का गठन/ पुनर्गठन समय पर किया जाए और उनकी बैठकें संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार नियमित रूप से की जाएं।

3(क)(iii):रिपोर्टों में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत नोट होना चाहिए। इन रिपोर्टों में कानून और व्यवस्था, नक्सल गतिविधियों और जनजातीय असन्तोष से सम्बन्धित समस्याओं के बारे में भी एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। रिपोर्टों में राज्य में रिपोर्ट की अवधि में लागू किए गए केन्द्रीय और राज्य कानूनों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए और पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियों के विस्तार/अनुप्रयोज्यता के बारे में भी बताया जाना चाहिए। राज्य में पी.ई.एस.ए. अधिनियम का कार्यचालन भी राज्यपाल की रिपोर्ट का अभिन्न अंग होना चाहिए।

3(ख): यदि रिपोर्टों में टी.ए.सी. की टीका–टिप्पणियां शामिल न हों, तो वे राज्य सरकारों को यह सलाह देते हुए वापस भेज दी जाएं कि केन्द्रीय सरकार को टी.ए.सी. की टिप्पणियों से और टी.ए.सी. की टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए **{पैराः 3.3.5(ii)}**।

3(ग): रिपोर्टों में शामिल सामग्री के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन रिपार्टों की विस्तारपूर्वक जांच की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को इस मूल्यांकन से अवगत कराया जाना चाहिए, ताकि वे अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई कर सकें **{पैराः 3.3.5(iii)}**।

3(घ): राज्यपाल की रिपोर्ट की एक प्रति रिपोर्ट के प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि आयोग उसकी जांच कर सके और उसके बारे में अपनी टिप्पणियां दे सके **{पैराः 3.3.5(iv)}**।

की गई सिफारिश

3(क): अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल की रिपोर्ट को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने के लिए पहले ही फार्मेट/ दिशानिर्देश हैं| इसे संशोधित किया जा रहा है|

3(क)(1): राज्य सरकारों को एनसीएसटी की सिफारिशों के प्रकाश में उपयुक्त कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद (टीएसी) की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जायें|

3(क)(2): विद्यमान दिशानिर्देश अन्य बातों के साथ-साथ अनुबंध करते हैं कि राज्यपाल की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह अर्थात प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत कर दी जाए।

3(क)(3): विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यपाल की रिपोर्ट की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन तथा विकास के स्तर को सुधारने के स्वीकृत उद्देश्य के साथ राज्य तथा संघ सरकार दोनों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करे|

जहां तक राज्यपाल की रिपोर्ट में पेसा अधिनियम की कार्य प्रणाली को शामिल करने का संबंध है, पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठाने का अनुरोध किया गया है|

3(ख): मंत्रालय इस मुद्दे पर राज्यों के लगातार संपर्क में है| दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यपाल की रिपोर्ट को टीएसी के समक्ष रखा जाना चाहिए तथा टीएसी द्वारा की गई टिप्पणियों को टीएसी की सिफारिशों के अनुरूप रिपोर्ट में दर्शाये गये उपायों के अन्दर निपटाया जाना चाहिए|

3(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमटीए) ने रिपोर्ट की जांच की तथा एमटीए की टिप्पणियों सहित इसे महामहिम राष्ट्रपति के अनुशीलन हेतु राष्ट्रपति सचिवालय को भेज दिया। टिप्पणियों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों सरकारों के पास भी भेजा जाता है|

3(घ): महामहिम राष्ट्रपति को रिपोर्टों की प्रस्तुती के पश्चात इसकी एक प्रति एनसीएसटी को भेजी जायेगी।

सिफारिश संख्या 4 (क) से (ग)

4(क): एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए सभी क्षेत्रों, राज्यों की जनजातीय उप–योजना में शामिल संशोधित क्षेत्र विकास नीति (एम.ए.डी. ए.) पॉकेटों और समूहों को सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के साथ सह–लक्ष्य बनाया जाना चाहिए **{पैराः 3.3.6(i)}**।

4(ख): आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ मामलों में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना एक एकल जिले में कार्य कर रही थी और बाद में इस जिले में से एक और नया जिला बना दिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि आई.टी.डी. पी. के क्षेत्र को, जिसमें ये दो जिले शामिल हों, धनराशियां रिलीज किए जाने के मामले में किसी समस्या का सामना न करना पड़े **{पैराः 3.3.6(ii)}**।

4(ग)**:** ऐसे सभी राजस्व गांवों को, जहां 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो, लेकिन जो फिलहाल सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल न हों, यथास्थिति सम्बन्धित राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों अथवा एम.ए.डी.ए. अथवा क्लस्टर में शामिल किया जाए **{पैराः 3.3.6(ii)}**।

की गई कार्रवाई

4(क): आंध्र प्रदेश राज्य के अलावा आईटीडीपी/आईटीडीए को पहले ही अनुसूचित क्षेत्रों के साथ को-टर्मिनस बनाया गया है| सभी अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों से आईटीडीपी/आईटीडीए/टीएसपी क्षेत्रों को छोड़कर माडा पॉकेटो को शामिल करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के यौक्तिकीकरण के मुद्दे पर अपनी टिप्पणियां/विचारों को प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया है|

4(ख) तथा (ग): राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर आईटीडीपी/माडा पॉकेट तथा कलस्टर घोषित किए जाते हैं| अतः, राज्य सरकारों को आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है|

सिफारिश सं. 5

राज्यो को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि वे पंचायतों को अपेक्षित शक्तियों और प्राधिकार से लैस करने के लिए, जिससे वे स्व–शासन के संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए समर्थ हो सकें, पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 की धारा 4(ढ) के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करें **{पैराः 3.5.4}**।

की गई कार्रवाई

पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभा को शक्तियां प्रदान करने के लिए मॉडल दिशानिर्देशों के प्रारुपण हेतु डॉ.बी.डी.शर्मा की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की थी| समिति की सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई हेतु सभी 9 पेसा राज्यों को भेज दी गई थीं|

सिफारिश सं. 6

एक ऐसा तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है, जिसके अन्तर्गत फील्ड संगठनों पर धनराशियों के उपयुक्त उपयोग की उत्तरदायिता की प्रणाली लागू की जाए, जिससे वे धनराशियां सीधे प्राप्त कर सकें, बजाय इसके कि धनराशियां राज्य मुख्यालय के माध्यम से प्रवाहित की जाएं **{पैराः 3.5.6}**।

की गई कार्रवाई

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को निधियां निर्मुक्त करने की प्रचलित प्रणाली को सर्वोत्तम विकल्प माना जाता है| यह निर्मुक्त निधियों के लिए राज्यों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करता है|

सिफारिश सं. 7(क) तथा (ख)

7(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय को भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसे उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को विस्थापित व्यक्तियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए भूमि का कोई अभिग्रहण करने की आवश्यक शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए {**पैराः 3.5.7(i)**}।

7(ख): पर्यावरण और वन मंत्रालय को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह दी जाए ताकि उसके उपबन्धों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में उपयुक्त स्तर की पंचायतों और ग्राम सभा को आवश्यक शक्तियों से सम्पन्न बनाने के सम्बन्ध में पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जाए {**पैराः 3.5.7(ii)**}।

की गई कार्रवाई

7(क) तथा (ख) : भूमि संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2007 (एनआरआरपी-2007) तैयार की है जो 31 अक्तूबर, 2007 को भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन के साथ ही लागू हो गई है| इसे कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित कर दिया गया है|

2. नीति के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के साथ एनआरआरपी-2007 के प्रावधानों को विधायी स्वरुप प्रदान करने तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को पुख्ता करने के लिए एक विधेयक संसद में पेश किया गया है।

3. "अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (ग) लघु वन उत्पाद जो गांव की सीमाओं के अंदर या बाहर परंपरागत रुप से एकत्रित किए गए हैं, के स्वामित्व, एकत्रित करने उपयोग करने तथा निपटानों की पहुंच के अधिकार" को अनुबद्ध करता है| अतः स्थानीय वन समुदायों के संबंध में लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के मुद्दे का

इस अधिनियम द्वारा पर्याप्त रुप से पता लगाया गया है| इस उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति एवं सीमा को निश्चित करने की प्रक्रिया को शुरु करने हेतु अधिनियम की धारा (6) के तहत ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है|

4. उपरोक्त प्रावधान जो उपयुक्त स्तर पर ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने तथा स्थानीय समुदायों के लिए एमएफपी को भोगाधिकारी के अधिकारों के मुद्दे का पर्याप्त रुप से पता लगाते हैं, को ध्यान में रखते हुए भारतीय वन अधिकार अधिनियम, 1927 में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एफआरए के प्रावधानों के विरोध में नहीं है|

सिफारिश सं. 8

राज्य सरकारों को यह सलाह देने की जरूरत है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के पंचायतों सम्बन्धी कानून रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक रीतियों और सामुदायिक संसाधनों की पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों के अनुरूप हों और जहां राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बना लिए हैं, जो रूढ़िगत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं और पारम्परिक प्रबन्ध पद्धतियों से मेल नहीं खाते, वहां उन्हें राज्य के कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए {**पैराः 3.5.8(i)**}।

की गई कार्रवाई

पंचायती राज मंत्रालय ने प्रत्येक 9 पेसा राज्यों के राज्य कानूनों में किए जाने वाले संशोधनों को चिह्नित करने का कार्य इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट को सौंपा था| आईएलआई से प्राप्त रिपोर्ट पेसा, 1996 के प्रावधानों के साथ एकरुपता के लिए संगत राज्य कानूनों में उपयुक्त संशोधनों को शामिल करने हेतु उन्हें दिशानिर्देश देने के लिए सभी 9 पेसा राज्यों को भेज दी गई थी|

सिफारिश सं. 9

जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2005 को शीघ्र पारित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास करने चाहिएं, जो संसद में पहले से प्रस्तुत किया जा चुका है तथा और आगे जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ उस वन भूमि के बारे में, जिस पर वह पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं/ रहते आ रहे हैं, पट्टे पर दिए जाने सम्बन्धी जनजातीय लोगों की समस्या की ओर ध्यान दिया गया है {**पैराः 3.5.8(ii)**}।

की गई कार्रवाई

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2 खण्ड-1 में दिनांक 02.01.2007 को प्रकाशित हुआ था| अधिनियम को लागू करने हेतु दिनांक 31.12.2007 से अधिसूचित किया गया था।

सिफारिश सं. 10 (क) तथा (ख)

10(क):आयोग ने देखा है कि जनजातीय विरासत, विशेष रूप से उनकी कला और कौशलों, पूजा–स्थलों, ऐतिहासिक संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों, आदि के परिरक्षण के लिए राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसलिए, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए किः

10(क)(i): जनजातीय लोगों की सांस्कृतिक विरासत का, विशेष रूप से (i) पूजा–स्थलों, (ii) ऐतिहासिक संग्रहालयों, (iii) ऐतिहासिक स्मारकों, और (iv) जनजातीय कला और कौशलों के सन्दर्भ में परिरक्षण करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं **{पैराः 3.5.9(i)}**।

10(क)(ii): मद संख्या (i) के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को मानीटर करने और जनजातीय संस्कृति और विरासत को बरकरार रखने और उसके परिरक्षण के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त उपायों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए प्रत्येक राज्य के जनजातीय कल्याण विभाग में एक जनजातीय प्रकोष्ठ स्थापित किया जाए **{पैराः 3.5.9(ii)}**।

10(ख):भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संगठन (भारत सरकार) और राज्यों में उसके प्रतिरूप संगठनों को भी समृद्ध जनजातीय संस्कृति और विरासत का परिरक्षण करने की ओर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जानी चाहिए **{पैराः 3.5.10}**।

की गई कार्रवाई

10(क) तथा (ख) : राज्य सरकारों, सभी अधिनस्थ/स्वायत्त संगठन तथा निदेशक, एएसआई, जनपथ, नई दिल्ली को संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केन्द्र, वडोदरा (गुजरात) द्वारा हाथ में लिए गए भारतीय जनजातीय कला एवं संस्कृति के राष्ट्रीय संघ के सृजन के लिए एक परियोजना भी शुरु की है| संघ का लक्ष्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) से मटीरियल को वास्तविक रुप से हटाए बिना हाई-टेक डिजिटल प्रोद्यौगिकी के माध्यम से देश में विभिन्न जनजातीय अनुसंधान

संस्थानों (टीआरआई) के जनजातीय संग्रहालयों की सभी जनजातीय कलाकृतियों का सांस्कृतिक हस्तांतरण है| परियोजनाओं का उद्देश्य संग्रहालययी शिल्पों का उन्नयन, संग्रहालय तथा संग्रहालयीय प्रकाशनों से जुड़े कारीगरों/घटनाओं की एक सामान्य तालिका का निर्माण, स्थिर, सचल प्रदर्शनियों इत्यादि का सृजन करना है|

(2) मंत्रालय जनजातीय कला, शिल्प और जनजातीय लोगों के संरक्षण के लिए टीआरआई परिसरों के अंदर जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण का भी समर्थन करता है| उनकी संस्कृति, परंपराओं और रीति रिवाजों से संबंधित जनजातीय जीवन के विभिन्न रुपों के संरक्षण, प्रदर्शन एवं संवर्धन के लिए भी नोडल मंत्रालय/विभाग के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर जनजातीय उत्सव आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं|

सिफारिश सं. 11(क) से (ज)

11(क): योजना आयोग को केन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को योजना निधियां रिलीज करने को देश की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में (जो कुल जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत है) टी.एस.पी. के लिए इन निधियों की अपेक्षित 8.2 प्रतिशत राशि अलग निर्धारित करने की शर्त के साथ जोड़ देना चाहिए। विकल्प के रूप में स्वयं, योजना आयोग को विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के योजना परिव्यय को अनुमोदित करते समय इन परिव्ययों का 8.2 प्रतिशत टी.एस.पी. के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित कर देना चाहिए **{पैराः 3.6.4.5(i)}**।

11(ख): योजना आयोग को जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ सलाह करते हुए अपने इस निर्णय की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या कुछ मंत्रालयों/ विभागों को अपने योजना परिव्यय का 8.2 प्रतिशत भाग उनके द्वारा संभाले जा रहे विषयों के सम्बन्ध में, जनजातीय विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों पर खर्च किए जाने के लिए निर्धारित किए जाने से छूट दी जा सकती है, जैसाकि उनमें से कुछ द्वारा अपने विशेषज्ञीय क्रियाकलापों को देखते हुए कहा गया है **{पैराः 3.6.4.5(ii)}**।

11(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय को विकास कार्यक्रमों के बारे में कार्रवाई करने वाले सभी मंत्रालयों को अनुदेश जारी करने चाहिएं कि उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उनके द्वारा अपने योजना बजट में से जनजातीय उप–योजना के लिए निर्धारित विशिष्ट प्रतिशतता और देश में जनजातीय विकास के लिए टी.एस.पी. बजट के अन्तर्गत उनके द्वारा हाथ में लिए गए क्रियाकलापों की जानकारी अवश्य देनी चाहिए **{पैराः 3.6.4.5(iii)}**।

11(घ): टी.एस.पी. के अन्तर्गत आबंटित निधियां, जो राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अथवा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्त वर्ष के अंत तक खर्च नहीं की जातीं, व्यपगत न होने वाली निधियां बना दी जानी चाहिएं, जैसाकि राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों और टी.एस.पी. तथा संविधान के

अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के मामले में है **{पैराः 3.6.4.5(iv)}**।

11(ड.): जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक समिति, जिसमें स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरण और वन, शिक्षा, जल संसाधन आदि जैसे विकास कार्यों से सम्बन्धित मंत्रालयों/ विभागों के प्रतिनिधि और योजना आयोग तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिनिधि शामिल हों, जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता की स्कीम और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान देने की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित करनी चाहिए **{पैराः 3.6.6.2}**।

11(च): राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनजातीय उप–योजना के लिए दिए गए अनुदानों और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का 100 प्रतिशत उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक कर लें और यदि राज्य सरकारें इन अनुदानों का उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक भी नहीं कर पातीं, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को अनुदानों का उपयोग न किए जाने की जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिए और सम्बन्धित राज्य सरकारों को इन अनुदानों का पूरा उपयोग अगले वित्तीय वर्ष के दौरान जनजातीय विकास कार्यक्रमों के लिए करने की सलाह देनी चाहिए **{पैराः 3.6.6.5(i)}**।

11(छ): राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि जनजातीय उप–योजना के लिए केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के पहले परन्तुक के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों का उपयोग किसी भी हालत में किसी ऐसे क्षेत्र में न किया जाए, जिसका सम्बन्ध जनजातीय विकास से न हो। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी जाए कि वे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद तीन महीनों के अन्दर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करें, जिनमें विभिन्न जनजातीय कार्यक्रमों पर इन अनुदानों के वास्तविक व्यय का ब्योरा दिया गया हो, ताकि यह जांच की जा सके कि धन का उपयोग जनजातीय कल्याण की स्कीमों पर समय पर किया गया है और इन अनुदानों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में नहीं किया गया **{पैराः 3.6.6.5(ii)}**।

11(ज): जनजातीय उप–योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत दिए गए अनुदानों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों पर राज्य सरकारों द्वारा किए गए खर्च का ब्योरा राज्यपाल की उस रिपोर्ट का भाग होना चाहिए, जो भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है **{पैराः 3.6.6.5(ii)}**।

की गई कार्रवाई

11 (क) से (घ): जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) उपागम एक द्विभुजीय रणनीति है: (क) अपने बजट परिव्यय से केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निधियों का चिह्नन तथा (ख) राज्य वार्षिक योजना परिव्यय से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधियों का चिह्नन| चूंकि दोनों मोर्चों पर कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं पाया गया था, योजना आयोग ने केन्द्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर कार्यान्वयन में प्रचालानात्मक कठिनाइयों की समीक्षा करने के लिए जून, 2010 में डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक कार्य बल का गठन किया था| कार्य बल ने निम्नलिखित वृहद सिफारिशों के साथ दिनांक 26.11.2010 को अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की:

- 28 अभिज्ञात केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को अलग-अलग प्रतिशतता के आधार पर टीएसपी आबंटन के रुप में निधियां चिह्नित करने की आवश्यकता है:-
- व्यय विभाग वर्ष 2011-12 से टीएसपी '796' के लिए लघुशीर्ष के तहत निधियां आबंटित करेगा|
- वित्त वर्ष के दौरान मंत्रालय की अनुपयोजित निधियों को व्यपगत किए जाने की नहीं अपितु टीएसपी निधियों के केन्द्रीय पूल को हस्तांतरित किए जाने तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकार में रखे जाने की आवश्यकता है|
- संशोधित दिशानिर्देशों की बेहतर अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन लिया जाए|

उपरोक्त आधार पर योजना आयोग ने वार्षिक योजना 2011-12 से अलग-अलग चिह्नन पर सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए हैं| मंत्रालय ने अनुपालन के मामले में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को भी लिखा है|

जहां तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में टीएसपी के कार्यान्वयन का संबंध है कार्य बल अलग से मामले की जांच कर रहा है तथा अपनी सिफारिशों को अंतिम रुप देने की प्रक्रिया में है|

11(ङ): मंत्रालय टीएसपी को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में योजना के दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहा है|

11(च): टीएसपी को एससीए तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्तियां विगत निर्मुक्तियों की उपयोगिता स्थिति, विगत वर्ष के दौरान उपलब्ध

विस्तृत वास्तविक प्रगति इत्यादि के साथ राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरुप राज्यों को की जाती हैं| राज्य सरकारों से निर्मुक्ति के

12 माह के अंदर निधियों का उपयोग करने की अपेक्षा की जाती है| निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय उपयोगिता की गति में सुधार करने हेतु राज्य सरकारों को लगातार सलाह दे रहा है|

11(छ): जनजातीय उपयोजना उपागम की अभिकल्पना यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकारें राज्य की जनसंख्या के अनुपात में जनजातीय अल्पसंख्या वाले राज्य विशिष्ट निधियां चिह्नित करें तथा अभिज्ञात क्षेत्रों में जनजातीय विकास के लिए उसे खर्च भी करें| जहां कुछ राज्यों को इस उपागम का अनुसरण करते हुए पाया गया है वहीं अन्य इसमें चूक रहे हैं| ऊपर संदर्भित कार्य बल वर्तमान नीति की समीक्षा कर रहा है तथा आगे की कार्रवाई कार्य बल की सिफारिशों पर आधारित होगी|

11(ज): राज्य सरकारों से शुरु किये गए विकास कार्यक्रमों, उपयोग किये गए वित्तीय आबंटन के ब्यौरे, उपलब्ध वास्तविक लक्ष्य बताने का अनुरोध किया गया है ताकि यह राज्यपाल की रिपोर्ट का एक भाग बन सके जिसे संविधान की पाचवीं अनुसूची के पैरा 3 के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति को वार्षिक रुप से प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है|

सिफारिश सं. 12

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार, जो सीधे डी.आर.डी. ए. को धनराशियां रिलीज़ करता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को भी जिला स्तर के कार्यान्वयन अभिकरणों तक सीधे चैनल खोलने पर और आई.टी.डी.पी. अथवा जिला पंचायतों को धनराशियों का सीधा प्रवाह सुनिश्चित करने पर विचार करना चाहिए **{पैराः 3.6.6.6}**।

की गई कार्रवाई

वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से मामले की जांच की गई है परन्तु जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तहत निधियों की सीधी निर्मुक्ति पर सहमति नहीं बनी है| संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत निधियों की निर्मुक्ति के मामले में अनुदान सीधे कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को नहीं, अपितु राज्य सरकार को निर्मुक्त किए जाएंगे|

सिफारिश सं. 13(क) से (घ)

13(क): इस स्कीम के अन्तर्गत, जिसे सात वर्ष(अर्थात 1998–99 में) पहले शुरू किया गया था, आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए हाथ में ली गई परियोजनाओं के कार्य–निष्पादन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। इससे सरकार को यह पता लगाने का अवसर मिलेगा कि क्या आदिम जनजाति समूहों के विकास के मामले में गैर–सरकारी संगठनों ने सरकारी अभिकरणों की अपेक्षा बेहतर परिणाम दिए हैं, और यदि ऐसा हो, तो इस स्कीम के अन्तर्गत आदिम जनजाति समूहों के सम्बन्ध में ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को परियोजनाएं सौंप कर उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है **{पैराः 3.7.3}**।

13(ख): आदिम जनजाति समूहों से सम्बन्धित परियोजनाएं/ स्कीमें, अन्यों के अलावा, केवल ऐसे गैर–सरकारी संगठनों को दी जानी चाहिएं, जिन्हें आदिम जनजाति समूहों के लिए 15–20 वर्षों से अधिक समय से पूरी भागीदारिता और प्रतिबद्धता की उच्च भावना के साथ काम करने की प्रतिष्ठा प्राप्त है **{पैराः 3.7.3}**।

13(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बन्धित राज्यों को (जहां आदिम जनजाति समूह हों) अनुदान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिलीज़ कर दिए जाएं, ताकि उन्हें आदिम जनजाति समूहों के विकास पर धन खर्च करने के लिए अधिकतम समय मिल जाए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई धनराशियों का उपयोग न किए जाने के कारणों का जायज़ा भी लेना चाहिए और इन अनुदानों का उपयोग न किए जाने की उत्तरदायिता भी निश्चित करनी चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे–

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास करें कि केन्द्रीय सरकार द्वारा रिलीज़ किए गए अनुदानों को आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्त तक खर्च कर लिया जाए **{पैराः 3.7.7(i)}**।

(ii) सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद दो महीनों के भीतर जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें, जिसमें विभिन्न जनजातीय विकास कार्यक्रमों के बारे में अनुदानों के उपयोग का ब्योरा दिया गया हो **{पैराः 3.7.7(ii)}**।

(iii) आदिम जनजाति समूहों के विकास के कार्यक्रमों/ स्कीमों के लाभ पी.टी. जी. परियोजना क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिम जनजाति समूहों को भी उसी तरह उपलब्ध कराए जाने चाहिएं **{पैराः 3.7.7(iii)}**।

13(घ): निम्न साक्षरता स्तर, अत्यन्त आर्थिक पिछड़ेपन, प्रौद्योगिकी के कृषि–पूर्व स्तर, स्थिर और घटती हुई जनसंख्या और आदिमकालीन विशेषताओं वाले मलेरु समुदाय

14.05.2012 की स्थिति के अनुसार

(जिन्हें पहले से ही अनुसूचित जनजाति स्वीकार किया गया है), को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया जाए **{पैराः 3.8.2}**।

की गई कार्रवाई

13(क): भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने 2006 में "उड़ीसा, झारखण्ड, गुजरात तथा तमिलनाडु में आदिम जनजातीय समूहों का आकलन तथा विकास हेतु रणनीति" नामक एक अध्ययन किया है| इस अध्ययन की सिफारिशों को भी योजना को 2007-08 संशोधित करते समय ध्यान में रखा गया था| संशोधित योजना प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार की गई संरक्षण-सह-विकास (सीसीडी) योजना के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है| पूर्व में योजना राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजनाओं के अनुसार कार्यान्वित की जा रही थी| संशोधित योजना में कस्बा/अधिवास विकास उपागम अपनाया गया है तथा निगरानी और मूल्यांकन को उचित महत्व दिया गया है| सीसीडी योजनाओं के अनुसार राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरकता देने के लिए कार्यान्वयनकारी एजेंसियों के रुप में एनजीओ को शामिल किया जाता है| केवल ख्याति प्राप्त एनजीओ को सीसीडी योजनाओं के कार्यान्वयन में शामिल किया गया है|

13(ख) : वर्तमान में पीटीजी के विकास की योजना के तहत राज्य सरकारों के साथ काम कर रहे सभी एनजीओ प्रतिबद्ध तथा अच्छी ख्याति वाले हैं|

13(ग) (1) तथा (2) : मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास कर रहा है कि पीटीजी जनसंख्या वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुदानों की समयबद्ध निर्मुक्ति के संबंध में एनसीएसटी की सिफारिश का अनुपालन किया जाए| यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूर्ण प्रस्ताव की प्राप्ति हो तथा अनुदान निर्मुक्त कर दिए जाएं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पहले ही विस्तृत पत्राचार किए गए हैं तथापि, राज्य वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में अनुदानों का लाभ नहीं लेते हैं| अतः, वे संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के अंदर अनुदानों का उपयोग करने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं| इसके अलावा, सीसीडी योजना के कुछ घटक जैसे अवसंरचना के सृजन को पूरा होने में समय लगता है| इसलिए संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दो माह के अंदर अनुदानों की उपयोगिता के विस्तृत विवरण को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को पूरा कर पाना संभव नहीं है| 12वीं योजना अवधि के लिए सीसीडी योजनाओं की तैयारी की कवायद के दौरान इन मुद्दों का पता लगाने हेतु सारे प्रयास किए जा रहे हैं| निधियों की अनुपयोगिता का मुख्य कारण साइट पर परियोजना के कार्यान्वयन तथा व्यय रिपोर्टों को समेकित करने में

विलंब इत्यादि हैं| राज्य सरकारों को परियोजना के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है| तथापि, मंत्रालय उपयोगिता प्रमाण पत्रों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति पर निधियों की शीघ्र निर्मुक्ति को सुनिश्चित करता है|

13(ग) (3) : योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण पीटीजी जनसंख्या पीटीजी के विकास की योजना के लाभों हेतु पात्र है| राज्य सरकारों को पहले ही निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक पीटीजी जनसंख्या की सारी आवश्यकता पर विचार करते हुए सीसीडी योजनाएं तैयार करें| राज्य की संपूर्ण पीटीजी जनसंख्या को कवर करने के मुद्दे को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्याप्त रुप से ध्यान में रखा जाएगा|

13(घ) : पीटीजी को अभिज्ञात करने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सिफारिश/औचित्य की आवश्यकता है| मलेरु समुदाय को पीटीजी के रुप में अभिज्ञात करने के लिए किसी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है|

सिफारिश सं. 14(क) तथा (ख)

14(क):राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि उच्चतम सीमा–अधिशेष भूमि भूमिहीन जनजातीय लोगों को शीघ्र बांट दी जाए और जिला स्तर पर तुरन्त कार्रवाई वाले न्यायालयों (फास्ट ट्रैक कोर्ट्स) और तहसील स्तर तक चल न्यायालयों की स्थापना करके मुकदमेबाजी में फंसी भूमियों की शीघ्र बहाली भी की जाए **{पैराः 3.9.5(i)}**।

14(ख):राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी जानी चाहिए किः

(i) जनजातीय लोगों को उच्चतम सीमा–अधिशेष भूमियों के लिए किए गए आबंटनों के बारे में प्रविष्टियां भू–अभिलेखों में की जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जनजातीय आबंटितियों को वास्तविक कब्ज़ा दिया जाए **{पैराः 3.9.5(ii)}**।

(ii) उन जनजातीय लोगों को जिन्हें भूमि समनुदेशित की गई है अथवा जो लगातार कई वर्षों से, अर्थात 10 वर्षों से भी अधिक समय से भूमि की खेती कर रहे हैं, भूमि के पट्टे दिए जाएं **{पैराः 3.9.6(i)}**।

(iii) मांग किए जाने पर, जोत–भूमि के नक्शे सहित खसरा खतौनी की प्रतिलिपि प्रत्येक जनजातीय परिवार को कोई शुल्क वसूल किए बिना उपलब्ध की जानी चाहिए **{पैराः 3.9.6(ii)}**।

(iv) जोत–भूमि के राजस्व रिकार्ड, अर्थात खसरा खतौनी और नक्शे आदि, स्वामियों के नाम और संख्या और क्षेत्र के ब्योरे सहित, ग्राम पंचायतों की अभिरक्षा में रखे जाने चाहिएं, ताकि पटवारियों द्वारा जनजातीय लोगों को

सही सूचना न दिए जाने के जरिए उन्हें शोषण किए जाने से बचाया जाए **{पैराः 3.9.6(iii)}**।

(v) पटवारी द्वारा भूमि–अभिलेखों के परिवर्तन के जरिए खसरा खतौनी में कोई प्रविष्टि ग्राम पंचायत के अनुमोदन से की जानी चाहिए, जैसाकि मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है **{पैराः 3.9.6(iv)}**।

(vi) जनजातीय लोगों की छोटी जोत भूमियों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर एक स्थान पर लाया जाए ताकि विभिन्न निविष्टयों के जोरदार अनुप्रयोग द्वारा उन्हें खेती के लिए सक्षम और मितव्ययी बनाया जा सके **{पैराः 3.9.7}**।

की गई कार्रवाई

14(क) तथा (ख), (1) से (6) : राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई।

सिफारिश सं. 15(1) तथा (2)

15(i): जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को सलाह दे कि वह उत्तर प्रदेश भूमि विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1982 (जो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 को संशोधित करने के लिए बनाया गया था) की धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसमें जनजातीय भूमि के प्रतिकूल कब्ज़े के कारण काश्तकारी के अधिकारों के उत्पन्न न होने की वजह से सहायक कलेक्टर द्वारा बलपूर्वक निष्कासन के वास्ते स्वयमेव कार्रवाई किए जाने की व्यवस्था है, केवल खातिमा तहसील के 77 गांवों और अन्य गांवों (ऊद्यमसिंह नगर) में गैर–जनजातीय लोगों को गैर–कानूनी रूप से अन्तरित की गई भूमियों को, जनजातीय लोगों को बहाल करने के लिए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे **{पैराः 3.10.7}**।

15(ii): जनजातीय कार्य मंत्रालय उत्तरांचल की राज्य सरकार को यह सलाह दे कि वह उन गैर–जनजातीय लोगों के खिलाफ, जिनका जनजातीय भूमि पर गैर–कानूनी कब्ज़ा है (उपर्युक्तानुसार), अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) के अन्तर्गत स्वयमेव मामले दर्ज करे और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) में उल्लिखित अनुसूची में दिए गए पैमाने के अनुसार जनजातीय लोगों को मुआवज़ा/राहत दे **{पैराः3.10.8}**।

की गई कार्रवाई

15 (1) तथा (2) : राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 16

अधिकतर भूमि अन्य–संक्रामणरोधी कानूनों में बचाव के रास्ते हैं, जिनसे बेईमान और चालाक गैर–जनजातीय व्यक्तियों को इन कानूनों की भावना के खिलाफ जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने में सहायता मिलती है। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बचाव के उन रास्तों को बन्द करने के उद्देश्य से, जिनका दुरुपयोग बेईमान गैर–जनजातीय लोगों द्वारा जनजातीय भूमि अपने नाम अन्तरित कराने के लिए किया जा रहा है, इन कानूनों की समीक्षा करें **{पैराः 3.10.10(i)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 17

राज्यों को यह सलाह दिए जाने की जरूरत है कि वे राज्यों के कानूनों के उपबन्धों की संगति पी.ई.एस.ए. अधिनियम की धारा 4(ड)(iii) के उपबन्धों के साथ बिठाएं, जिनके अंतर्गत ग्राम सभाओं को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य–संक्रामण को रोकने और किसी अनु.ज.जा. के व्यक्ति की गैर–कानूनी तरीके से अन्य–संक्रमण की गई भूमि को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है **{पैराः 3.10.10(ii)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 18 (क) से (च)

18(क):उन राज्यों को, जिन्होंने जनजातीय भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में अन्य संक्रामण–रोधी कानून बनाए हैं, यह सलाह दी जाए कि वे अपने कानूनों/ अधिनियमों में हिमाचल प्रदेश (भूमि का अन्तरण विनियमन) अधिनियम, 1968 में जनवरी, 2003 में किए गए संशोधनों की तरह से संशोधन करें, जिनमें जनजातीय भूमि का अन्तरण किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है **{पैराः 3.10.10(iii)}**।

18(ख):सम्बन्धित अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन होने तक, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जिला कलेक्टरों/ डिप्टी कमिश्नरों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त अनुदेश दें कि किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को जनजातीय भूमि के अन्तरण की अनुमति प्रदान करने की शक्ति (यदि यह उनमें निहित की गई हो) उनके द्वारा (अर्थात जिला कलेक्टरों/ डिप्टी कमिश्नरों द्वारा) किसी भी स्थिति में जिले के किसी नीचे के पदधारी को प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए **{पैराः 3.10.10(iii)}**।

18(ग):राज्य सरकारों को यह सलाह देने की भी आवश्यकता है कि वे अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को वे विशेष रियायतें देने पर विचार करें, जो पी.

ई.एस.ए. अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को दी गई हैं **{पैराः 3. 10.10(iv)}**।

18(घ):राज्य सरकारों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे कोई युक्तिसंगत समय–सीमा निर्धारित करें, जिसके अन्दर भूमि अनुसूचित जनजाति के भू–स्वामी को सौंप दी जानी चाहिए **{पैराः 3.10.10(v)}**।

18(ड.):किसी डिप्टी कमिश्नर अथवा कलेक्टर द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पक्ष में दिए गए किसी आदेश के खिलाफ कोई वाद दायर करने या आवेदन देने पर रोक होनी चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा बनाए गए कानून में केवल एक राजस्व न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध है। यदि अन्य राज्यों के कानूनों में पहले से ऐसे कोई उपबन्ध मौजूद न हों, तो उनमें भी इसी प्रकार के उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता है **{पैराः 3. 10.10(vi)}**।

18(च):राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे उन व्यक्तियों के खिलाफ, जो गैर–कानूनी/ कपटपूर्ण तरीके से जनजातीय भूमि का अन्तरण अपने नाम कराने के दोषी पाए जाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(iv) और (v) के उपबन्धों के अनुसार स्वयमेव मामले पंजीकृत करें और, उसके बाद, जनजातीय लोगों को (जिनकी भूमि का अन्य–संक्रामण किया गया हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अनुसार समुचित राहत नकदी के रूप में प्रदान करें **{पैराः 3.10.10(vii)}**।

की गई कार्रवाई

18(क): राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई सलाह दी गई है|

18(ख): राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई सलाह दी गई है |

18(ग): पेसा अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को रियायतें अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर रह रही अनुसूचित जनजातियों को प्रदान नहीं की जा सकती| अतः, सिफारिश स्वीकार्य नहीं है|

18(घ): राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई सलाह दी गई है|

18(ड़): राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई सलाह दी गई है|

18(च): राज्य सरकारों को सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 21 (क) से (ड़)

21(क): ट्राइफेड में फिर से नए जीवन का संचार करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएं **{पैराः 3.12.3(i-iii)}**।

(i) ट्राइफेड को गौण वन उत्पाद सहकारी गौण वन उत्पाद समितियों के माध्यम से खरीदने चाहिएं और, किसी भी हालत में, ठेकेदारों/ बिचौलियों से नहीं खरीदने चाहिएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनजातीय लोगों को उचित और युक्तिसंगत कीमत मिले।

(ii) ट्राइफेड को अपने क्रियाकलापों का ध्यान गौण वन उत्पादों और कृषि उत्पादों को सीधे जनजातीय लोगों से खरीदने की ओर केन्द्रित करना जारी रखना चाहिए और उनकी बिक्री करने और जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास का काम इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अभिकरणों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।

(iii) ट्राइफेड के भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार के कार्य–निष्पादन की नियतकालिक समीक्षा करने के द्वारा ट्राइफेड की कार्य–कुशलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उसे अपने उन कर्त्तव्यों को निभाने के लिए, जो उसे सौंपे गए हैं, सशक्त बनाया जाए।

21(ख): आयोग यह भी सिफारिश करता है कि उन राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातीय लोगों की संख्या काफी अधिक हो, यह सलाह दी जानी चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातीय लोगों को गौण वन उत्पादों के उचित दाम मिलें और उन्हें बिचौलियों द्वारा किए जाने वाले शोषण से बचाया जा सके, सभी गौण वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करें। यदि ट्राइफेड को गौण वन उत्पादों के निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों के कारण इन उत्पादों की उपाप्ति में नुकसान हो, तो केन्द्रीय सरकार (जनजातीय कार्य मंत्रालय) को जनजातीय लोगों के हित में इन नुकसानों की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए **{पैराः3.12.4}**।

21(ग): पांचवीं अनुसूची के राज्यों को यह सलाह दी जाए कि वे पंचायतों से सम्बन्धित अपने राज्य अधिनियमों में जनजातियों को गौण वन उत्पादों का स्वामित्व प्रदान करने के सम्बन्ध में कानूनी उपबन्ध करें, जो शब्दों और भावना दोनों प्रकार से, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबन्धों के अनुरूप हों **{पैराः 3.12.6}**।

21(घ): जनजातीय लोगों को ऐसे वनों से भी गौण वन उत्पादों को एकत्र करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिन्हें 'सुरक्षित' घोषित किया गया है **{पैराः 3.12.8(i)}**।

21(ड.): जनजातीय लोगों को सुरक्षित वनों/ वन्यजीव अभयारण्यों से ईंधन की लकड़ी (अर्थात सूखी लकड़ी) इकट्ठी करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए, जैसीकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई है **{पैराः 3.12.8(ii)}**।

संख्या 21 (क) से (ड़) पर की गई कार्रवाई

21(क) (1) : ट्राइफेड ने अपने कार्यकलापों को विन्यासित किया है तथा अपना ध्यान एमएफपी और एपी वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री के सीधे व्यापार कार्यकलापों से हटाकर जनजातीय उत्पादों के बाजार विकास पर अपना आधारभूत अधिदेश लगाया है| जनजातीय उत्पादों के उदगम हेतु आपूर्तिकर्त्ताओं का पैनल बनाने के लिए ट्राइफेड के अपने स्वयं के दिशानिर्देश हैं जिसमें व्यक्तिगत जनजाति, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संगठन, एजेंसियां इत्यादि शामिल हैं| ट्राइफेड द्वारा जनजातीय होने की स्थिति को सत्यापित किया जाता है| समूह/संगठन की प्रमाणिकता को भी सत्यापित किया जाता है ताकि ट्राइफेड द्वारा क्रय के कार्यकलाप जनजातीय लोगों को लाभान्वित करें|

21(क) (2) : जनजातीय लोगों से एमएफपी तथा कृषीय उपजों की सीधा क्रय राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम इत्यादि जैसी राज्य एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है| ट्राइफेड जनजातीय लोगों से खरीदे गए एमएफपी स्टॉक के निपटान के लिए ऐसी एजेंसियों को विपणन समर्थन (जैसे संविदा/बोली आयोजित करना, क्रेता-बिक्रेता को मिलाना तथा गुणवत्ता मानदंडों का विकास इत्यादि) देता है|

21(क) (3) : ट्राइफेड के लिए एक रोड मैप बनाया गया है| डॉ. टी.हक की अध्यक्षता में गठित समिति ने ट्राइफेड के सशक्तिकरण की सिफारिश की है ताकि यह एमएफपी के लिए प्रस्तावित मूल्य निर्धारण आयोग की प्रौद्योगिकी समर्थन इकाई के रुप में कार्य कर सके तथा यह मामला विचाराधीन है|

21(ख) : डॉ. टी.हक समिति की सिफारिशों के आधार पर लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएफपी के लिए एमएसपी) के तंत्र को प्रारंभ करने का मुद्दा भारत सरकार के पास सक्रिय रुप से विचाराधीन है|

21(ग) : पर्यावरण और वन मंत्रालय से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

21(घ) तथा (ड़) : आयोग की सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास उनके विचारार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है|

सिफारिश सं. 22(क) से (ग)

22(क):अनुसूचित क्षेत्रों में खनन रियायतें देने में अनुसूचित जनजातियों को तरज़ीह देने के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है **{पैराः 3.13.2}**।

22(ख):खान मंत्रालय को भूरिया समिति, 1995 की इन सिफारिशों को अमल में लाने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले सभी औद्योगिक उद्यमों में (छोटे उद्यमों को छोड़ कर) समुदाय को 50 प्रतिशत का स्वामी इस आधार पर मान लिया जाए कि उसने उद्योग को स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और स्थापित होने की अनुमति दी है **{पैराः 3.13.3}**।

22(ग):राज्यों को ये अनुदेश जारी करने की आवश्यकता हैः

(i) समता बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य और अन्य के मामले (सी.ए. संख्या 4601–02/1996) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.07.1997 के इस निर्णय का पालन करें कि अनुसूचित क्षेत्र में सरकारी भूमि पट्टे, आदि के रूप में किसी गैर–जनजातीय व्यक्ति को अन्तरित न की जाए और ऐसे सभी खनन पट्टे केवल जनजातीय लोगों को दिए जाएं **{पैराः 3.13.4(i)}**।

(ii) जनजातीय लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ताकि वे खनन के कार्य करने के योग्य बन सकें **{पैराः 3.13.4(ii)}**।

(iii) खानों और खनिजों से सम्बन्धित अपने अधिनियमों में विशिष्ट कानूनी उपबन्ध करें और गौण खनिजों के बारे में कोई पट्टा देने से पहले ग्राम सभा से सलाह करना उनके लिए आज्ञापक बना दिया जाए **{पैराः 3.13.4(iii)}**।

की गई कार्रवाई

22 (क): खान मंत्रालय ने आवश्यक कार्रवाई शुरु की है| नई राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008, पैरा 7.11 में प्रतिपादित है कि "जहां तक देशीय (जनजातीय) जनसंख्याओं का संबंध है प्रारुप में खनन प्रचालन में उनके लिए हितधारियों के हितों के प्रतिमानों को शामिल किया जाएगा| विशेष रुप से उन परिस्थितियों में जहां स्थानीय जनजातीय जनसंख्याओं जैसे कमजोर वर्गों के खनन हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप आजीविका के अपने साधनों से वंचित रह जाने की संभावना है|" नीति के पैरा 7.9 में यह कहा गया है कि "अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जमा के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने में अनुसूचित जनजातियों को एकल रुप में या सहकारी रुप में प्राथमिकता दी जाएगी|"

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 में नीति निर्देशों के अनुसार प्रारुप एमएमडीआर विधेयक, 2011 संसद में लाया जाएगा (सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2011 को अनुमोदित) जिसमें प्रावधान है कि:-

(1) पांचवे तथा छठे अनुसूचित क्षेत्रों में खनिज रियायतें प्रदान करने में ग्राम सभा/जिला परिषद से परामर्श किए जाने की आवश्यकता है|

(2) पांचवें और छठे अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य अनुसूचित जनजातियों पर सहकारिता को खनिज रियायतें प्रदान करने में प्राथमिकता दी जा सकती है|

22(ख): यह सिफारिश थोड़े संशोधनों के साथ स्वीकार्य है| नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2008, पैरा 7.11 में प्रतिपादित है कि "जहां तक देशीय (जनजातीय) जनसंख्याओं का संबंध है प्रारुप में खनन प्रचालन में उनके लिए हितधारियों के हितों के प्रतिमानों को शामिल किया जाएगा| विशेष रुप से उन परिस्थितियों में जहां स्थानीय जनजातीय जनसंख्याओं जैसे कमजोर वर्गों के खनन हस्तक्षेप के परिणामस्वरुप आजीविका के अपने साधनों से वंचित रह जाने की संभावना है|" जहां स्थानीय जनसंख्या (अनुसूचित जनजातियों सहित) के साथ खनन लाभों की हिस्सेदारी का सिद्धांत स्वीकार्य कर लिया गया है वहीं मंत्रालय लाभ की हिस्सेदारी के लिए स्वभावत: हिस्सों के आबंटन हेतु प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात, जिसे यह मानते हुए कि खनन पट्टे व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों के पास हैं तथा प्रभावित व्यक्तियों तक निधि को सीधे एवं स्पष्ट प्रवाह की अनुमति देने के लिए संशोधित कर दिया गया है, प्रशासनिक रुप से अव्यवहार्य पाया गया था| इस प्रस्ताव को हितधारियों के साथ परामर्श से अंतिम रुप दिया गया था|

तदनुसार, प्रारुप एमएमडीआर विधेयक, 2011 संसद में लाया जाएगा| (सरकार द्वारा दिनांक 30.09.2011 को अनुमोदित) जो यह प्रावधान करता है:-

(1) सभी विस्तार गतिविधियों के लिए उपयुक्त क्षतिपूर्ति उस व्यक्ति या परिवार को देय होगी जिसका कब्जा या भोगाधिकार या परंपरागत अधिकार विस्तार के क्षेत्र पर होगा|

(2) सभी खनन पट्टेधारक प्रत्येक खनन जिले में सृजित किए जाने वाले जिला खनिज संस्था (डीएमएफ) में वार्षिक रुप से भुगतान करेंगे-

- मुख्य खनिजों (कोयले के अलावा) के मामले में रॉयल्टी के बराबर राशि तथा कोयला खनिजों के मामले में लाभ के 26% के बराबर राशि;
- तथा लघु खनिजों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि (चूंकि लघु खनिजों के लिए रॉयल्टी राज्य द्वारा निर्धारित की जाती है तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग-अलग होती है) डीएमएफ को देय होगी|

(3) सभी खनन कंपनियों को खनन द्वारा प्रभावित परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक हिस्से के बराबर आबंटित करना ताकि इनकी उद्यम में स्वामित्व की भावना पैदा हो सके।

(4) सभी खनन कंपनियों को विद्यमान आरएंडआर नीति के तहत यथा निर्धारित रोजगार या अन्य क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी|

(5) खनन के पूरा होने के पश्चात खनन कंपनियां खान के बंद होने तथा पुनरुद्धार प्रक्रिया के एक भाग के रुप में पीड़ित व्यक्तियों को नुकसान, यदि कोई हो, भरना होगा|

(6) पट्टेधारकों द्वारा डीएमएफ में दी गई राशि के एक भाग का आंशिक उपयोग खनन संबंधी प्रचालनों द्वारा प्रभावित लोगों को आवृति भुगतान करने के लिए किया जाएगा|

(7) ऐसे मामले में जहां पहले ही परिवार की मुखिया एक महिला नहीं है तो आर्थिक लाभों का आधा प्रभावित परिवार को संवितरित किया जाता है जो परिवार की सबसे वृद्ध महिला सदस्य को प्राप्त होगा|

(8) खनन प्रचालन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों या परिवारों की पहचान के उद्देश्य के लिए दिनांक 01.01.1997(एसएएमएटीए के निर्णय का वर्ष) की गणना कटऑफ दिनांक के रुप में की जाती है|

सरकार का यह विचार है कि प्रस्तावित प्रावधान वैज्ञानिक खनन पर समझौता किए बिना जनजातीय क्षेत्रों में खनन करने के लिए "सामाजिक लाइसेंस" खनन कंपनियों को दिया जाएगा|

22 (ग): उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएएमएटीए निर्णय में आदेश दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को परंपरागत भूमि से दूर नहीं किया जाना चाहिए तथा खनन सहित कोई विकास गतिविधि पीएसयू या स्वयं जनजातीय लोगों द्वारा की जानी चाहिए| इसके अलावा, जहां भी खनन गतिविधि खनन से लाभ प्राप्त करती है तो इसे बांटा जाना चाहिए| तथापि, बाल्कों मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरुप सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय को आंध्रप्रदेश तक सीमित कर दिया है जिसके पास इसके लिए भूमि के कानून थे, देश में अन्य जनजातीय क्षेत्रों को लाभ देने के लिए एक सामान्य मांग है| यह इशारा किया गया है कि एसएएमएटीए के मामले में निर्णय आंध्रप्रदेश राज्य के लिए विशिष्ट है| उच्चतम न्यायालय द्वारा परिणामी बाल्कों निर्णय में इस स्थिति को बनाए रखा गया है|

लघु खनिजों के लिए रियायतें प्रदान करने से पूर्व ग्राम सभा के परामर्श हेतु पेसा प्रावधानों के संबंध में इस बात की पुष्टि की जाती है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक राज्यों ने अपने लघु खनिज रियायत नियमों में उपयुक्त प्रावधान किए हैं| इसके अलावा, परामर्श प्रक्रिया के संबंध में प्रारुप एमएमडीआर विधेयक, 2011 प्रावधान करता है कि:-

(i) खनिज रियायतों के अनुदान के लिए क्षेत्र (सार्वजनिक भूमि) पर अधिसूचना से पूर्व ग्राम सभा/जिला परिषद्/जिला पंचायत से परामर्श करना अनिवार्य है|

(ii) सभी क्षेत्रों में, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और सीएसआर क्रियाकलापों का प्रकटीकरण खनन योजना के माध्यम से अनिवार्य है|

(iii) खनन योजना सतत् विकास फ्रेमवर्क (एसडीएफ) के अनुरुप तैयार करनी होगी| फ्रेमवर्क परामर्श के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी|

(iv) जब से खनन के लिए पट्टे पर लेने का क्षेत्र मुख्य खनिज के लिए 10 हेक्टेयर और लघु खनिज के लिए 5 हेक्टेयर कम-से-कम निर्धारण किया गया है, पर्यावरण क्लीयरेंस, जिसमें सार्वजनिक सुनवाई को ध्यान में रखना अनिवार्य है, एसडीएफ प्रक्रियाएं इस प्रक्रिया के अनुरुप होनी चाहिएं और यह अलग प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए|

(v) लघु खनिजों के संबंध में, राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के परामर्श से न्यूनतम क्षेत्र सीमा को और घटा सकती है लेकिन ऐसे मामले में एसडीएफ के तहत सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी|

(vi) सभी खानों के लिए एसडीएफ अनिवार्य है और पूर्व खनन से समाप्ति के बाद तक की परामर्श प्रक्रिया सम्मिलित है|

(vii) लघु खनिजों के लिए पीएल/एमएल के अनुदान के लिए, पंचायत की सहमति और एमएसडीआर अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम पेसा अधिनियम की धारा 4 (ट) और (1) को ध्यान में रखना अनिवार्य है|

सिफारिश सं. 23

अनुसूचित क्षेत्रों में जल और अन्य संसाधनों पर जनजातीय लोगों के अधिकारों का सुरक्षण करने के बारे में राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी करने की आवश्यकता है **{पैराः 3.13.6}**।

की गई कार्रवाई

पंचायती राज मंत्रालय ने पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 9 पेसा राज्यों की राज्य सरकारों को वृहद दिशानिर्देश जारी किए हैं| पेसा के तहत ग्राम सभा को अपने लोगों की परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों तथा झगड़ा

निपटाने के प्रथागत तरीके की सुराक्षोपायों एवं संरक्षण के लिए सक्षम माना जाता है| ग्राम सभा में:-

(क): ग्राम पंचायतों की योजनाओं को अनुमोदित करने, योजनाओं हेतु लाभार्थियों के चिह्नित करने, निधियों की उपयोगिता के प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य कार्यकारी कार्य;

(ख): भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास तथा लघु खनिजों के लिए लाइसेंसों/खनन पट्टों का पूर्वेक्षण के मामलों में अनिवार्य परामर्श का अधिकार;

(ग): भूमि के अन्य हस्तांतरण को रोकने तथा अन्य हस्तांतरित भूमि को वापिस दिलाने की शक्ति;

(घ): शराब की बिक्री/उपभोग को नियमित तथा प्रतिबंधित करने की शक्ति;

(ड़): गांव के बाजारों को प्रबंधित करने तथा अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने को नियंत्रित करने की शक्ति;

(च): लघु वन उपज का स्वामित्व;

(छ): सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों तथा कार्यकरणों को नियंत्रित करने की शक्ति;

टीएसपी इत्यादि सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं एवं संसाधनों को नियंत्रित करने की शक्ति|

सिफारिश सं. 24

जनसंख्या मानदंडों को पहाड़ी/ जनजातीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्नलिखित रूप से शिथिल बनाया जा सकता है **{पैरा: 3.14.5}**।

क्रम सं.	केन्द्र का नाम	मौजूदा जनसंख्या मानदंड		मैदानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिथिल मानदंड	पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों के लिए शिथिल मानदंड
		पहाड़ी क्षेत्र	मैदानी क्षेत्र		
1.	उप–केन्द्र/ बहु–प्रयोजनी कार्यकर्ता	3,000	5,000	3,000	1,000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20,000	30,000	20,000	10,000
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80,000	1,20,000	80,000	25,000

की गई कार्रवाई

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए नए एससी, पीएचसी और सीएचसी खोलने के लिए पहले ही लचीले आबादी संबंधी मानदंड हैं| मानक आबादी संबंधी मानदंडों के अतिरिक्त एनआरएचएम शुरु होने से स्वास्थ्य केंद्र खोलने से पूर्व वर्कलोड/केस लोड तथा दूरी को ध्यान में रखा जाता है| केन्द्रों की संख्या संबंधित राज्य की प्राथमिकता पर निर्भर करती है| अपनी आवश्यकता को वार्षिक पीआईपी में शामिल करेंगे जिस पर उस मंत्रालय में विचार किया गया है तथा एनपीसीसी के अनुमोदन के अनुसार वास्तविक कार्यान्वयन के लिए उन्हें निधियां निर्मुक्त की जाती हैं|

सिफारिश सं. 25 (1) से (13)

25: राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी जाए:

(i) प्रत्येक गांव में एक स्वास्थ्य गाइड उपलब्ध कराया जाए ताकि वह जनजातियों को ऐसी बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों की आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का लाभ उठाने की शिक्षा दे सके जिनके लिए जड़ी–बूटियों पर आधारित दवाइयों की अपनी परम्परागत प्रणाली पर्याप्त अर्थात् कारगर नहीं है **{पैराः 3.14.8(i)}**।

(ii) प्रत्येक गांव में कम से कम एक प्रसव परिचारी (अर्थात् दायी) होनी चाहिए और उसके पास डिलिवरी किट, सेप्टिक लिक्विड और नाल काटने वाली कैंची होनी चाहिए। उसके द्वारा कराई गई प्रत्येक डिलिवरी के लिए एक निर्धारित मेहनताना अर्थात् 250 रुपए और डिलिवरी के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली उपभोज्य सामग्री की लागत के लिए 100 रुपए दिए जाने चाहिएं **{पैराः 3.14.8(ii)}**।

(iii) डॉक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को अच्छा आवास, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधाएं, बिना बारी के प्रोन्नति आदि जैसे प्रोत्साहन देने की बहुत ही विश्वसनीय और प्रभावी प्रणाली विकसित करने की जरूरत है ताकि उनकी जनजातीय इलाकों में कार्य करने की अनिच्छा पर काबू पाया जा सके **{पैराः 3.14.8(iii)}**।

(iv) परिवार नियोजन के लाभों तथा विभिन्न संक्रामक रोगों और आनुवंशिक रोगों की जानकारी देने वाले जागरूकता कार्यक्रम वृत्त–चित्रों, विज्ञापनों, पोस्टरों और व्याख्यानों के माध्यम से नियमित अन्तराल पर शुरू किए जाएं **{पैराः 3. 14.8(iv)}**।

(v) सभी उप–केन्द्र महिला/ पुरुष स्वास्थ्य कर्मियों के लिए आवासीय व्यवस्था से युक्त सरकारी भवनों में होने चाहिएं। इन भवनों में पेशाब, एल्बूमिन और

शूगर की जांच हेतु प्रयोगशाला की सुविधा भी होनी चाहिए **{पैराः 3.14.8(v)}**।

(vi) अनुसूचित जनजाति की स्थानीय लड़कियों और लड़कों को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें बहु–प्रयोजनी पुरुष/ महिला स्वास्थ्य कर्मियों के रूप में नियुक्त किए जाने में प्राथमिकता दी जाए **{पैराः 3.14.8(vi)}**।

(vii) सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अपेक्षित सुविधाओं से युक्त ऑपरेशन थियेटर होने चाहिएं **{पैराः 3.14.8(vii)}**।

(viii) प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक एम्बुलेंस वाहन की भी व्यवस्था की जाए **{पैराः 3.14.8(viii)}**।

(ix) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपातकालीन मामलों में अनिवार्य दवाओं को खरीदने के लिए वित्तीय अधिकार दिए जाएं **{पैराः 3.14.8(ix)}**।

(x) अंध–विश्वासों, अज्ञानता और निरक्षरता के कारण जनजातियां सरकार द्वारा समय–समय पर छोटे बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने तथा चेचक के टीके लगाने हेतु शुरू किए गए अभियान का फायदा नहीं उठातीं। अतः, आदिवासी नेताओं की मदद से ब्लॉक और जिला स्तर के प्राधिकारियों के जरिए कार्यक्रमों की अत्यावश्यक उपयोगिताओं के बारे में जनजातियों को शिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है **{पैराः 3.14.8(x)}**।

(xi) जनजातीय इलाकों में और अधिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जाएं जिनमें कम से कम 50 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरी जाएं **{पैराः 3.14.8(xi)}।**

(xii) जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक डाक्टर के लिए (पाठ्यक्रम के पूरा होने पर) शुरू में कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए देश के जनजातीय क्षेत्रों में काम करना आज्ञापक बना दिया जाए **{पैराः 3.14.8(xii)}**।

(xiii) ऐसे डाक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों को, जो जनजातीय इलाकों में कम से कम तीन वर्ष सेवा कर चुके हों, प्रोन्नति के मामले में रियायत/ महत्त्व/ प्रोत्साहन दिया जाए। इन डाक्टरों को आर्थिक प्रोत्साहन भी दिया जाए **{पैराः 3.14.8(xiii)}**।

की गई कार्रवाई

25 (1) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि 1,000 की जनसंख्या या बड़े अधिवासों के लिए प्रत्येक गांव में एक आशा (एएसएचए) है|

जनजातीय, पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्रों मं मानदंड शिथिल किए जा सकते हैं| स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश का कोई कार्यक्रम नहीं है| आशा एक सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयं सेवक संघ है जो सामुदायिक मोबिलाइजर तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य

प्रणाली के बीच अंतरापृष्ठ के रुप में काम करती है| वर्तमान में पूरे देश में 8.5 लाख आशाएं हैं|

25(2) : दिशानिर्देशों के अनुसार सभी प्रसूतियां संस्थानों (उपकेन्द्रों सहित) या घर दोनों पर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट (एसबीए) जो डॉक्टर, नर्स या एएनएम हो सकती है, की उपस्थिति में की जानी चाहिए| वर्तमान में देश की नीति तथा रणनीति उपकेन्द्रों और अन्य उप जिला स्तरीय सुविधाओं में एसबीए को रखने की है| सभी 35 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने इस रणनीति को स्वीकार किया है तथा वे इसको कार्यान्वित कर रहे हैं|

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के मिशन स्टेयरिंग ग्रुप (एमएसजी) ने दिनांक 15.06.2010 को आयोजित अपनी बैठक में जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जनजातीय महिलाओं के संबंध में संस्थागत प्रसूतियों को सरल बनाने के लिए भावी तिथि से प्रति प्रसूति 600 रु. का आशा पैकेज देने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है|

25(3) : राज्यों को राज्य वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से कठिन, बहुत कठिन तथा पहुंच से दूर क्षेत्रों में सेवा करने के लिए डॉक्टरों तथा पैरा मेडिक्स को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निधियों से समर्थन दिया जाता है| राज्यों को आवश्यकता के अनुसार पीसी/सीएचसी/एससी के स्टाफ क्वार्टरों के नए निर्माण/मरम्मत के लिए भी निधियों के साथ समर्थन किया जाता है|

25(4) : परिवार नियोजन के फायदों के बारे में तथा विभिन्न संक्रमणीय बीमारियों तथा जैनेटिक अव्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने के लिए "हमारा घर" नया आश्रय स्थल तथा अन्य प्रकाशनों के माध्यम से उपयुक्त जागरुकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं| इसके साथ समुदायों में जागरुकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य मेलों तथा अन्य आईईसी/बीसीसी गतिविधियां करने के लिए एनआरएचएम के तहत निधियां प्रदान की जाती हैं| मिशन स्टेयरिंग ग्रुप ने दिनांक 21.06.2011 को आयोजित अपनी बैठक में घर पर गर्भ निरोधकों के संवितरण के लिए आशा की सेवाओं को उपयोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था और अत:, परिवार नियोजन के बारे में जन साधारण में जागरुकता पैदा की|

25(5) : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्राथमिकता तथा भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि सभी उपकेन्द्र सरकारी भवनों में होने चाहिएं| आरएचएस 2010 के अनुसार 147069 उपकेन्द्रों में से 85957 उपकेन्द्र सरकारी भवन में कार्य कर रहे हैं|

25(6) : नियुक्ति इत्यादि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है| यह मंत्रालय कार्मिकों को संविदात्मक रुप से किराए पर लेने के लिए वार्षिक पीआईपी के तहत निधियां निर्मुक्त करने के अलावा नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं निभाता है| एनआरएचएम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के चयन में स्थानीय मानदंडों को बढ़ावा देता है|

25(7) : स्वास्थ्य राज्य विषय होने के कारण उनकी आवश्यकता के अनुसार सभी सीएचसी को ऐसी सुविधाएं प्रदान करना राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है| तथापि, एनआरएचएम राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना जो केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति द्वारा अवगत एवं अनुमोदित की जाती है, के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को समर्थन देता है|

25(8) : एनआरएचएम के तहत राज्य ने राज्य पीआईपी में अनुमानित आवश्यकता के आधार पर एम्बुलेंस प्रदान की है| उपलब्ध सूचना के अनुसार पूरे देश में कुल 5527 अपातकालीन यातायात प्रणाली तथा पीएचसी/सीएचसी/एचडीएच/डीएच में 6470 एम्बुलेंस कार्यरत हैं|

25(9) : यह रोगी कल्याण समिति (आरकेएस) के माध्यम से पहले ही कर दिया गया है| उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में कुल 29949 आरकेएस हैं जिनमें से 17028 आरकेएस पीएचसी स्तर पर गठित किए गए हैं| यह मंत्रालय प्रत्येक पीएचसी के लिए प्रतिवर्ष 25 हजार रु. तक की राशि वाली खुली हुई निधियां भी निर्मुक्त करता है, जिसका उपयोग आपातकालीन उद्देश्यों के लिए आरकेएस के माध्यम से किया जाता है|

25(10) : पल्स पोलियो कार्यक्रम जनजातीय तथा अन्य वर्गों सहित 100% लक्षित बच्चों को कवर कर रहा है| अंधविश्वास, अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण यदि कोई मनाही का मामला है तो कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल लोग उन्हें शिक्षित करके तथा उपयुक्त मीडिया गतिविधि द्वारा समुदाय के साथ स्थानीय स्तर पर मुद्दे का हल निकाल लेते हैं| इस प्रक्रिया में, यदि आवश्यक हो, तो कार्यक्रम की स्वीकृति में जनजातीय लोगों की मदद के लिए ब्लॉक तथा जिला प्राधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाता है|

भारत की पोलिया उन्मूलन रणनीति सफल पाई गई थी, क्योंकि वर्ष 2011 के दौरान देश में पोलियो के केवल एक मामले की पहचान की गई थी|

25(11) : केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देश में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति दे रही है|

भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3ख (ख)(ii) के अनुसार आईएमसी अधिनियम, 2010 के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेजों को अंतिम रुप से अनुमोदित करने या गैर-अनुमोदित करने की कवायद सहित केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना धारा 10 (क) के तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना या नए अथवा उच्चतर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए स्वतंत्र अनुमति देना अब राज्यपालों के बोर्ड पर निर्भर करता है| कोई संगठन आईएमसी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुरुप मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राज्यपालों के बोर्ड, एमसीआई को आवेदन कर सकता है| यहां यह उल्लेख किया जाता है कि एनसीआई ने भूमि की आवश्यकता, पूर्वोत्तर राज्यों तथा जनजातीय क्षेत्रों में मेडिकल कॉलोजों की स्थापना के लिए बिस्तरों का अधिभोग तथा बिस्तरों की संख्या के संबंध में मानदंडों को शिथिल किया है|

25(12) तथा (13) : स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों की नियुक्तियां राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं। तथापि, एनआरएचएम के तहत जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रदायकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

- ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए मेडिकल विद्यार्थियों हेतु अनिवार्य ग्रामीण तैनाती, बोंड|
- उपलब्ध डॉकटरों तथा विशेषज्ञों की युक्तियुक्त तैनाती|
- नियुक्ति को तेज करने के लिए राज्यों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार- नियुक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर देना|
- कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय प्रोत्साहन| आभाव को पूरा करने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी)

सिफारिश सं. 26

ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह दी जाती है कि निर्माण सहायता की प्रतिवास–स्थान राशि मैदानी इलाकों में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकक तथा पहाड़ी/ कठिनाई वाले इलाकों में 30,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए प्रति एकक कर दी जाए ताकि विगत दो वर्षों में निर्माण–सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि के प्रभाव को प्रति–संतुलित किया जा सके **{पैराः 3.15.12}**।

की गई कार्रवाई

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि जहां तक आईएवाई के तहत इकाई लागत की वृद्धि का संबंध है इकाई लागत को पहले ही दिनांक 01.04.2010 से मैदानी क्षेत्रों में 35,000 से 45,000 रुपए तक तथा पहाड़ी/कठिन/60 अभिज्ञात एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) क्षेत्रों में 38,500 रुपए से 48,500 रुपए तक बढ़ा दिया गया है| इसके अलावा आईएवाई लाभार्थी ब्याज की अलग-अलग दर (डीआरआई) की योजना के तहत ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 20,000 रुपए तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं|

सिफारिश सं. 27(1) तथा (2)

ग्रामीण विकास मंत्रालय को सलाह दी जाती है कि:

(i) ग्रामीण विकास मंत्रालय ऐसी जनजातीय बस्तियों का, जिन्हें अभी तक सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, राज्य–वार विस्तृत ब्योरा तैयार करे तथा शहरी क्षेत्र समितियों, पंचायतों, नगरपालिकाओं, गैर–सरकारी संगठनों आदि को शामिल करके दसवीं योजना की अवधि की समाप्ति अर्थात् 2007 तक सभी जनजातीय इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करे **{पैराः 3.16.7(i)}**।

(ii) यह सुनिश्चित करें कि आदिवासी इलाकों की सभी सम्पर्क सड़कों को पक्की सड़कों में तथा भीतरी कच्ची सड़कों को सी.सी. सड़कों में तब्दील कर दिया जाएगा तथा उन्हें दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त अर्थात् 2007 तक पक्की सम्पर्क सड़कों के साथ जोड़ दिया जाएगा ताकि वर्षा ऋतु के दौरान भी इन क्षेत्रों में आना–जाना सरल व सुसाध्य हो सके **{पैराः 3.16.7(ii)}**।

की गई कार्रवाई

27 (i)और(ii): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि ग्रामीण सड़कें भारत निर्माण के घटकों में से एक हैं| इसमें मार्च, 2012 तक 500 या अधिक की जनसंख्या वाले जनजातीय (अनुसूची-5) अधिवासों को सभी मौसम वाला संपर्क प्रदान करने की परिकल्पना की गई है| प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) 250 या अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय (अनुसूची-5) क्षेत्रों को सभी मौसम में संपर्क की मांग करता है| यह नोट करने योग्य है कि भारत निर्माण तथा पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कें सभी मौसम वाली सड़के हैं तथा वर्षा ऋतु में भी उपयोग करने योग्य हैं| तथापि, किसी अधिवास की अंदरुनी सड़कें पीएमजीएसवाई की परीधी से बाहर हैं|

सिफारिश सं. 28

इस बात की आवश्यकता है कि गरीब परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी.एस.) के तहत आने वाले खाद्यान्नों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इनकी कालाबाजारी रोकने हेतु प्रभावी अर्थोपाय किए जाएं। उचित होगा कि उचित दर दुकानों का पर्यवेक्षण करने में तथा राजसहायता प्राप्त अनाजों की हकदारी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की पहचान करने में भी पंचायती राज संस्थानों को शामिल किया जाए {पैरा:3.17.8}।

की गई कार्रवाई

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक संवितरण (खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति विभाग) द्वारा जून, 1999 में लक्षित सार्वजनिक संवितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) की बेहतर सहभागिता के लिए तथा सामाजिक लेखा परीक्षा के उपाय के रुप में संवितरण की और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली लाने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं|

2. आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने और संवितरण को बनाए रखने के लिए 31 अगस्त, 2001 को सार्वजनिक संवितरण (नियंत्रण) आदेश, 2001 अधिसूचित किया गया है|

3. उपरोक्त के अलावा टीपीडीएस के लिए आई खाद्य सामग्री के नि:सरण/विपथन की रोकथाम के विचार से 9 कार्य बिन्दु तैयार किए गए थे तथा इसके अनुरुप कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया था| ये 9 कार्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

(क) राज्यों को बीपीएल/एएवाई की सूचियों की समीक्षा करने के लिए तथा नकली राशन कार्ड को हटाने के लिए अभियान चलाना चाहिए|

(ख) खाद्य सामग्रियों के नि:सरण रहित संवितरण को सुनिश्चित करने के लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए| इस संबंध में पीडीएस नियंत्रण के खण्ड 8 तथा 9 के तहत मांगी गई सूचना भी भेजी जाए|

(ग) पारदर्शिता के लिए खाद्य सामग्रियों के संवितरण में चुने हुए पीआरआई सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए| जहां तक संभव हो एफपीएस लाइसेंस एसएचजी, ग्राम पंचायतों, सहकारियों इत्यादि को दिए जाएं|

(घ) बीपीएल/एएवाई की सूचियां सभी एफपीएस पर प्रदर्शित की जानी चाहिएं|

(ङ) सार्वजनिक संवीक्षा के लिए, वेबसाइट और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर खाद्यानों का जिलावार और एफपीएस वार आबंटन सुनिश्चित किया जाना चाहिएं|

(च) माल को लाने ले जाने के लिए निजी ट्रांसपोर्टरों/थोक बिक्रेताओं द्वारा डिलीवरी के बजाय जहां कहीं संभव हो, राज्यों द्वारा खाद्यानों की घर-घर जाकर डिलीवरी सुनिश्चित की जानी चाहिएं|

(छ) एफपीएस स्तर पर खाद्यानों की समय से उपलब्धतता और राशन कार्ड धारकों को संवितरण की नियत तारीखें सुनिश्चित की जानी चाहिए|

(ज) एफपीएस स्तर की सतर्कता समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए| निधियन प्रशिक्षण के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जा सकते हैं|

टीपीडीएस प्रचालनों का कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए|

सिफारिश सं. 29(क) से (ग) (3)

29(क):माननीय प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त, 2002 को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में तीन कार्यक्रमों, अर्थात् (i) एक लाख हैंड पम्प लगाने, (ii) एक लाख प्राइमरी स्कूलों को पेय जल की सुविधाएं मुहैया कराने तथा (iii) पानी के एक लाख परम्परागत स्रोतों का पुनरुद्धार करने की घोषणा की थी। इस बीच, इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु मार्गनिर्देश तैयार कर लिए गए थे तथा वे सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं। ये कार्यक्रम दो वर्षों, अर्थात् 2003–04 और 2004–05 में पूरे किए जाने थे। पेय जल आपूर्ति विभाग जनजातीय लोगों वाले क्षेत्रों के विशिष्ट संदर्भ में इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का पता लगाए **{पैराः 3.18.10}**।

29(ख):पेय जल आपूर्ति विभाग को अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों और अन्य राज्यों, जहां जनजातीय आबादी बहुत ज्यादा है और जिन्हें अभी तक पेय जल मुहैया नहीं कराया गया है, की जनजाति बस्तियों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा एक सर्वेक्षण कराने तथा तद्नुसार इन सभी इलाकों में दसवीं योजना की अवधि के अन्त तक सुरक्षित पेय जल मुहैया कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने की सलाह दी जाती है **{पैराः 3.18.11}**।

29(ग):पेय जल आपूर्ति विभाग, राज्य सरकारों को वर्ष 2007 के अंत तक जनजातीय बस्तियों में सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध करने की सलाह देः **{पैराः 3.18.12}**

(i) मैदानी इलाकों की जनजाति आबादी को हैंड पम्पों की सुविधा मुहैया कराई जाए **{पैराः 3.18.12(i)}**।

(ii) जहां किसी भी कारण से हैंड पम्प लगाना सम्भव न हो, वहां पेय जल के कूओं की व्यवस्था करके उन क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति के लोगों को सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए **{पैराः 3.18. 12(ii)}**।

(iii) जहां हैड पम्प लगाना अथवा कूएं खोदना संभव न हो और जहां सरिता (स्ट्रीम) जैसे पानी के प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हों, वहां पानी के उन स्रोतों को प्रदूषण से बचाया जाए **{पैराः 3.18.12(iii)}**।

की गई कार्रवाई

29 (क) : पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 तक क्रमशः 82,402 हैंडपम्प, 43,900 परंपरागत जल स्रोत सृजित किए गए हैं तथा 68,339 प्राथमिक विद्यालयों को पेय जल से कवर किया गया है|

29(ख) : पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि अधिवासों की स्थिति पर आंकड़े वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष आईएमआईएस पर वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल तक राज्यों द्वारा अद्यतन किए जाते हैं तथा वित्तीय वर्ष हेतु लक्षित अधिवासों की कवरेज पर आंकड़े वास्तविक समय आधार पर अद्यतन किए जाते हैं| 01.04.2011 तक 3,57,727 अनुसूचित जनजाति की सघनता वाले अधिवास थे जिनमें से 96,875 को आंशिक रुप से कवर किया गया था, 26,748 गुणवत्ता प्रभावित थे तथा शेष को पूरी तरह से कवर कर लिया गया था| वर्ष 2011-12 के दौरान 35,520 अनुसूचित जनजाति की सघनता वाले अधिवासों को लक्षित किया गया था तथा अब तक 17,917 अधिवासों को कवर कर लिया गया है| अनुसूचित जनजाति की सघनता वाले अधिवासों में सतत आधार पर पेय जल की आश्वस्त उपलब्धता को तेज करने के लिए मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति की सघनता वाले अधिवासों को पेय जल की आपूर्ति के लिए एनआरडीडब्ल्यूटी निधियों का 10% चिह्नित किया है| राज्य अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर निधियां चिह्नित करते हैं|

29 (ग)(i) से ग(iii): पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि राज्यों को अपने वार्षिक कार्य योजना में अनुसूचित जनजाति की सघनता वाले अधिवासों की कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है| एनआरडीडब्ल्यूपी के दिशानिर्देशों ने भी पाइप द्वारा जल आपूर्ति करने के लिए एक अधिवास में आवश्यक

घरों की कम-से-कम संख्या पर प्रतिबंध को हटा लिया है| यह अनुसूचित जनजाति बहुल अधिवासों की 100% कवरेज का अवसर प्रदान करता है|

प्रत्येक 250 लोगों के लिए एक हैंडपम्प प्रदान करने हेतु मानदंडों को भी हटा लिया गया है| बेहतर मानदंड अपनाने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान किया गया है|

सिफारिश सं. 30 (क) तथा (ख)

30(क):आयोग ने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में (सेनिटरी) शौचालयों के निर्माण के कार्यक्रम को किसी सार्थक तरीके से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जो शौचालय बनाए गए हैं, वे बहुत घटिया किस्म के हैं और अधिकतर मामलों में वे उपयोग में लाए जाने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि वे न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से युक्त भी नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप उनमें से अधिकतर का उपयोग करना छोड़ दिया गया है। इसलिए, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य निकायों द्वारा किए गए कार्य का कड़ाई से निरीक्षण करने की प्रणाली तैयार करना जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकारों द्वारा इस बात की पूरी तसल्ली होने के बाद ही अनुदान रिलीज किए जाएं कि इन शौचालयों में जल, दरवाजों आदि जैसी न्यूनतम सुविधाएं गैर–सरकारी संगठनों अथवा निकायों को, जिन्हें यह काम सौंपा गया है, अनुदान रिलीज करते समय उपलब्ध हैं **{पैराः 3.20.2}**।

30(ख):ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करने संबंधी कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जाए तथा अलग–थलग पड़ी जनजाति बेल्टों/ पॉकेटों में इन स्वच्छ शौचालयों के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। गैर–सरकारी संगठनों और स्थानीय निकायों को शामिल करके इस कार्यक्रम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए वित्तीय आबंटन में वृद्धि करने की भी जरूरत है **{पैराः 3.20.2}**।

की गई कार्रवाई

30 (क) : पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने सूचित किया है कि कुल स्वच्छता अभियान (टीएससी) ने स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण एवं उपयोग के पश्चात बीपीएल घरों को प्रोत्साहन के लिए प्रावधान किया है| घरेलू शौचालय का निर्माण बीपीएल घरों द्वारा स्वयं किया जाना चाहिए| पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2011 से व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के प्रोत्साहन को 2200 रु. (पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए 2700 रु.) से बढ़ाकर 3200 रु. (पहाड़ी और कठिन क्षेत्रों के लिए 3700 रु.) कर दिया गया है| प्रोत्साहन में संशोधन का उद्देश्य गुणवत्तापरक घरेलू शौचालयों का निर्माण करने के लिए घरों को समुचित रुप से प्रोत्साहित करना है| टीएससी का आधारभूत उपागम शौचालयों के

निर्माण को सब्सिडी देने के बजाए प्रभावी आईईसी के माध्यम से जागरुकता सृजन करना तथा व्यवहार में बदलाव लाना है|

30 (ख) : कुल स्वच्छता अभियान (टीएससी) का लक्ष्य वर्ष 2017 तक संपूर्ण ग्रामीण भारत में सार्वजनिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करना है| इसमें संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालयों का प्रावधान शामिल है| यह दोहराया जाता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए स्वच्छता सुविधाएं टीएसपी का एक अखंड हिस्सा है| अनुसूचित जनजाति के लिए अलग पारिवारिक शौचालयों के निर्माण को पर्याप्त प्राथमिकता दी जाती है| अनुसूचित जनजाति द्वारा बसे हुए किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित समूह पर उचित ध्यान भी दिया जा रहा है| सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए मांग सृजन पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि उनके निर्माण से अनुसूचित जनजाति आवश्यक लाभ प्राप्त करने में समर्थ हों| अनुसूचित जनजाति के लिए टीएससी के अंतर्गत की गई प्रगति की भी निगरानी की जाती है| कुल स्वच्छता अभियान (टीएससी) संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में टीएससी के कार्यान्वयन में एनजीओ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है| कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय आबंटन 2006-07 में 800.00 करोड़ रुपए से 2011-12 में बढ़ाकर 1500.00 करोड़ रुपए कर दिया गया है| वर्ष 2011-12 हेतु आबंटन के 10% अर्थात 150.00 करोड़ रु. का विशिष्ट प्रावधान भी अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है|

सिफारिश सं. 31

ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (आर.ई.जी.एस.) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु नोडल मंत्रालय है, राज्य सरकारों को सलाह दे कि वे स्कीम के अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध लाभानुभोगियों के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े प्रस्तुत करें तथा मंत्रालय इस स्कीम के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अन्य लाभानुभोगियों के साथ–साथ अनुसूचित जनजातियों के लाभानुभोगियों के (राज्यवार) आंकड़ों का भी निम्नलिखित रूप में उल्लेख करें: **{पैराः 3.21.3.4}**

की गई कार्रवाई

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का कार्यान्वयन 2006-07 में शुरु हुआ| आंकड़े मनरेगा एमआईएस की रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा एकत्र किए जा रहे हैं और ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट http://nrega.nic.in पर उपलब्ध हैं| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियां की सहभागिता के संबंध में आंकड़े मनरेगा अधिनियम, 2005 पर वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किये जाते हैं जो प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है|

सिफारिश सं. 32 (क) तथा (ख)

32(क):मध्य प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजाति माता–पिता को अपनी बेटियों की सामूहिक शादियों में, जिनमें कम से कम पांच जोड़े शादी के लिए सहमत हों, प्रत्येक मामले में 1000/– रुपए की वित्तीय सहायता देने की एक स्कीम कार्यान्वित कर रही है। अनु.ज.जा. माता–पिता की आय की उच्चतम सीमा 12,000/– रुपए है। राज्य सरकार अनु.जा. के माता–पिता की बेटियों की शादी के बारे में भी एक अन्य स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सामूहिक शादियों का कोई प्रतिबन्ध नहीं है और वित्तीय सहायता की राशि 5000/– रुपए प्रति मामला है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को मध्य प्रदेश सरकार को सलाह देनी चाहिए किः **{पैराः 3.22.3}**।

(i) केवल एक स्कीम हो जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों के माता–पिताओं को समान वित्तीय सहायता राशि मुहैया कराए। मौजूदा सहायता की मात्रा अनुसूचित जनजाति माता–पिताओं के लिए 1,000/– रुपए और अनुसूचित जाति माता–पिताओं के लिए 5,000/– रुपए है। अतः मौजूदा जीवनयापन लागत को देखते हुए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दोनों के लिए इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000/– रुपए किया जाना चाहिए **{पैराः 3.22.3(i)}**।

(ii) अनुसूचित जनजाति के मामले में सामूहिक विवाहों की मौजूदा शर्त को समाप्त कर देना चाहिए तथा वित्तीय सहायता मामला–दर–मामला के आधार पर दी जाए न कि सामूहिक विवाहों के आधार पर, जैसे कि अनुसूचित जातियों के मामले में दी जाती है **{पैराः 3.22.3(ii)}**।

(iii) इस स्कीम के तहत आय सीमा को 12,000/– रुपए वार्षिक से बढ़ाकर बी. पी.एल. परिवार के तहत वार्षिक आय राशि के दुगुने के बराबर कर दिया जाए **{पैराः 3.22.3(iii)}**।

32(ख):जनजातीय कार्य मंत्रालय को ऐसे राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों (जहां ऐसी कोई स्कीम नहीं है) को सलाह देनी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता–पिता, जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की वार्षिक आय से दुगुनी है, को प्रत्येक वैयक्तिक मामले में कम से कम 10,000/– रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए एक स्कीम बनानी चाहिए। जिन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में पहले से ऐसी स्कीम हों, उन्हें यह संशोधन करने की सलाह दी जाए कि वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाकर अनुसूचित जनजाति दुल्हनों के माता–पिता के लिए प्रत्येक मामले में कम से कम 10,000/– रुपए (यदि मौजूदा राशि 10,000/– रुपए से कम हो) तथा इसी प्रकार, आय सीमा को बढ़ाकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की वार्षिक आय से दुगुनी (यदि मौजूदा आय सीमा उस राशि से कम हो) कर दिया जाए **{पैराः 3.22.4}**।

की गई कार्रवाई

32 (क) (1) से (3) : मध्यप्रदेश सरकार को आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है|

32 (ख) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयोग की सिफारिशों पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है|

सिफारिश सं. 33 (क) से (ग)

33(क):राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री बुदुरु श्रीनिवासुलु ने 12 अगस्त, 2005 को विशाखापट्टनम में आन्ध्र प्रदेश राज्य में गिरिजन सहकारी निगम के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। माननीय सदस्य को प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह बताया गया था कि जनजातीय लोगों के लिए भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गिरिजन सहकारी निगम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष जनजातियों को गौण वन उत्पादों के लिए कृषकों के समान न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था ताकि निगम बाजार की प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान भी जनजातियों को बेहतर मूल्य दे सके। आयोग का विचार है कि यह एक उपयुक्त प्रस्ताव है और जनजातीय कार्य मंत्रालय को बाजार की प्रतिकूल स्थितियों में अनु.ज.जा. के हितों की रक्षा के लिए इस पर अनुकूल दृष्टि से विचार करना चाहिए। जनजातीय कार्य मंत्रालय को विशेष रूप से गिरिजन सहकारी निगम और सामान्यतः एस.टी.डी.सी. के सम्बन्ध में, इस विषय में शीघ्र फैसला करना चाहिए **{पैराः 3.23.4(i)}**।

33(ख):कई जनजातियों की आय का स्रोत केवल गौण वन उत्पाद हैं तथा वे अपनी जीविका के लिए केवल इस कार्यकलाप पर निर्भर करते हैं। तथापि, गौण वन उत्पादों की अधिप्राप्ति कोई सतत् क्रियाकलाप नहीं है, क्योंकि जुलाई से अक्तूबर तक की अवधि कम पैदावार वाली (लीन) अवधि होती है, जिसमें अपर्याप्त गौण वन उत्पादों की ही फसल कटाई की जा सकती है। कम पैदावार वाली अवधि में गौण वन उत्पादों के मूल्य–वर्धन का कार्य जनजातियों के लिए कुछ रोजगार दिला सकता है और इसके लिए उन सभी डिवीजनल क्षेत्रों में, जहां कहीं गौण वन उत्पाद रूपान्तरण के लिए आसानी से उपलब्ध हों, स्व–स्थाने प्रसंस्करण केन्द्र खोले जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस प्रस्ताव की साध्यता पर विचार करने की सलाह दे सकता है **{पैराः 3.23.4(ii)}**।

33(ग):डी.आर. आपूर्ति केन्द्रों की स्थापना और अधिक स्थानों पर महत्त्वपूर्ण जनजाति आवासों से कम से कम 5 से 6 कि.मी. के दायरे में की जा सकती है। आयोग ने देखा है कि डी.आर. डिपुओं में पर्याप्त रूप से सामान नहीं होता। कुछ डिपुओं के भवन बगैर बिजली के छप्परों में हैं। इन डिपुओं को पक्की इमारतें बनाकर चरणबद्ध ढंग से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। राज्य सरकारों को इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह देने की जरूरत है **{पैराः 3.23.4(iii)}**।

की गई कार्रवाई

33(क) : भारत सरकार ने डॉ. टी.हक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है तथा इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण लघु वन उपजों के न्यूनतम समर्थन

मूल्य की शुरुआत करने की सिफारिश की है| मामला सरकार के सक्रिय रुप से विचाराधीन है|

33(ख) : डॉ. टी.हक ने एमएफपी के मूल्य संवर्धन पर अपनी सिफारिश दी है तथा यह मुद्दा भी समिति की अन्य सिफारिशों के साथ विचाराधीन है| राज्य सरकारों को उपयुक्त रुप से सलाह दी गई है|

33(ग) : डॉ. टी.हक समिति ने एमएफपी के लिए भंडारण तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं पर अपनी सिफारिशें दी हैं तथा यह मुद्दा भी समिति की अन्य सिफारिशों के साथ विचाराधीन है| राज्य सरकारों को उपयुक्त रुप से सलाह दी गई है|

सिफारिश 34 (क) से (घ)

34(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दे कि उनके नियन्त्रणाधीन राज्य चेनलाइजिंग एजेन्सियों को स्कीमों की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए ऋण प्रस्तावों की जांच एक उचित समयावधि में कर लेनी चाहिए तथा ऋण की समय पर निर्मुक्ति हेतु उन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.) को भेज देना चाहिए। राज्य चेनलाइजिंग एजेन्सियों को यह पता लगाने के अर्थोपाय करने चाहिएं कि क्या स्वीकृत एवं विमोचित किया गया ऋण लाभानुभोगियों द्वारा उसी प्रयोजन हेतु उपयोग किया गया है अथवा नहीं, जिसके लिए ऋण स्वीकृत किया गया था **{पैरा 3.25.7}**।

34(ख): एन.एस.टी.एफ.डी.सी. अपने द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्कीमों तथा इन स्कीमों के तहत मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जनजाति राज्यों में पर्याप्त प्रचार करने के लिए उपयुक्त अर्थोपाय तैयार करे **{पैराः 3.25.9(i)}**।

34(ग) एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को चाहिए कि वह जनजातियों को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. द्वारा वसूल की जा रही ब्याज दर पर सीधे बैंकों से ऋण लेने के लिए जनजातियों को अनुमति देने की भी जांच करे तथा एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और बैंकों की ब्याज की दरों के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सम्बन्धित बैंकों को ब्याज सब्सिडी मुहैया करने की संभावनाओं की भी जांच करे। यदि एन.एस.टी.एफ.डी.सी. के पास उक्त ब्याज सब्सिडी मुहैया कराने के लिए निधियां न हों तो जनजातीय कार्य मंत्रालय को एन.एस.टी.एफ.डी.सी. को आवश्यक निधियां मुहैया करानी चाहिएं **{पैराः 3.25.9(ii)}**।

34(घ): आयोग सिफारिश करता है कि लाभानुभोगी परिवार के सम्बन्ध में विभिन्न स्कीमों के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आय पात्रता मापदंडों में वृद्धि की जाए अर्थात् शहरी क्षेत्रों में 54,500/– रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 39,500/– रुपए की मौजूदा आय सीमा को बढ़ाकर 1.00 लाख रुपए वार्षिक किया जाए **{पैराः 3.25.10}**।

की गई कार्रवाई

34(क): राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनसीटीएफडीसी) के दिशानिर्देशों में आवेदकों द्वारा ऋण प्रस्तावों की प्रस्तुति के लिए प्रपत्र शामिल है| इस प्रपत्र में तकनीकी और लाभप्रदता विश्लेषण दोनों के लिए प्रणाली निहित है| इसने एनएसटीएफसी को प्रस्ताव अग्रेषित करने से पूर्व आवेदक के प्रस्ताव की प्रामाणिकता और व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एससीए को सुविधा प्रदान की है| इसके अतिरिक्त, योजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एनएसटीएफडीसी की परियोजना क्लीयरेंस समिति (पीसीसी) द्वारा भी प्रस्तावों के बारे में अवगत कराया जाता है|

इस प्रयोजन के लिए ऋणों की उपयोगिता की पुष्टि करने के लिए एनएसटीएफडीसी, एससीए के साथ स्वीकृति उपरांत संयुक्त निरीक्षण करता है|

उपर्युक्त के होते हुए भी, आयोग की सिफारिशों को, यह पता लगाने के लिए कि लाभार्थियों द्वारा लिए गए ऋणों को उसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिसके लिए इन्हें स्वीकृत किया गया था, उपाय सुझाने के लिए एससीए के समक्ष रखा जाएगा|

34(ख) : एनएसटीएफडीसी नियमित रुप से मुख्य क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के बीच इसकी योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार करता है| निगम जनजातीय शासित इलाकों में जागरुकता कैम्पों का आयोजन भी करता है| इन कैम्पों में, एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं का वर्णन करने संबंधी दिशानिर्देश लक्षित समूहों का क्षेत्रीय भाषाओं में वितरित किए जाते हैं| आकाशवाणी के माध्यम से भी कभी-कभी प्रचार किया जाता है|

34(ग): एनएसटीएफडीसी ने पहले से ही इस संबंध में कार्रवाई शुरु कर दी है और रियायती ब्याज दरों पर एनएसटीएफडीसी की सूक्ष्म लघु योजना के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए सिंडीकेट बैंक, देना बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है| इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं|

34(घ): एनएसटीएफडीसी के उधार देने के मानदंडों के अनुसार, उन अनुसूचित जनजाति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिनकी शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के लिए गरीबी रेखा से दो गुने तक वार्षिक पारिवारिक आय है| यह सीमा समय-समय पर योजना आयोग द्वारा यथा निर्धारित गरीबी रेखा आय सीमा पर आधारित है|

सिफारिश सं. 35

एन.एस.टी.एफ.डी.सी. और सम्बन्धित एस.सी.ए. को ऋण स्वीकृत और विमोचित करने से पहले ऋण लेने वाले व्यक्ति की जनजाति सम्बन्धी स्थिति की वास्तविकता का सावधानीपूर्वक सत्यापन करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कीम के लाभ केवल वास्तविक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही मिल रहे हैं तथा इस स्कीम का वास्तविक प्रयोक्ता केवल जनजाति का ही है **{पैराः 3.25.11}**।

सिफारिश सं. 36

जनजातीय कार्य मंत्रालय को एक मॉनीटरिंग मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक प्रगति हेतु राज्यों के विभिन्न जनजाति विकास सहकारी निगमों को दी गई धनराशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके **{पैराः 3.26.8}**।

की गई कार्रवाई

(35) तथा (36) : एनएसटीएफडीसी के दिशानिर्देश एनएसटीएफडीसी के प्रस्ताव अग्रेषित करने से पूर्व आवेदक की जनजातीय स्थिति की प्रामाणिकता सहित पात्रता मानदंड का पता लगाने के लिए हैं| इसके अतिरिक्त, एनएसटीएफडीसी से निधियां प्राप्त करने अथवा स्वीकृति के लिए एनएसटीएफडीसी के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अथवा उपयोगिता रिपोर्ट की प्रस्तुति के समय, एससीए यह प्रमाणित करती है कि सभी आवेदक अनुसूचित जनजाति के हैं और उनकी आय सीमाएं एनएसटीएफडीसी के मानदंडों के अनुसार हैं|

सिफारिश सं. 37

जनजातीय कार्य मंत्रालय लोक सभा, राज्य विधान–सभा और पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजनार्थ ऐसे समुदायों, जिन्हें 2001 की जनगणना के बाद अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई थी तथा ऐसी अन्य जनजातियों को, जिन्हें भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद भविष्य में मान्यता मिल सकती है, ध्यान में रखने के लिए परिसीमन अधिनियम, 2002 में समर्थकारी उपबन्ध करने हेतु उपयुक्त विधेयक तैयार करने की कार्रवाई यथाशीघ्र शुरू करे ताकि उसे संसद में प्रस्तुत किया जा सके **{पैराः 3.27.2}**।

की गई कार्रवाई

विधि और न्याय मंत्रालय सीमाएं हटाने के लिए नोडल मंत्रालय है, आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को हटाने संबंधी सचिवों के उच्च स्तरीय समूह द्वारा मामले की जांच कराई है| इसकी रिपोर्ट विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा 27.08.2007 को माननीय प्रधानमंत्री को प्रस्तुत कर दी गई थी|

अध्याय - 4

अध्याय - 4 विस्थापित जनजातीय लोगों का पुनःस्थापन और पुनर्वास

सिफारिश सं. 19 (क) से (घ)

19(क): एक उपयुक्त केन्द्रीय विधान या तो अलग से या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के एक भाग के रूप में बनाया जाए, ताकि विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण के कारण विस्थापित होने वाले संभावित व्यक्तियों का सुव्यवस्थित पुनःस्थापन और पुनर्वास हो सके। इससे सभी राज्य सरकारों द्वारा एक–समान पुनःस्थापन और पुनर्वास पैकेज को अपनाया जाना सुनिश्चित हो जाएगा **{पैराः 4.1.2}**।

19(ख): केन्द्रीय विधान बनने और राज्य सरकारों द्वारा ऐसे ही विधान बनाए जाने तक राज्य सरकारों को यह सलाह देने की आवश्यकता है कि पुनःस्थापन और पुनर्वास के पैकेजों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि **{पैराः 4.1.3}**:

(i) विस्थापित व्यक्तियों को भूमि के बदले भूमि दी जाए जिसकी गुणवत्ता और कानूनी स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसीकि उस भूमि की थी, जो पहले उनके पास थी, ताकि वे अपनी वर्तमान जरूरतों और भावी विकास का ध्यान रख सकें। यदि प्रभावित व्यक्ति नकद अथवा वस्तु के रूप में क्षतिपूर्ति चाहते हों तो उनकी क्षतिपूर्ति, उपयुक्त गारन्टियों के साथ, उसी प्रकार की जानी चाहिए।

(ii) विस्थापित जनजातीय परिवारों के सभी सदस्यों के लिए स्थायी जीविका सुनिश्चित करने के लिए उस परिवार के प्रत्येक वयस्क को नई आबादी में 5 एकड़ सिंचित भूमि आबंटित की जानी चाहिए और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक परिवार के सभी आबंटितियों को एक ही स्थान पर भूमि दी जाए।

19(ग)**:** राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी जाए किः

(i) भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन जनजातीय लोगों के, जिन्हें उनकी भूमि से विस्थापित किए जाने की संभावना हो, पुनःस्थापन और पुनर्वास की ऐसी व्यवस्था तैयार की जाए, जिससे वे सन्तुष्ट हों **{पैराः 4.1.4(i)}।**

(ii) प्राप्त की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति की दर अधिग्रहण के समय भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाए न कि उस क्षेत्र की भूमियों की पुरानी रजिस्ट्रियों की लेनदेन दरों पर, जो कई वर्ष पहले हुई हों। क्षतिपूर्ति दरों का निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि कृषि भूमि का अधिग्रहण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जा रहा था। अतः, भूमि की लागत बहुत अधिक होगी और इसलिए क्षतिपूर्ति की दरों का निर्धारण करने के लिए भूमि के इस वर्धित मूल्य को ध्यान में रखा जाए **{पैराः 4.1.4(ii)}।**

(iii) औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जनजाति भूमि का अधिग्रहण करते समय यह ध्यान में रखा जाए कि जनजातीय परिवारों का संभावित विस्थापन कम से कम हो और जहां विस्थापन अपरिहार्य हो, वहां राज्य सरकारें पुनःस्थापन और पुनर्वास नीतियां बनाते समय यह सुनिश्चित करें कि विस्थापित जनजातीय परिवारों को उन जनजातीय पट्टियों में ही पुनःस्थापित किया जाए जहां अन्य जनजातीय समुदाय रह रहे हों ताकि उनकी सांस्कृतिक विरासत को बचाया जा सके **{पैराः 4.1.4(iii)}।**

(iv) इस उद्देश्य से उपयुक्त हिदायतें जारी करें कि उद्योगों के मालिक प्रभावित जनजातीय परिवारों (अर्थात् जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है) के सदस्यों को चाय की

दुकानें, नाश्ता बार चलाने, औद्योगिक संयंत्रों, आदि के परिसरों में कैंटीनें चलाने के लिए लाइसेंस देने में तरजीह देंगे **{पैराः 4.1.4(iv)}**।

(v) नए अधिग्रहण किए गए क्षेत्रों में उभरते हुए उद्योगों के लिए अनिवार्य बनाया जाए कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्षतिपूर्ति और प्रतिस्थापित भूमि के आबंटन के अतिरिक्त, प्रत्येक विस्थापित परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को उचित समयावधि में औद्योगिक/ खनन आदि परियोजनाओं में उपयुक्त नौकरी दी जाएगी **{पैराः 4.1.4(v)}**।

(vi) यदि विस्थापित जनजातीय परिवार के पास भूमि अधिग्रहण से पहले एक से अधिक गांवों में भूमि थी, तो प्रत्येक गांव में उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले एक–एक व्यक्ति को उपयुक्त नौकरी भी दी जानी चाहिए **{पैराः 4.1.4(vi)}**।

19**(घ):** राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि उन जनजातीय परिवारों को, जिन्हें भूमि आबंटित की गई है और वे उस भूमि पर विगत कई वर्षों से अर्थात् 10 वर्ष अथवा उससे भी अधिक वर्षों से खेती कर रहे हैं और उसके लिए उन जनजातीय परिवारों को पट्टे नहीं दिए गए हैं, तो उन्हें पट्टा–धारकों अथवा उनके समान माना जाए, जिनके पास विकास के प्रयोजनार्थ प्राप्त की जाने वाली उनकी भूमि की क्षतिपूर्ति की अदायगी के प्रयोजन हेतु पैतृक भू–सम्पत्तियां हैं **{पैराः 4.1.5}**।

की गई कार्रवाई

19 (क): ये सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दी गई है|

भू-संसाधन विभाग (डीएलआर) द्वारा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, 2007 बनायी गई है| बड़े पैमाने पर विस्थापन जितना हो सके उतना कम करना इसका एक उद्देश्य है| परियोजना प्रयोजन के अनुरूप से केवल न्यूनतम भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है| बंजर भूमि, विकृत या असिंचित भूमि पर जितनी हो सके उतनी परियोजनाएं स्थापित की जानी चाहिए| परियोजना में गैर कृषि उपयोग के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम रखा जाए। इन प्रयोजनों के लिए बहुफसल भूमि को यथासाध्य वर्जित करें और यदि सिंचित भूमि का अधिग्रहण सम्भव नहीं है तो अधिग्रहण न्यूनतम होना चाहिए| यह नीति विस्थापित परिवारों को व्यापक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना लाभ भी प्रदान करती है|

इसके अतिरिक्त, भू संसाधन विभाग (डीएलआर) ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक, 2011 का प्रारूप तैयार किया था जिसे 29 जुलाई, 2011 को सभी हितधारियों तथा जन साधारण से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक रुप से रखा गया था| टिप्पणियां 31 अगस्त, 2011 तक आमंत्रित की गई थी| उपर्युक्त विधेयक लोकसभा में 7 सितंबर, 2011 को प्रस्तुत किया गया है| माननीय अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा विधेयक जांच के लिए और संसद को रिपोर्ट करने के लिए ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है|

विधेयक भू संसाधन विभाग की वेबसाइट (www.dolr.nic.in) पर उपलब्ध है|

19 (ख): सिफारिशें विचार तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को सूचित की कर दी गई हैं|

भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 की दूसरी अनुसूची विस्थापित परिवारों को सुस्थिर जीविका सुनिश्चित करने के अन्य प्रावधानों के साथ 'भूमि के लिए भूमि' प्रावधान भी है|

19 (ग): सिफारिशें विचार तथा आवश्यकता कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई हैं|

(i) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक में प्रावधानों की स्वीकृति के साथ इसके संबंध में शर्त है कि क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान विस्थापन के पहले कर दिया जाएगा।

(ii) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 की पहली अनुसूची अधिग्रहित भूमि के लिए व्यापक पैकेज प्रदान करती है|

(iii) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 में मुख्य सचिव समिति ने केवल न्यूनतम विस्थापन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा है| इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के लिए विधेयक की दूसरी अनुसूची में विशेष प्रावधान हैं|

(iv) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 की दूसरी अनुसूची पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना हकदारियों के साथ-साथ काम, छोटी-मोटी दुकानों की लागत आदि प्रदान करती है|

(v) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 की दूसरी अनुसूची में प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए।

(vi) भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक, 2011 की दूसरी अनुसूची प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जाए। यह प्रावधान पर्याप्त प्रतीत होता है क्योंकि परिवार के एक से अधिक सदस्यों को नौकरी देना मुश्किल है।

19 (घ): सिफारिशें विचार और आवश्यक कार्यवाई के लिए राज्य सरकारों को सूचित कर दी गई हैं।

भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया है कि एलएआरआर विधेयक के खंड 3(ग)(v) में 'प्रभावित परिवार' की परिभाषा में ऐसे अधिन्यासी शामिल हैं|

सिफारिश सं. 20 (क) तथा (ख)

20(क): जल संसाधन मंत्रालय ने सूचित किया है कि तीन राज्यों (अर्थात मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र) के सम्बन्ध में कुल 51,447 परियोजना–प्रभावित परिवारों में से 33,153 परिवारों को पहले से पुनःस्थापित किया जा चुका है और 18,294 परिवारों को (31.1.2006 की स्थिति के अनुसार) अभी बसाया जाना है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 75 प्रतिशत परियोजना–प्रभावित परिवार अनुसूचित जनजातियों के हैं, आयोग परियोजना–प्रभावित परिवारों के पुनःस्थापन की धीमी प्रगति पर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकता। अतः, आयोग गम्भीर चिन्ता के साथ उल्लेख करता है कि 18,294 परिवार अभी पुनःस्थापित किए जाने हैं। इसलिए यह जरूरी है कि मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित हुए जनजातीय लोगों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के समूचे मामले को जनजाति सलाहकार परिषद के समक्ष रखा जाए और आयोग को परिषद के विचारों और उन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए **{पैराः 4.3.6और 4.3.8}।**

20(ख): गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों को सलाह दी जाए किः

(i) वे शेष 18,294 परियोजना–प्रभावित परिवारों के शीघ्र पुनःस्थापन के लिए तत्काल कार्रवाई करें तथा उनके पुनःस्थापन और पुनर्वास हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 4.3.9)}।**

(ii) वे शेष 18,294 परिवारों में से (जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यथासूचित) उन जनजातीय परिवारों की संख्या का पता लगाएं, जिन्हें अभी पुनःस्थापित और पुनः बसाया जाना है तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उनके (अर्थात जनजातीय लोगों के) शीघ्र पुनःस्थापन के लिए की गई कार्रवाई के बारे में इस कठोर तथ्य को देखते हुए पता लगाएं कि अनुसूचित जनजातियां समाज के सर्वाधिक कमजोर वर्ग हैं तथा विस्थापित/प्रभावित जनजातीय परिवारों के पुनःस्थापन में और विलम्ब होने से उनकी आजीविका सम्बन्धी समस्याएं और बढ़ जाएंगी **{पैराः 4.3.9}।**

की गई कार्रवाई

20 (क):मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की सिफारिशों पर विचार करें तथा आवश्यक कार्रवाई करें|

20(ख)(i)से(ii):मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग की सिफारिशों पर विचार करें तथा आवश्यक कार्रवाई करें|

<u>अध्याय – 5</u>

अध्याय – 5 : अनुसूचित जनजातियों का शैक्षणिक विकास

सिफारिश सं. 1 (क) से (च)

1(क): राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे बच्चों के माता–पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्हें शिक्षा के महत्त्व और उससे प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी देने के लिए, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम शुरू करें **{पैराः 5.2.3(ii)}।**

1(ख): जनजातीय क्षेत्रों में चलाए जाने वाले अधिकतर स्कूल एक–एक अध्यापक द्वारा ही चलाए जाते हैं। यदि अध्यापक बीमारी के कारण अथवा किसी घरेलू कारणवश छुट्टी ले लेता है, तो स्कूल में कोई अध्यापक नहीं रहता, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई में हर्ज होता है। इसके अलावा, जनजातीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए नियोजित किए गए अधिकतर अध्यापक जीवन की जनजातीय शैली, उनकी परम्पराओं और मूल्य–प्रणाली, आदि में बहुत कम रुचि लेते हैं। इसलिए, जनजातीय क्षेत्रों में एकल अध्यापक वाले स्कूलों में एक–एक अध्यापक और तैनात किए जाने की तत्काल आवश्यकता है **{पैराः 5.2.3(iii)}।**

1(ग): यह देखा गया है कि अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास और अन्य क्षेत्रों से भी सम्बन्धित धनराशियों के काफी बड़े भाग का उपयोग नहीं किया जाता अथवा उन्हें कार्यान्वयन एजेंसियो को रिलीज़ नहीं किया जाता। राज्य सरकारों में इन निधियों का व्यपर्तन अन्य क्षेत्रों में करने की प्रवृत्ति भी है। इसलिए, यह आवश्यक है कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाए कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए निर्धारित क्रियाकलापों के लिए, जिनमें शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है, कार्यान्वयन एजेंसियों को धनराशियां रिलीज़ की जाएं और शिक्षा के लिए अभिप्रेत धनराशियों का उपयोग अन्य क्षेत्रों में करने से बचा जाए **{पैराः 5.2.4(i)}।**

1(घ): राज्य सरकारों को सलाह दी जाए किः

(i) अनुसूचित जनजाति के बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने और कम महिला साक्षरता दर वाली पॉकेटों में लड़कियों के लिए और छात्रावास खोलने की भी सलाह दी जाए **{पैराः 5.2. 4(ii)}।**

(ii) एक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में केन्द्रीय विद्यालय अथवा नवोदय विद्यालय अथवा एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल, आदि जैसा कम से कम एक उत्कृष्टता स्कूल होना चाहिए **{पैराः 5.2.4(iii)}।**

(iii) स्वयं जनजातीय समुदायों के ही अध्यापक नियुक्त किए जाएं, जिन्हें स्थानीय बोली की जानकारी हो, अथवा कुछ प्रोत्साहनों के साथ जनजातीय क्षेत्रों के लिए अध्यापकों का एक अलग संवर्ग बनाया जाए। चूंकि जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की पहले से ही कमी है, इसलिए इन स्कूलों के अध्यापकों को न केवल जनगणना के कार्य के समय गणना करने की ड्यूटियों से, बल्कि अन्य सर्वेक्षण ड्यूटियों से भी छूट दी जाए **{पैराः 5.2.4(iv)}।**

1(ङ.): राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन स्कूलों और छात्रावासों का अनुरक्षण उपयुक्त रूप से किया जाए और अपेक्षित सुविधाएं सही रूप में उपलब्ध हों और रिहायशी स्कूलों और छात्रावासों में जो खाद्य परोसा जाता है, उसकी गुणवत्ता और मात्रा में भी सुधार किया जाए **{पैराः 5.2. 4(v)}।**

1(च): वे जनजातीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक और स्कूल खोल कर और लड़कियों के माता–पिता को लड़कियों को स्कूल भेजने के लिए और प्रोत्साहन देकर, जो अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लेखन–सामग्री, स्कूल बैगों, मध्याह्न भोजन स्कीम के अन्तर्गत पके हुए भोजन, आदि के

रूप में दिए जा रहे मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा हों, अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता दर में सुधार करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें {**पैराः 5.2.4(vi)**}।

की गई कार्रवाई

1(क): प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकीकरण के साथ सार्वभौमिकीकरण पहुंच के सभी उद्देश्य तथा प्रतिधारणा, लिंग सेतु और शिक्षा में सामाजिक श्रेणी भेद को कम करने, और पढ़ाई के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत के समग्र कार्यक्रम के रूप में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) को कार्यान्वित किया जाता है|

एसएसए की सफलता जनता की सहभागिता पर निर्भर है| केवल सभी हितधारियों जिसके अंतर्गत, माता-पिता, अध्यापक, समुदाय, नागरिक समाज और बच्चों की सक्रिय सहभागिता से ही उचित गुणवत्ता के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है| पीढ़ी-बोध, घुमन्तु समुदाय के लिए हस्तक्षेप और संकल्प वाद के संवर्द्धन द्वारा एसएसए जनसाधारण की सहभागिता को बढ़ावा देती है| जबकि एनजीओ को पर्याप्त समर्थन एसएसए निचले स्तर की कार्यक्षम संस्थाओं जैसे महिला समूह, संगठन, एसएचजी, महिला समाख्या परिसंघ, युवा समूहों, जनता की नीतियों के लिए काम करने वाले समूहों आदि को सहायता भी देते हैं और उसी प्रकार बच्चों के सामूहिक विकास का समर्थन तथा समुदाय समर्थन पते की कमी वाले प्रौढ़ सुरक्षा रहित बच्चों के लिए समूहों का समर्थन और इस विषय में इन बच्चों का स्वामित्व करते है|

अधिकार प्राप्त तथा तकनीक रूप से सज्जित एसएमसी को भी समुदाय जागरुकता पैदा करने और सहभागिता प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है| राज्य को इस बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए एसएमसी सदस्यों का क्षमता निर्माण करना होगा|

सामाजिक नागरिक की सहभागिता एसएसए का महत्वपूर्ण पहलू है| एसएसए स्वैच्छिक एजेंसियों और एनजीओ आवश्यकता आंकलन तथा कार्यान्वयन और निगरानी करने वाले विविध क्षमताओं की श्रेणी में आने वाले अधिवक्ताओं से भागीदारों तक की एनजीओ की सहभागिता को प्रोत्साहित करेंगे| साझेदारी आपसी होनी चाहिए, और उप-ठेका प्रकार की नहीं होनी चाहिए| आने वाले दो वर्षों में, एसएसए यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि राज्य और जिला स्तरों पर प्रत्येक संस्थागत तंत्र में नागरिक संस्था संगठनों को शामिल किया जाए। एक वर्ष तक चलने वाला, 'शिक्षा का हक' अभियान घुमन्तु समुदाय के लिए 11.11.2011 से प्रारंभ किया गया है और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा नीति के लिए जागरुकता पैदा करने और विद्यालयों का दौरा करने के लिए राज्य नागरिक समाज के साथ भागीदार होगा|

आरटीई अधिदेश देता है कि प्रत्येक ऐसे बच्चे जो विद्यालय में नहीं है उसकी आयु उपयुक्त भर्ती, समुदाय के अग्र सक्रिय सहभागिता के लिए विद्यालय में हर एक बच्चे के लिए विशेष प्रशिक्षण, बच्चों के अनुकूल, शिशु केन्द्रित क्रिया कलापों के आधार पर पढ़ाई प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जो चिंता, सदमे और डर से मुक्त हो एजेंडा निर्धारित किया है|

1 (ख):शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 1986/92 में व्यवस्था है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो अध्यापक काम करें| बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिनियम की अनुसूची विद्यालयों में अध्यापक के मानदण्ड और स्तर को निर्धारित करती है|

<u>एसएसए मानदण्डों में व्यवस्था है कि:</u>

(क) आरटीई मानदण्डों के अनुसार सभी सरकारी और स्थानीय निकाय विद्यालयों को अतिरिक्त अध्यापक दिये जायेंगे; तथापि क्षयण तथा सेवा निवृत्ति के कारण राज्य क्षेत्र के रिक्त पदों को भरने के लिए एसएसए सहायता उपलब्ध नहीं होगी|

(ख) एसएसए के तहत 50% अध्यापिकाओं की भर्ती करने की पद्धति जारी रहेगी|

(ग) राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्यापक तैनाती में शहरी-ग्रामीण असंतुलन न हो जिसके लिए विद्यमान अध्यापकों की तैनाती का औचित्य स्थापित करेंगे| इससे अध्यापक विद्यालयों के मुद्दे का भी यह समाधान हो सकेगा।

(घ) राज्य प्रत्येक विद्यालय के लिए राज्य निर्धारित पीटीआर का पालन करेंगे|

(ङ) विद्यालयों में अध्यापकों की रिक्ति कुल संस्वीकृत संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए|

(च) आरटीई अधिनियम के खण्ड 23 के तहत एनसीटीई द्वारा सूचित कम से कम योग्यताओं के साथ राज्य अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे|

(छ) यदि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं हैं तो आरटीई अधिनियम के संगत प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार से छूट मांग सकते हैं| ऐसी छूट मांगते वक्त राज्य को आरटीई अधिनियम के तहत

समय ढांचे के अंतर्गत गैर प्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विस्तृत समय सीमा कार्यक्रम का वादा करना होगा|

एसएसए के संशोधित मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अनुभागों के लिए अध्यापकों की प्राप्यता निम्नानुसार है:-

(क) कक्षा 1 से 5 के लिए:

(i) 60 बच्चों तक के लिए दो अध्यापक

(ii) 61-90 बच्चों के लिए तीन अध्यापक

(iii) 90-120 बच्चों के लिए चार अध्यापक

(iv) 121-200 बच्चों के लिए पांच अध्यापक

(v) यदि 150 से अधिक बच्चें हैं तो पांच अध्यापकों के अतिरिक्त, एक प्रधान अध्यापक

(vi) यदि बच्चों की संख्या 200 से अधिक है तो पीटीआर (प्रधान अध्यापक के अतिरिक्त) 40 से अधिक नहीं होना चाहिए|

(ख) कक्षा 6 से 8 के लिए:

1. प्रत्येक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक हो ताकि

(1) विज्ञान और गणित, (2) सामाजिक अध्ययन, (3) भाषा के लिए कम से कम एक अध्यापक होगा|

2. प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक अध्यापक

3. जहां एक सौ से अधिक बच्चों की भर्ती हो वहां:

(क) कला शिक्षा

(ख) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, और

(ग) कार्य शिक्षा के लिए

(i) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक

(ii) अंशकालिक अनुदेशक

ग. संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार अध्यापकों की भर्ती होगी|

इस प्रकार एसएसए के तहत आरटीई अधिनियम लागू होने के बाद क्रमश वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 19.14 लाख अध्यापकों को संस्वीकृत

किया गया है, जिसके अंतर्गत 4.58 लाख और 1.73 लाख अतिरिक्त अध्यापक हैं|

1 (ग): एसएसए नियमावली के वित्तीय प्रबंधन और प्रमाण के पैरा 69 में यह व्यवस्था है कि- "भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी को दिये गये किसी अनुदान या भाग का मूलत: जिस प्रयोजन के लिए इसे दिया गया है के अलावा, अनुमोदन के बारे में प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना उपयोग नहीं करेगी|"

1 (घ) (i) : जनजातीय कार्य मंत्रालय इस बारे में राज्य जनजातीय विभाग के साथ-साथ राज्य शिक्षा विभागों तथा स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार के सम्पर्क में है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने(ड्रॉप-आउट) की दर घट रही है, तो भी अनुसूचित जनजाति के ड्रॉप-आउट और राष्ट्रीय औसत के बीच प्राथमिक स्तर पर 6.33% और प्रारंभिक स्तर पर 16.01% का अंतर है|

प्राथमिक (%)								
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
लड़के	51	50.8	49.1	42.6	40.3	30.64	32.04	32.17
लड़कियां	54.1	52.1	48.7	42	39.3	35.88	32.43	30.23
कुल एसटी	52.3	51.4	48.9	42.3	39.8	33.15	32.23	31.26
सभी	39.03	34.89	31.36	29	25.47	25.43	25.55	24.93

(स्रोत: एसईएस 2008-09)

14.05.2012 की स्थिति के अनुसार

प्रारंभिक (%)								
	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
लड़के	67.3	66.9	69	65	62.76	62.78	63.54	57.66
लड़कियां	72.7	71.2	71.4	67.1	63.2	62.22	63.13	58.99
कुल एसटी	69.5	68.7	70.1	65.9	62.95	62.54	63.36	58.26
सभी	54.6	52.79	52.32	50.84	48.71	46.03	43.03	42.25

(स्रोत: एसईएस 2008-09)

1 (घ) (ii) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उत्कृष्टता के बैंचमार्क के रूप में, प्रति ब्लॉक एक विद्यालय की दर से ब्लॉक स्तर पर 6,000 उच्च कोटि के आदर्श विद्यालयों को स्थापित करने का निर्णय लिया है| इन विद्यालयों में 6-12 तक या 9-12 तक कक्षाएं होंगी| इनमें से 3500 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे| राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा शैक्षिक रूप में पिछड़े ब्लॉकों में और शेष 2500 विद्यालय सार्वजनिक/निजी साझेदारी (पीपीपी) के तहत ब्लॉकों में, जो शैक्षिक रूप में पिछड़े नहीं है, स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है|

1 घ) (iii) : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जिसे आरटीई अधिनियम की धारा 23(i) के तहत शैक्षिक अकादमी के रुप में अधिसूचित किया गया है, में शिक्षकों की योग्यताएं निर्धारित की गई है| अध्यापकों की नियुक्ति और शर्तें राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती है|

इसके अतिरिक्त, बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की अगली धारा 27, दशवार्षिक जनसंख्या जनगणना, आपदा सहायता कार्यों और स्थानीय अधिकारी, विधानमंडलों तथा संसद चुनावों के अलावा अन्य गैर शिक्षा प्रयोजन के लिए अध्यापकों की तैनाती का निषेध करती है|

1 (ड़): एसएसए मानदंड बिखरी हुई या पहाड़ी तथा कठिन भौगोलिक भूभाग सहित सघन जंगली क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवासीय विद्यालयों का प्रावधान करते हैं और शहरों से वंचित बच्चों, कठिन परिस्थितियों में प्रौढ़ सुरक्षा रहित बेघर और अनाथ बच्चों को सुरक्षा प्रदान करते हैं| मानदंडों में आगे व्यवस्था है:-

(क) अनुपयोगी सार्वजनिक मकान का पुन:नियोजन को प्राथमिकता और पर्याप्त प्रसाधनालयों, स्नान घरों, रसोई घरों आदि की व्यवस्था के द्वारा उपयोग किये गये विद्यालय मकानों का नवीकरण|

(ख) यदि ऐसी सुविधाएं नजदीक प्राप्त नहीं हैं, तो केजीबीवी मानदंडों के अनुसार आवासीय विद्यालयों के निर्माण का समर्थन किया जायेगा|

1 (च):वर्ष 2010 अप्रैल से बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम मौलिक अधिकारों में 86वें संवैधानिक संशोधन में अंत:स्थापित अनुच्छेद 21-क की अनुवर्ती विधि निर्माण के रूप में लागू किया गया है| विभिन्न खंडों में आरटीई अधिनियम अनुसूचित जाति के बच्चों, असुविधा वाले दलों में जीवित बच्चों के शिक्षा का स्पष्टतया और अस्पष्टतया उल्लेख करते है| अधिनियम के खंड 2(घ) स्पष्टतया व्यक्त करते हैं कि "असुविधा वाले दलों में जीवित बच्चें" का अर्थ अनुसूचित जनजाति का बालक से है| अधिनियम के खंड 8(ग) और 9(ग) यह प्रदान करते हैं कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी को यह सुनिश्चित करना है कि कमजोर विभाग में और असुविधा वाले दल में जीवित बच्चें को अलग नहीं करना है और किसी भी कारण प्राथमिक शिक्षा पूरा करने से तथा जारी रखने में रुकावट का विरोध करे| खंड 12(1) मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का विद्यालय के उत्तरदायित्व का विस्तार निर्धारित करते हैं: सरकार और स्थानीय निकाय स्कूलों को अधिदेश देता है कि उसमें दाखिल किये गये सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए; सहायता प्राप्त विद्यालयों से अपेक्षित है कि सरकार से प्राप्त आवर्ती सहायता के तुल्य समानुपात में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करे; असहायता प्राप्त निजी विद्यालयों और विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि) से मांगा जाता है कि कमजोर विभागों के और असुविधा वाले दलों के बच्चों को कम से कम कक्षा के संख्या के 25% की सीमा तक कक्षा 1 में भर्ती की जाए और उन्हें मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति तक प्रदान की जाए|

प्रारम्भिक शिक्षा में लिंग एवं सामाजिक श्रेणी के अन्तर को भरना एसएसए के लक्ष्यों में से एक है| अत:, वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को समर्थन प्रदान करने पर विशेष बल दिया गया है| जहां भी राज्य बजट में पहले ऐसे प्रावधान नहीं किए गए हैं वहां एसएसए अनुसूचित जाति के बच्चों, लड़कियों तथा अनुसूचित

जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे के बच्चों के लिए भी पाठ्य पुस्तकों तथा वर्दी के दो सैटों के संवितरण हेतु एसएसए प्रावधान करता है| इसके अलावा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) तथा प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) के तहत विशिष्ट हस्तक्षेप हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की लड़कियां शामिल हैं| एसएसए का नया घटक अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए हस्तक्षेपों हेतु भी प्रावधान करता है|

सिफारिश सं. 2

. राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना के सफल कार्यकरण को देखते हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए अन्य राज्यों को, जहां अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी नीचे है, सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लाभ के लिए ऐसी ही परियोजना शुरू करें **{पैराः 5.5.3}**।

की गई कार्रवाई

अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के घनत्व वाला प्रत्येक राज्य पहले से ही उनकी आवश्यकतानुसार राज्य विशिष्ट परियोजनाएं चला रहा है|

सिफारिश सं. 3

आयोग ने देखा है कि 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, अन्य बातों के साथ–साथ 200 तक की जनसंख्या वाली अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बस्तियों से 1 किलोमीटर तक के फासले के भीतर प्राइमरी स्कूल खोलने की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने के बारे में कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय क्षेत्रों में तीन किलोमीटर के व्यासार्ध के अन्दर कम से कम एक माध्यमिक स्कूल और पांच किलोमीटर के व्यासार्ध के भीतर कम से कम एक उच्च माध्यमिक स्कूल होना चाहिए **{पैराः 5.7.6}**।

की गई कार्रवाई

नए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध एसएसए निम्नवत प्रावधान करता है:-

नए प्राथमिक विद्यालय खोलना:

पड़ोस का विद्यालय वह विद्यालय है जो परिभाषित सीमाओं या पड़ौस के क्षेत्र के अन्दर अवस्थित है जिसे राज्य के आरटीई नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है|

<u>उच्च प्राथमिक विद्यालय/सैक्शन खोलना:</u>

(क). राज्य के आरटीई नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पड़ौस की सीमाओं के क्षेत्र के अन्दर नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों को खोलना|

(ख). संयुक्त प्रारम्भिक विद्यालयों के प्रति राज्यों के सरलीकरण के विचार के साथ संशोधित एसएसए के मानदण्ड प्रावधान करते हैं कि नए उच्च प्राथमिक विद्यालय/सैक्शन, विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों के परिसरों में खोले जाएंगे| विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों के अपग्रेडेशन के माध्यम से उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रदान किए जाएगें ताकि विद्यालय कक्षा I से VIII तक एकीकृत प्राथमिक विद्यालय बन जाएं| अत:, भवन और अवसंरचना विद्यमान प्राथमिक विद्यालय परिसरों में ही निर्मित की जाएगी|

माध्यमिक शिक्षा के लिए अवलोकन अच्छी गुणवत्ता परक शिक्षा को हाशिए वाली क्षेणियों सहित सभी युवकों के लिए उपलब्ध कराना, उनकी पहुंच में लाना तथा इसे वहनीय बनाना है| राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) किसी अधिवास से 5 किलोमीटर की औचित्य पूर्ण दूरी के अन्दर एक माध्यमिक विद्यालय का प्रावधान करता है|

सिफारिश सं. 4

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य समूचे देश भर में सभी बच्चों को शिक्षित बनाना है। लेकिन, सी. बी.एस.ई. के माध्यम से और राज्य शिक्षा बोर्डों के माध्यम से देश में शिक्षा की दो स्तरों वाली प्रणाली का उद्देश्य एक–समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना नहीं है। प्रत्येक राज्य शिक्षा बोर्ड का अपना–अपना पाठ्य विवरण, पुस्तकें, पाठ्यक्रम, विषय–वस्तु, शैक्षणिक अवसंरचना और परीक्षा स्तर है। अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर छात्रों की पहुंच सी.बी.एस.ई. के साथ सम्बद्ध स्कूलों तक नहीं है। सी.बी.एस.ई. की पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश लेने और संगठित सेवाओं में शामिल होने में सुविधा होती है। इसलिए, आयोग का मत है कि शैक्षणिक पद्धति और परीक्षा की पद्धति देश भर में एक–सी होनी चाहिए, ताकि अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों को, जो आम तौर पर स्थानीय क्षेत्र में सरकारी स्कूलों में दाखिल होते हैं, कोई असुविधा न हो और वे उच्च अध्ययन वाले संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता कर सकें **{पैरा: 5.7.7}**।

की गई कार्रवाई

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूप रेखा (एनसीएफ) 2005 कहती है कि "भारत एक बहु सांस्कृति सोसाइटी है जो हमारी सोसाइटी में सांस्कृतिक बहुवाद से प्रतिक्रिया करने के लिए असंख्य क्षेत्रीय एवं स्थानीय संस्कृतियों तथा शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताओं से बनी है|"

यह आगे कहती है कि शब्द राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूप रेखा का प्राय: गलत अर्थ निकाला जाता है कि एक रूपता के तत्व प्रस्तावित किया जा रहा है| पाठ्यचर्चा के लिए राष्ट्रीय रूप रेखा भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की भारत की विविधता की प्रतिक्रिया में सक्षम शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली को तैयार करने का एक साधन है जो अकादमिक घटकों के साथ मूल्यों के सामान्य अभ्यन्तर को सुनिश्चित करता है|

सिफारिश सं. 5 (1) तथा (2)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को सलाह दे कि वे अपनी नीति/ अनुदेशों को ये उपबन्ध करने के लिए संशोधित करें **{पैरा: 5.9.2}:**

(i)बी.फार्मा/ डी. फार्मा पाठ्यक्रमों अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों को दिल्ली से भिन्न क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से भर लिया जाए, जब दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों **(पैरा: 5.9.2(i)}**।

(ii) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों को दिल्ली क्षेत्र के अनुसूचित जाति उम्मीदवारों से भरने की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए **(पैरा: 5.9.2(ii)}**।

की गई कार्रवाई

5(1) तथा (2): दिल्ली की एनसीटी सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक से कम पाठ्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की सीटों के आरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार की नीति अपनाई है, जिसमें सीटों की कुल संख्या का 22.1/2% (अनुसूचित जातियों के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.1/2% अंतर परिवर्तनीय, यदि आवश्यक हो) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है| सरकारी विश्वविद्यालयों, मान्य विश्विवद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य सहायता अनुदान संस्थानों और केंद्रों-2006 में सरकार की आरक्षण नीति के सख्ती से कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश कहते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में नियम अंतर परिवर्तनीय है तथा जब भी रिक्त सीटों की संख्या को भरने के लिए आवश्यक हो लागू होंगे|

सूचना बुलेटिन-2011 के अनुसार, उनकी पात्रता तथा संबंधित पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए मैरिट निर्धारित करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक की छूट दी जायेगी| यदि 5%

की छूट देने के उपरान्त आरक्षित सीटें अभी भी खाली हों तो आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक सीमा तक छूट दी जायेगी|

सिफारिश सं. 6 (क) से (झ) (ड़)

6(क): विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जनजाति छात्रावासों की स्थितियां संतोषजनक नहीं पाई गई हैं। यह देखा गया है कि पेय जल, सफाई, कुकिंग गैस, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, यह जरूरी है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दे, ताकि स्कूल शिक्षा के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों को बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके **(पैराः 5.10.4(i)}**।

6(ख): यह देखा गया है कि बहुत से छात्रावास किराए की इमारतों में चल रहे हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में फील्ड दौरों के समय यह भी देखा है कि छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए भी स्थान–क्षमता मांग की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए, आयोग की राय है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को आकर्षित करने और स्कूलों में उनका अवरोधन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण की केन्द्र–प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्रकाश, पानी, बिजली, रसोई, पुस्तकालय, आदि जैसी सुविधाओं वाले छात्रावासों की इमारतों के निर्माण का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **(पैराः 5. 10.4(ii)}**।

6(ग): लिखने–पढ़ने और सीखने को एक आनन्दप्रद अनुभव बनाने की आवश्यकता है और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि विशेष रूप से दूर–दराज़ के जनजातीय क्षेत्रों के स्कूलों में दृश्य माध्यमों, अर्थात दूरदर्शन, फिल्मों आदि के जरिए दूरस्थ शिक्षा पद्धति की सहायता ली जाए **(पैराः 5.10.4(iii)}**।

6(घ): परिवार की खराब आर्थिक स्थिति को अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में बीच मे पढ़ाई छोड़ने का बुनियादी कारण ठहराया जा सकता है और यह स्थिति जनजातीय व्यक्तियों को अपने बच्चों को एक आर्थिक यूनिट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विवश कर देती है, जो परिवार के लिए कुछ आय अर्जित करे। यह भी आवश्यक है कि बच्चों के ऐसे माता–पिताओं को, जिनकी आय गरीबी की रेखा से नीचे है, कुछ आर्थिक प्रोत्साहन इस उद्देश्य से दिए जाएं कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजने की बजाए उनका उपयोग एक आर्थिक यूनिट के रूप में करने की विवशता से उनका पीछा छूट जाए **(पैराः 5.10.4(iv)}**।

6(ड.): यह जरूरी है कि माता–पिता को, और विशेष रूप से माताओं को इस बात की जानकारी दी जाए कि उनके बच्चों को आत्म–निर्भर बनाने में और परिवार की आय में योगदान देने के योग्य बनाने में शिक्षा का क्या महत्त्व है। यह कार्य जनजातीय क्षेत्रों में गैर–सरकारी संगठनों, आदि के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम शुरू करके सफलतापूर्वक किया जा सकता है **(पैराः 5.10.4(v)}**।

6(च): जनजातीय कार्य मंत्रालय को सम्बन्धित राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को सलाह देनी चाहिए कि वे अध्यापकों को बढ़िया आवास, चिकित्सा सुविधाओं, आदि जैसे विभिन्न प्रोत्साहन देने की स्कीमें तैयार करके और यह सुनिश्चित करके कि जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों में अध्यापकों के पदों को, यथासम्भव सीमा तक, स्थानीय जनजातीय उम्मीदवारों को अध्यापक नियुक्त करके भरा जाए, खाली पदों को भरें **(पैराः 5.10.4(vi)}**।

6(छ): अधिकतर मामलों में, बीच में पढ़ाई छोड़ देने का एक कारण जनजातीय बच्चों का एक ही कक्षा में बार–बार फेल होना है। इसका इलाज जनजातियों के कमजोर और औसत से कम योग्यता वाले छात्रों की पहचान करके और छुट्टी के दिनों में अथवा रात को उन्हें निःशुल्क अतिरिक्त शिक्षा देने के

प्रबन्ध करके किया जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलाह दी जाए कि वह सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिखे कि वे अध्यापकों को कुछ नकद प्रोत्साहन देकर इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करें **(पैराः 5.10.4(vii)}**।

6(ज): अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के प्रसार के मार्ग में एक प्रमुख बाधा यह है कि उनके माता–पिता अप्रैल से जून के मध्य तक की अवधि में आजीविका की तलाश में मौसमी रूप से अन्य स्थानों पर चले जाते हैं और यह वही अवधि है, जिसमें बच्चों की परीक्षाएं होती हैं। जब मां–बाप अपनी बस्तियों से अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो उन्हें अपने पढ़ने वाले बच्चों को भी अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि वे उन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। इससे बच्चों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। मौसमी प्रव्रजन की यह समस्या उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्यों में विशेष रूप से विद्यमान है, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है (ये सभी राज्य अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य हैं)। सम्बन्धित राज्य सरकारों को अनुसूचित जनजाति परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो अपनी आजीविका की तलाश के लिए अस्थायी रूप से अन्य स्थानों पर प्रव्रजन का फैसला करें और अपने बच्चों को इसलिए पीछे छोड़ जाने के लिए राज़ी हों कि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और परीक्षाएं दे सकें, खाने–पीने और रहने की उपयुक्त स्कीमें तैयार करें। विकल्प के रूप में, राज्य सरकारों को यह सलाह दी जाए कि वे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के अपने अस्थायी प्रव्रजन के स्थानों से अपनी मूल बस्तियों में लौटने के बाद उनकी विशेष परीक्षाएं लेने के विशेष प्रबन्ध करें। इससे अनुसूचित जनजातियों के सफल बच्चों को अगली उच्च कक्षा में चढ़ाने में सहायता मिलेगी **(पैराः 5.10.4(viii)}**।

6(झ): जनजातीय लड़कों में पढ़ाई बीच में छोड़ देने की घटनाएं शिक्षा के मिडल और माध्यमिक स्तरों पर विशेष रूप से अधिक होती हैं। जनजातीय परिवारों के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए, अनुसूचित जनजाति की लड़कियों का नामांकन और माध्यमिक स्तर तक उनका अवरोधन अर्थात पढ़ाई जारी रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गरीबी के कारण माता–पिता अपने बच्चों को, विशेष रूप से लड़कियों को स्कूलों में भेजने के लिए अनिच्छुक होते हैं। स्कूलों में अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के नामांकन और अवरोधन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों के सुझाव दिए जाते हैंः **(पैराः 5.10.4(ix)}**

(क) ठीक प्रवेश के समय पर ही प्रवेश शुल्क, पुस्तकों, कापियों और लेखन–सामग्री, स्कूल की पोशाक और धुलाई–व्यय/ पोशाक की सामग्री के बारे में वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन से, राज्य सरकारों को शिक्षा सत्र के शुरू होने से काफी पहले आवश्यक प्रबन्ध करने चाहिएं।

(ख) विद्यार्थियों–यथास्थिति दिवा छात्रों अथवा छात्रावासों के छात्रों – की दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मेट्रिक–पूर्व वजीफे नियमित रूप से दिए जाने चाहिएं, ताकि बच्चे नियमित आधार पर स्कूल में जाने के लिए प्रोत्साहित हों।

(ग) 75 प्रतिशत उपस्थिति और स्कूल नोट बुक में किए गए कार्य वाले प्रत्येक विद्यार्थी को नकद अवार्ड के रूप में अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिएं। इसके अलावा, परीक्षाओं में 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्याार्थियों को भी नकद अवार्ड दिए जाने चाहिएं।

(घ) मध्याह्नकाल के भोजन की स्कीम का विस्तार कम से कम अनुसूचित जनजाति छात्राओं के लिए मेट्रिक के स्तर तक किया जाना चाहिए। इससे अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के परिवारों को भारी राहत मिलेगी।

(ड.) कक्षा XI और XII के छात्रों को अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन–विज्ञान, वाणिज्य और अर्थशास्त्र में विशेष शिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इससे उन्हें सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों वाले कॉलेजों में प्रवेश पाने में सहायता मिलेगी।

की गई कार्रवाई

6(क) तथा (ख) : छात्रावासों तथा आश्रम विद्यालयों के रख-रखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है जिनसे अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावासों में पेय जल, स्वच्छता, विद्युत, रसोई घर, पुस्तकालय, अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया है| इसके अलावा, छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करने के संबंध में राज्य सरकारों से निर्माण के लिए योजना बनाने तथा निर्मित किए जाने वाले छात्रावासों की संख्या पर मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था|

6 (ग) : सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में पहले ही ज्ञानदर्शन-1, ज्ञानदर्शन-2, व्यास चैनल तथा एकल्व्य चैनल्स नामक शिक्षा के चार चैनलों की शुरुआत की है| इनमें से ज्ञानदर्शन-1 तथा ज्ञानदर्शन-2 और व्यास चैनल का प्रसारण दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है| इसके अलावा, दूरदर्शन डीडी-1 नेशनल और क्षेत्रीय चैनलों पर शैक्षिक तथा स्कूल के टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है| सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेकनोलोजी [सीआईईटी] यूनिट इन एनसीईआरटी 1980 से विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए ऑडियो तथा विडियो कार्यक्रमों को तैयार कर रहा है| ये कार्यक्रम पाठ्यचर्चा के सभी कार्यक्रमों को कवर कर रहे हैं|

6 (घ) : अनुसूचित जनजाति के बच्चों में प्रारम्भिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास साधारण और विशिष्ट का मिश्रण है| सामान्य प्रयासों में वास्तविक पहुंच के लिए अवसंरचना का विस्तार, वर्दी जैसे शिक्षण प्रोत्साहन, पाठ्य पुस्तक तथा मध्यान भोजन शामिल है| इसके अलावा, अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्या का पता लगाने के लिए सन्दर्भ विशिष्ट हस्तक्षेप हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- एमएलई पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान|
- जनजातीय बच्चों के लिए सांस्कृतिक/परम्परागत घटनाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु कार्यशालाएं|
- कक्षा VII तथा VIII के बच्चों को साइकिल प्रदान करना|
- शैक्षिक किट तथा खेल किट प्रदान करना|
- एनरोलमेंट ड्राइव का संचालन करना|
- सामुदायिक मोबिलाइजेशन कार्यक्रम आयोजित करना|
- भ्रमण दैरे करना|

- अभिभावकों/विद्यार्थियों का मार्गदर्शन तथा परामर्श देना|

6(ड़): एसएसए की सफलता के लिए लोगों की सहभागिता आधारभूत है| सभी बच्चों के लिए उचित गुणवत्तापरक उद्देश्य अभिभावकों, अध्यापकों, समुदाय, सिविल सोसाइटी तथा बच्चों सहित सभी हितधारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ ही प्राप्त किए जा सकते हैं| एसएसए जागरुकता सृजन तथा समुदाय मोबिलाइजेशन द्वारा यथा संकल्पवाद को बढ़ावा देकर जनसामान्य की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है| एनजीओ को काफी समर्थन प्रदान करते समय एसएसए महिला समूहों, संगठनों, एसएचजी, महिला मसाख्या फेडेरेशनों, युवा समूहों, लोगों के अधिकारों इत्यादि के लिए कार्यरत समूहों जैसे ग्रासरूट संस्थानों की पूरी क्षमता को काम में लाने तथा इसके साथ-साथ इन बच्चों के संबंध में सामुदाय के समर्थन एवं स्वामित्व के अभाव का पता लगाने के लिए वयस्क सुरक्षा के बिना बच्चों के लिए बच्चों के सामूहिक एवं समर्थन समूहों का समर्थन प्राप्त करने में भी सहायता करता है|

6(च): तदनुसार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है|

6(छ): तदनुसार राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है|

6(ज): इंट भट्टों, कृषि, गन्ने की कटाई, निर्माण कार्य, पत्थर की खदान, नमक पान्स इत्यादि में काम के लिए विभिन्न अवधियों हेतु मौसमी प्रवास तथा बच्चे जो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या उनके बिना प्रवास करते हैं, की शिक्षा पर इसके कुप्रभावों के मुद्दे का पता लगाने के लिए एसएसए उन जिलों, ब्लॉकों तथा गांवों/शहरों या कस्बों जहां से या जिनमें प्रवास उच्च है, की पहचान को प्रोत्साहित करता है| आरटीई अधिनियम ऐसे बच्चों को दोनों जिलें, जहां वे रहते हैं या जहां पर वे मौसमी रूप से प्रवास करते हैं, में नियमित विद्यालयों में लाने को अनिवार्य बनाता है| बच्चों के एनरोलमेंट को सरल बनाने तथा आयु-विनियोज्य कक्षाओं में उन्हें रखने के लिए और ऊपर उल्लिखित दोनों स्थानों पर शिक्षा प्रदान करने वाली दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय करने के लिए आयु-विनियोज्य अभियोग्यताएं विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण के लिए इसे नवीन एवं प्रभावी रणनीतियों की आवश्यकता होगी|

6(झ): जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.2% है| जनजातीय लोगों की अधिकतम जनसुख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखण्ड, राजस्थान, तथा छत्तीसगढ़ में है| पूर्वोत्तर राज्यों में भी पर्याप्त जनजातीय जनसंख्या है|

15% से अधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले राज्यों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, एनरोलमेंट का राज्यवार हिस्सा (जनगणना 2011 के अनुसार) निम्नानुसार दिया गया है:-

क्रम संख्या	राज्य	% जनजातीय जनसंख्या	% जनजातीय भर्ती
1.	अरुणाचल प्रदेश	64.2	76.15
2.	छत्तीसगढ़	31.8	32.21
3.	दादरा और नगर हवेली	62.2	69.72
4.	गुजरात	14.8	18.13
5.	झारखण्ड	26.3	29.80
6.	मध्य प्रदेश	20.3	23.48
7.	मणिपुर	34.2	45.35
8.	मेघालय	85.9	91.90
9.	मिजोरम	94.5	99.25
10.	नागालैण्ड	89.1	91.54
11.	उड़ीसा	22.1	28.01
12.	सिक्किम	20.6	35.80
13.	त्रिपुरा	31.1	39.62
	राष्ट्रीय कुल	8.2	10.94

[स्रोत: जनगणना 2001 तथा डीआईएसई 2009-10]

डीआईएसई आकड़ा 2009-10 दर्शाता है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों का राष्ट्रीय स्तर पर एनरोलमेंट का हिस्सा जनसंख्या में उनके हिस्से से अधिक है| तथापि, राज्यवार प्रवृति भी संतोषजनक है, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह नामक एक संघ राज्य क्षेत्र है जो जनसंख्या में अपने हिस्से की तुलना में अनुसूचित जनजाति ने बच्चों के एनरोलमेंट में केवल 0.92 पीपीटी का अन्तर दर्शाता है|

6(झ) (क): बच्चों की नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा (आरटीई) अधिकार अधिनियम मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21-क डालकर 86वें संवैधानिक संशोधन के विधान के परिणामस्वरूप अप्रैल 2010 से लागू हुआ है| आरटीई अधिनियम की अलग-अलग धाराएं स्पष्टता और विवक्षता दोनों रूपों में अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा को वंचित समूह से संबंधित बच्चों के रूप में सन्दर्भित करती है| अधिनियम की धारा 2(घ) साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि "वंचित समूहों से संबंधित बच्चे" का अर्थ अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति से संबंधित बच्चा है| अधिनियम की धारा 8(ग) तथा 9(ग) इस बात का प्रावधान करती है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह से संबंधित बच्चा को किसी आधार पर प्रारम्भिक शिक्षा का अनुसरण करनेसे या इसे पूरा करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा या रोका नहीं जाएगा| धारा 12(1) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूल की जिम्मेदारी की सीमा बताता है| सरकार या स्थानीय निकाय के विद्यालयों को वहां दाखिल सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया जाता है, सहायता प्राप्त विद्यालयों को सरकार की ओर से प्राप्त आवृति सहायता के बराबर बच्चों के ऐसे अनुपात को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, असहायता प्राप्त निजी विद्यालयों तथा विशिष्ट श्रेणी के विद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयो इत्यादि) को अपने आस-पास के कमजोर वर्गों तथा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा-1 की कुल संख्या का कम से कम पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक उस कक्षा में दाखिल करने तथा कक्षा की समाप्ति तक अनिवार्य और नि:शुल्क प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है|

6(झ) (ख): जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की नई योजना को शुरु करने का प्रस्ताव कर रहा है|

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग की सिफारिश पर उपयुक्त कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है|

6(झ) (ग) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग की सिफारिश पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

6(झ) (घ): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग की सिफारिश पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

6(झ) (ड़): जनजातीय कार्य मंत्रालय पहले ही "अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभा के उन्नयन" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वित कर रहा है| यह योजना जो पूर्व में अलग योजना के रुप में कार्य कर रही थी, को 10वीं पंचवर्षीय योजना से मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) की योजना में मिला दिया गया है| तब से यह पीएमएस की एक उप योजना के रुप में कार्य कर रही है| योजना को वर्ष 2008-09 से संशोधित कर दिया गया है| इस योजना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम से समग्र विकास के लिए सुविधाओं के साथ उन्हें कक्षा 9 से कक्षा 12 तक में पीटीजी के विद्यार्थियों सहित अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के प्रतिभा का उत्थान करना है ताकि वे उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक एवं प्रौद्योगिकी व्यावसायों में दाखिले के लिए अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता कर सके|

सिफारिश सं. 7(क) से (ड़)

7(क): मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के प्रयोजन से छात्रों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया जाए और छात्रवृत्ति की राशि को छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के मामले में 235 रुपए से बढ़कर 500 रुपए और 740 रुपए से बढ़ा कर 1000 रुपए कर दिया जाए और दिवा छात्रों के मामले में 330 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दिया जाए **(पैराः 5.11.1.2(i)}**।

7(ख): उन जनजातीय छात्रों के साथ, जो दिवा छात्र हैं लेकिन जो किराए के स्थान में रहते हैं, छात्रावास में रहने वाले छात्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए और उनके मामले में भी छात्रवृत्ति की राशि छात्रावास में रहने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति के बराबर होनी चाहिए **(पैराः 5.11.1.2(ii)}**।

7(ग): आयोग ने देखा है कि राज्य सरकारों के पास भी मेट्रिक–पूर्व स्तर पर जनजातीय विद्यार्थियों को छा़वृत्तियां देने की स्कीमें हैं और कुछ राज्य सरकारों (जैसे उत्तरांचल राज्य सरकार) ने कक्षा IX और X में पढ़ने वाले जनजातीय बच्चों के माता–पिता के मामले में आय की उच्चतम सीमा 2,500/– रुपए प्रतिमास रखी हुई है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को उन सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को, जो ऐसी स्कीम चला रहे हैं, कक्षा I से X तक में पढ़ने वाले सभी जनजातीय बच्चों के माता–पिताओं के सम्बन्ध में आय की उच्चतम सीमा को समाप्त करने की सलाह देनी चाहिए **(पैराः 5. 11.1.3}**।

7(घ): आयोग ने देखा है कि अधिकतर जनजातीय माता–पिता को इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इसलिए, देश के जनजातीय क्षेत्रों में इस स्कीम के बारे में व्यापक प्रचार किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च और तकनीकी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए आगे आएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय को काफी अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे विभिन्न स्कीमों के बारे में, जिनमें मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भी शामिल है, सूचना का प्रसार करने के लिए अपने वेबसाइट विकसित करें। इन वेबसाइटों में जनजातीय कार्य मंत्रालय के वेबसाइट के साथ संयोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए **(पैराः 5.11.1.7}**।

7(ड.): आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि भारत सरकार द्वारा (अर्थात राज्य सरकारों के वचनबद्ध दायित्व के अलावा) और राज्य सरकारों के द्वारा धनराशियों के रिलीज़ न किए जाने के कारण

मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों के संवितरण में विलम्ब हो जाता है, इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य सरकारों को, उनके बचनबद्ध दायित्व से ऊपर की राशियों का विमोचन समय पर किया जाए। मंत्रालय को राज्य सरकार को ये अनुदेश भी जारी करने चाहिएं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इन छात्रवृत्तियों का संवितरण समय पर हो, वचनबद्ध दायित्व तक की अपेक्षित राशि जिला प्राधिकारियों को समय पर रिलीज़ की जाए। राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी जाए कि वे छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से संवितरित किए जाने की संभावनाओं का पता लगाएं **(पैराः 5. 11.1.8}**।

की गई कार्रवाई

7(क): अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) की योजना के तहत अधिकतम आय सीमा को औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोगता मूल्य सूचकांक की संख्या के साथ जोड़ा गया है तथा जिसे प्रत्येक दो वर्षों में संशोधित किया जाता है| सभी अदेय अनिवार्य शुल्कों के अलावा अनुरक्षण भत्ता प्रदान किया जाता है| दिनांक 01.07.2010 से मंत्रालय ने अनुरक्षण भत्ते को छात्रावासियों के संबंध में 235 रु. से बढ़ाकर 380 रु. तथा 740 रु. से बढ़ाकर 1200 रु. और दिवा छात्रों के लिए 330 रु. से बढ़ाकर 530 रु. तथा 140 रु. से बढ़ाकर 230 रु. संशोधित कर दिया है| अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की दरें भी वही हैं| अधिकतम आय सीमा को भी 1.45 लाख रु. से बढ़ाकर 2.00 लाख रु. वार्षिक कर दिया गया है|

7(ख): इस पहलू को पहले ही पीएमएस योजना के तहत कवर कर लिया गया है| नोट 3 पर योजना के दस्तावेजों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार "ऐसे मामलों में जहां महाविद्यालय प्राधिकरण महाविद्यालय के छात्रावास में जगह प्रदान करने में असमर्थ हैं तो इस योजना के उद्देश्य के लिए छात्रावास के रुप में निवास का एक अनुमोदित स्थान भी छात्रावास के रुप में माना जाएगा| इस स्थान को संस्थान के मुखिया के निरीक्षण के उपरांत तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित, यदि कोई, नियमों एवं विनियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाएगा| ऐसे मामले में इस प्रभाव के लिए कि विद्यार्थी निवास के एक अनुमोदित स्थान पर रह रहा है क्योंकि वह महाविद्यालय के छात्रावास में स्थान प्राप्त करने में असमर्थ है, इस बात को संस्थान के मुखिया द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए|"

7(ग) तथा (घ): राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से आयोग की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

7(ड़) : मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से औपचारिक प्रस्तावों के लिए प्रतीक्षा किए बिना तदर्थ आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिबद्धदेयता के अलावा 50%

सहायता अनुदान निर्मुक्त करता है ताकि अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अविलंब छात्रवृत्ति का संवितरण किया जा सके| राज्य सरकारों को पहले ही यह सुझाव दिया गया है कि वे विद्यार्थियों को उनके बैंक खातों के माध्यम से छात्रवृत्तियों का संवितरण करें तथा जब भी संभव हो तो भुगतान राज्य सरकारों द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए|

सिफारिश सं. 8

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विभिन्न सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रतियोगिता करने के योग्य बनाने के लिए इन छात्रों को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने की स्कीम के अनुरूप, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रबन्धन और तकनीकी पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों में प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने पर भी विचार करना चाहिए। इसी के अनुरूप, राज्य सरकारों को सलाह दी जाए कि वे जनजातीय छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश–पूर्व कोचिंग प्रदान करें **(पैराः 5. 11.1.9}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आयोग की सिफारिश पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 9

पुस्तक बैंकों की यह स्कीम, अपने मौजूदा रूप में, स्नातक स्तर के सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के दो छात्रों को पुस्तकों का एक सेट देने और मेडिकल, इंजीनियरी, व्यापार प्रबन्ध, विधि, जीव–विज्ञान और चार्टर्ड लेखापालन के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में प्रत्येक छात्र को एक सेट देने की अनुमति देती है। पूर्वोक्त स्थिति में छात्रों को स्वतंत्र अध्ययन करने में रुकावट आती है। इस असुविधा की ओर ध्यान देने और इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्र को पुस्तकों का एक सेट दिया जाना चाहिए, जैसाकि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के मामले में होता है **(पैराः 5.11.1.13}**।

की गई कार्रवाई

योजना को पहले ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुमोदित कर दिया गया है| यह योजना संतोषजनक रुप से कार्यान्वित की जा रही है: किसी राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली किसी कठिनाई को मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है|

सिफारिश सं. 10(क) तथा (ख)

10(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में इस स्कीम के शुरू होने के समय से लेकर (इस स्कीम को बाद में अनुसूचित जनजाति के लड़कों के छात्रावासों के निर्माण की स्कीम में मिला दिया गया था) बनाए गए लड़कियों के छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार, 1989–90 से लेकर, जब यह स्कीम शुरू की गई थी, अनुसूचित जनजाति लड़कों

के लिए बनाए गए कुल छात्रावासों की संख्या के बारे में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को अपनी अगली वार्षिक रिपोर्ट में इस स्कीम के अन्तर्गत लड़कों और लड़कियों के लिए बनाए गए छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में अलग–अलग सूचना राज्य–वार देनी चाहिए और इसके साथ प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत सीट–क्षमता की जानकारी भी देनी चाहिए। आयोग यह भी सिफारिश करता है कि छात्रावासों में प्रवेश के मानदंडों को उपयुक्त रूप से ढीला बनाया जाना चाहिए, यदि सामान्य हकदारी अपेक्षाओं के संदर्भ में सभी सीटों का इस्तेमाल न होता हो **(पैराः 5.11.1.19}**।

10(ख): आयोग ने जनजातीय क्षेत्रों में अपने फील्ड दौरों के समय यह देखा है कि छात्रावासों में सीट–क्षमता, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए, आवश्यकता से बहुत कम है और यह कम नामांकन होने और छात्राओं द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के मामलों में वृद्धि होने का प्रमुख कारण है, जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः अनुसूचित जनजातियों में महिला साक्षरता कम है। इसलिए आयोग सिफारिश करता है कि अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की अवलिम्ब आवश्यकता है **(पैराः 5.11.1.20}**।

की गई कार्रवाई

10 (क): जनजातीय कार्य मंत्रालय 1999-2000 से अस्तित्व में आया है और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए स्वीकृत छात्रावासों की कुल संख्या के बारे में सूचना मंत्रालय की वेबसाइट (**www.tribal.nic.in**) पर उपलब्ध है| तीसरी योजना से छात्रावासों की संख्या का रिकार्ड मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है| प्रत्येक छात्रावास विशिष्ट संस्थान की मांग पर आधारित होता है और उस संस्थान की अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा करता है| इस योजना के अंतर्गत किसी छात्रावास सीट का निर्माण करने का कोई उदाहरण नहीं है परन्तु शेष अप्रयुक्त सीट मंत्रालय की जानकारी में लाई गई है| मंत्रालय अगली वार्षिक रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की संख्या पर सूचना प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करेगा|

10(ख): अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना आवश्यकता एवं मांग आधारित है| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए प्रतिबिम्बित करते हैं| अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के छात्रावासों के मामले में दिनांक 01.04.2008 से 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है| राज्य सरकारें/विश्वविद्यालय लड़कियों के छात्रावासों के लिए अपनी हिस्सेदारी के किसी भार से मुक्त हैं| मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है| मंत्रालय को राज्य सरकारों से साकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है| वर्ष 2010-11 के दौरान कुल स्वीकृत 160 छात्रावासों में से 147 छात्रावास अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए थे|

सिफारिश सं. 11 (क) तथा (ख)

11(क): जनजातीय कार्य मंत्रालय को सलहा दी जाती है कि अगली रिपोर्टों में (2006–07 से) जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में काम कर रहे आश्रम स्कूलों की कुल संख्या (राज्य–वार) की जानकारी दी जाए **(पैराः 5.11.1.24}।**

11(ख): आश्रम स्कूलों के कार्यकरण, उनमें उपलब्ध सुविधाओं और अध्यापन की क्वालिटी, भोजनालय सुविधाओं, आदि के बारे में इस समय कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय को जनजातीय अनुसन्धान संस्थानों द्वारा जनजातीय उप–योजना वाले 21 राज्यों और 2 संघ राज्यक्षेत्रों में आश्रम स्कूलों के कार्यचालन के बारे में उपयुक्त मूल्यांकन अध्ययन कराना चाहिए **(पैराः 5.11.1.24}**।

की गई कार्रवाई

11(क) तथा (ख): राज्यवार आश्रम विद्यालयों से संबंधित सूचना मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिबिम्बित होती रही है|

2. मंत्रालय केवल आश्रम विद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है| ऐसे आश्रम विद्यालयों के संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है| आश्रम विद्यालयों के कार्यकरण में भी मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है और शिक्षण स्टाफ और मेस प्रबंधन आदि जैसे सभी प्रबंध संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं|

3. वर्ष 2006-07 के दौरान, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में "आश्रम विद्यालयों" सहित शिक्षा की चार भिन्न योजनाओं का एक मूल्यांकन अध्ययन "भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)", नई दिल्ली द्वारा किया गया था| उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि विशेष रुप से कमजोर लड़कियों के लिए आश्रम विद्यालयों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है| मंत्रालय ने 01.04.2008 से योजना को संशोधित किया है और संशोधित मानदंडों के अधीन, अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए आश्रम विद्यालयों की 100% केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है| राज्य सरकारों को नियमित रुप से सलाह दी जा रही है|

सिफारिश सं. 12

उम्मीदवारों (यदि वे नियोजित हों) अथवा उनके माता–पिता की आय के सम्बन्ध में सभी स्रोतों से आय की 44,500 रुपए की उच्चतम सीमा पिछले कुछ वर्षों में जीवन–यापन की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी नहीं है, इसलिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को आय की उच्चतम सीमा को बढ़ा कर कम से कम 1.00 लाख रुपए प्रति वर्ष कर देना चाहिए **(पैराः 5.11.2.6}**।

की गई कार्रवाई

सभी स्रोतों से परिवार के लिए वर्तमान उच्चतम आय सीमा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस) और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति दोनों योजनाओं में 2.00 लाख रुपए प्रतिवर्ष है|

सिफारिश सं. 13(1) से (3)

13(i): केवल ऐसे संगठनों को, जिन्हें काफी अनुभव हो और जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, संघ लोक सेवा आयोगों, अधीनस्थ सेवा आयोगों, आदि द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के वास्ते ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगिता के लिए अनु.ज.जा. उम्मीदवारों की सहायता के लिए जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय उम्मीदवारों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाने चाहिएं (जहां कहीं ऐसे केन्द्र गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हों) **(पैराः 5.11.2.8(i)}**।

13(ii): जहां तक सम्भव हो, ये गैर–सरकारी संगठन, जिन्हें परीक्षा–पूर्व कोचिंग केन्द्र चलाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित होने चाहिएं **(पैराः 5.11.2.8(ii)}**।

13(iii): आयोग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि किसी गैर–सरकारी संगठन को इस स्कीम के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है और उस अनुदान की सहायता से वह गैर–सरकारी संगठन परीक्षा–पूर्व केन्द्र चलाने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है और अगले वर्ष उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान नहीं दिया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि पिछले वर्ष में दिए गए अनुदान पूरी तरह से व्यर्थ हो जाते हैं। आयोग के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसे बुनियादी ढांचे/ इमारतों का उपयोग इन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा रिहायशी प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को, इसलिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर–सरकारी संगठनों का चयन प्रारम्भिक अवस्था में बहुत ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और जब एक बार अच्छी प्रतिष्ठा वाले किसी गैर–सरकारी संगठन का चयन कर लिया जाए, तो बाद में उसे अनुदान देना बन्द नहीं करना चाहिए, जब तक कि उस गैर–सरकारी संगठन के बारे में असन्तोषजनक कार्य–निष्पादन की शिकायत अथवा कोई अन्य शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त न हों। जनजातीय कार्य मंत्रालय को किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों की सहायता से निर्मित ढांचे/ इमारत को अपने हाथ में लेने के लिए भी कदम उठाने चाहिएं, यदि मंत्रालय द्वारा खराब कार्य–निष्पादन अथवा किसी अन्य शिकायत के कारण बाद के वर्ष/वर्षों में उस गैर–सरकारी संगठन को अनुदान देना बन्द कर दिया गया हो **(पैराः 5.11.2.8(iii)}**।

की गई कार्रवाई

13 (1) : संस्थानों का चयन राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापनों की प्रतिक्रिया में इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर किया जाता है| राज्य सरकारों से संस्थानों के संबंध में प्रामाणिक प्रमाण पत्र भेजने के लिए कहा गया है| प्रमाण पत्रों में संस्थानों के पिछले रिकॉर्ड शामिल हैं|

13(2) : परीक्षा पूर्व केन्द्रों के पास पर्याप्त विद्यार्थी (आवश्यक अर्हता के साथ) तथा अर्हता प्राप्त शिक्षण सदस्य होने चाहिएं| सुदूर क्षेत्रों में यह संभव नहीं हो सकता कि अर्हता प्राप्त अध्यापक तथा विद्यार्थियों की आवश्यक संख्या उपलब्ध हो| तथापि, प्राथमिकता सुदूर क्षेत्रों को दी जाती है, यदि प्रस्ताव आवश्यकताओं को पूरा करते हैं|

13(3) : कोचिंग संस्थानों का चयन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ध्यानपूर्वक किया जाता है कि केवल प्रामाणिक संस्थान योजना के तहत अनुदान प्राप्त करें| यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अनुदान में कोचिंग शुल्क, विज्ञापन लागत तथा विद्यार्थियों के लिए वजीफा शामिल हो| योजना में अवसंरचना के लिए अनुदान प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है|

सिफारिश सं. 14

नौवीं योजना में इस स्कीम के लिए 30.25 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जिसके एवज में जनजातीय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों और स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले गैर–सरकारी संगठनों को 18.45 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। इसी प्रकार, वर्ष 2005–06 के लिए आबंटित 5.40 करोड़ रुपए में से राज्य सरकारों को 2.47 करोड़ रुपए रिलीज़ किए गए थे। आयोग यह समझ नहीं पाया है कि राज्य सरकारों को वास्तविक आबंटन का केवल 40–50 प्रतिशत भाग रिलीज़ किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं। आयोग के विचार से स्थिति यह हो सकती है कि इस स्कीम के बारे में अनुसूचित जनजातीय लोगों में पर्याप्त जानकारी का अभाव है। इसलिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय को राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों को सलाह देनी चाहिए कि वे इस स्कीम के अन्तर्गत होने वाले लाभों के बारे में समूचे देश में जनजातीय लोगों को जानकारी देने के लिए जन–माध्यमों और अन्य चेनलों के जरिए जोरदार और व्यापक प्रचार करें, ताकि दूरस्थ और अलग–थलग पॉकेटों में रहने वाले जनजातीय लोग इस स्कीम के लाभ प्राप्त कर सकें **(पैराः 5.11.2.16}**।

की गई कार्रवाई

अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में योजनाओं के बारे में पर्याप्त जागरुकता पैदा करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय महत्वपूर्ण अवसरों पर मुख्य राष्ट्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी करके व्यापक प्रचार करता है, जिसमें कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों और उनकी उपलब्धता को उजागर किया जाता है| विज्ञापन क्षेत्रीय समाचार पत्रों में भी जारी किए जाते हैं, विशेष रुप से योजना के अधीन जनजातीय क्षेत्र में लाभों के बारे में जनजातीय लोगों को सूचित करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि दूरस्थ और अलग-थलग पड़े पॉकेटों में रहने वाले जनजातीय लोग भी योजना के लाभों को प्राप्त कर सकें|

अनुदान प्राप्त करने वाले एनजीओ के मामले में, योजना के मानदण्डों के अनुसार विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं| जनजातीय कार्य मंत्रालय के कार्यक्रम तथा योजनाएं भी वेबसाइट (**www.tribal.nic.in**) पर उपलब्ध हैं|

सिफारिश सं. 15 (क) से (ग)

15(क): आयोग ने देखा है कि स्कीम के सफल कार्यान्वयन में एक प्रमुख बाधा यह है कि राज्य सरकारें कार्यान्वयन अभिकरणों को प्रायः समय पर धनराशियां रिलीज़ नहीं करतीं। जनजातीय मंत्रालय इस मामले को सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाए और इस बात पर बल दे कि कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशियां समय पर रिलीज़ किए जाने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम के विभिन्न संघटकों पर धनराशियों के विलम्ब से रिलीज़ किए जाने से किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव न पड़े **(पैराः 5.13.5}**।

15(ख): उन राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में, जहां अनुसूचित जनजाति जनसंख्या काफी अधिक है, एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की संख्या को बढ़ाने की सचमुच आवश्यकता है और इस स्कीम के अन्तर्गत 32 रिहायशी स्कूलों को (विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किए गए कुल 100 स्कूलों में से), जिन्होंने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है, शीघ्र ही कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए **(पैराः 5.13.6}**।

15(ग): जनजातीय क्षेत्रों में उत्कृष्टता वाले अधिक से अधिक सरकारी स्कूल और केन्द्रीय स्कूल खोलने की आवश्यकता है ताकि अनुसूचित जनजातियों के सभी योग्य विद्यार्थियों को इन स्कूलों में स्थान दिया जा सके/ दाखिल किया जा सके **(पैराः 5.13.7}**।

की गई कार्रवाई

15 (क): संविधान के अनुच्छेद 275(1) और जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (टीएसपी) के अंतर्गत अनुदानों के मामले में स्वीकृति पत्रों में स्पष्ट रुप से यह प्रावधान है कि निधियां एक माह के भीतर कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को निर्मुक्त की जाएं|

परन्तु एनजीओ के मामले में, योजना के मानदंडों के अनुसार, अनुदान सीधे कार्यन्वयनकारी एजेंसियों को निर्मुक्त किये जाते हैं|

15 (ख): कक्षा 6 से 12 तक के अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय, संबंधित राज्यों की अपेक्षाओं, भूमि की उपलब्धता और विभिन्न अन्य संबद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करता है| देश के विभिन्न भागों में स्वीकृत 100 ईएमआरएस में से 92 विद्यालय कार्यरत होने की सूचना है| जून, 2010 में ईएमआरएस संबंधी दिशानिर्देशों के संशोधन के बाद, 2010-11 के दौरान, मंत्रालय द्वारा 37 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 31.10.2011 तक 2011-12 में 13 और ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं|

15 (ग): राज्य जनजातीय विभागों के सचिवों के साथ-साथ राज्य शिक्षा सचिवों को इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 16

आरक्षण के दायरे का विस्तार केवल सरकार के स्वामित्व वाले और सरकार की सहायता पाने वाले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थाओं तक ही नहीं किया जाना चाहिए (जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित है), बल्कि ऐसे पब्लिक स्कूलों और अन्य स्कूलों, और अस्पतालों, आदि जैसी संस्थाओं पर भी किया जाना चाहिए, जो यद्यपि सरकार द्वारा निधिपोषित नहीं हैं, लेकिन जिन्होंने सरकार से भूमि के अभिग्रहण, इमारतों के सम्बन्ध में रियायतें और इन संस्थाओं की मान्यता/ सम्बद्धन के बारे में रियायतें और इन संस्थाओं को चलाने के लिए बिजली, पानी, सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था, आदि सम्बन्धी रियायतें ली हैं/ ले रहे हैं **(पैराः 5.14.2(i)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य जनजातीय विभागों के सचिवों के साथ-साथ राज्य शिक्षा सचिवों को इन सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है|

सिफारिश सं. 17

शिक्षावृत्तियां प्रदान करने में और/अथवा स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं, आदि में छात्रवृत्तियां देने में अनुसूचित जनजातियों के लिए (2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनु.ज.जा. जनसंख्या के अनुपात में) 8.2 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए **(पैराः 5.14.2(ii)}**।

सिफारिश सं. 18

स्कूलों, कालेजों, शैक्षणिक और तकनीकी संस्थाओं से संलग्न छात्रावासों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 8.2 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने चाहिएं **(पैरा 5.14.2(iii)}**।

संख्या 17 तथा 18 पर की गई कार्रवाई

आयोग की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास भेज दी गई हैं|

अध्याय – 6

अध्याय–6: सेवा सुरक्षण

सिफारिश सं. 1

2001 की जनगणना के आधार पर देश की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं और पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 8.2 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए **(पैरा: 6.2.5)**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा यह सूचित किया गया है कि इंदिरा सावहने बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय न्यायाधीश संविधान पीठ ने यह पाया कि संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा (4) (जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य को सशक्त करती है) अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में नहीं अपितु पर्याप्त प्रतिनिधित्व के बारे में बताती है| सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करना संभव नहीं है तथापि कुल जनसंख्या की तुलना में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात निश्चित रुप से संगत होगा और यह निर्णय किया कि संविधान के अनुच्छेद 16 की धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग उचित रुप से तर्कसंगत सीमाओं के अंदर किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण 50% से अधिक न हो| वर्तमान समय में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण 49.5% है और कुछ मामलों में यह 50% है| अत: कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि किसी भी श्रेणी के लिए आरक्षण की प्रमात्रा में वृद्धि करना संभव नहीं होगा|

सिफारिश सं. 2

संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (85वां संशोधन) अधिनियम, 2001 के अनुसार, जिनके जरिए, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी श्रेणी अथवा किन्हीं श्रेणियों के पदों में पदोन्नति के मामलों में, परिणामी वरिष्ठता के साथ, अनु.जा. और अनु.ज.जा. के लिए आरक्षण का उपबन्ध करने के लिए अनुच्छेद 16(4) का संशोधन किया गया था, समूह 'क' के पदों में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू किया जाना चाहिए **{पैरा: 6.2.9}**।

की गई कार्रवाई

उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा सावहने के मामले में दिनांक 16.11.1992 के अपने निर्णय में यह घोषित किया था कि पदोन्न्ति में आरक्षण अधिकारातीत है परन्तु इसे निर्णय की तारीख से 5 वर्षों के लिए अर्थात 15.11.1997 तक जारी रखने की अनुमति दी थी| 15.11.1997 के बाद पदोन्नति में आरक्षण जारी रखने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 16 में धारा 4(क) को समाविष्ट करते हुए संविधान में 77वां संशोधन किया गया था| संविधान (86वां संशोधन) विधेयक के उद्देश्यों और कथन के विवरण, जो संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम बन गया में कहा गया है कि इसका उद्देश्य तत्कालीन मौजूदा विधान को जारी

14.05.2012 की स्थिति के अनुसार

रखना था| उस समय विद्यमान विधान के अनुसार, समूह "क" पदों में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध नहीं था| अतः, संविधान के 77वें संशोधन के अनुसरण में जारी दिनांक 13 अगस्त, 1997 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन समूह "क" पदों में चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है| तथापि, समूह "क" के पद से अन्य समूह "क" के पद पर पदोन्नति के मामले में, जिसमें अधिकतम वेतन 18,300/- रुपए अथवा इससे कम (संशोधन पूर्व) है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी, जो पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में इतने वरिष्ठ हैं कि रिक्तियों की उस संख्या के अंदर आ सकें जिसके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, उस सूची में शामिल किए जाते हैं, बशर्ते कि पदोन्नति के लिए उन्हें आयोग्य माना गया हो| अतः, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिकारी ऐसे उच्चतर पदों के लिए पदोन्नति प्राप्त करते हैं, यहां तक कि यदि वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित मानदण्ड को पूरा न करते हों|

सिफारिश सं. 3

यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है कि क्या संविधान में नया अनुच्छेद 16(4क) जोड़कर अनुच्छेद 16(4) में किए गए संशोधन के आधार पर समूह 'क' के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण होना चाहिए अथवा नहीं। सरकार को अनुसूचित जनजातियों के और अनुसूचित जातियों के भी हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मामला संविधान पीठ के समक्ष प्रभावकारी रूप से प्रस्तुत किया जाए और उसके बारे में प्रभावकारी तरीके से बहस की जाए, किसी प्रतिष्ठित न्यायविद को काम पर लगाना चाहिए जो मामले की विषय–वस्तु से भली–भांति परिचित हो {पैराः 6.3.2}।

की गई कार्रवाई

उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा सावहने बनाम भारत संघ और कुछ अन्य के मामले में आदेश दिया था, जिसने पिछड़े वर्गों के हितों को बुरी तरह से प्रभावित किया है| उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए, संविधान में 77वां, 81वां, 82वां और 85वां संशोधन किया गया था| इन संशोधनों को उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिट याचिका(सी) सं. 61/2002(एम नागराज तथा अन्य बनाम भारत संघ तथा अन्य) सहित विभिन्न रिट याचिकाओं के माध्यम से मूल रुप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इन संशोधनों ने संविधान की मूल संरचना को नष्ट किया है| सरकार ने जाने-माने वकील, श्री के.परासान को नियुक्त करके सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इन संशोधनों के बचाव में संज्ञान निर्णय लिया| उच्चतम न्यायालय ने 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधनों की संवैधानिक वैधता को कायम रखा|

सिफारिश सं. 4

13 अथवा उससे कम पदों वाले संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को, जो भरी न गई हों, अनिश्चितकाल तक तब तक आगे ले जाया जाना चाहिए जब तक इन पदों को अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं लिया जाता, जैसाकि 13 से अधिक पदों वाले संवर्गों के सम्बन्ध में होता है, जिनमें आरक्षित प्वाइंटों का कोई व्यपगमन नहीं होता **{पैराः 6.5.1(x)}**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह सूचित किया है कि संवर्ग में जहां पदों की संख्या 13 अथवा इससे कम हो, जहां 14 बिन्दु वाला एल आकार का रोस्टर लागू हैं, वहां यदि कोई आरक्षित रिक्ति, अनारक्षण के पश्चात्, किसी अन्य समुदाय से संबंधित उम्मीदवार द्वारा भरी जाती है, तो आरक्षण उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता है| आरक्षण को ऐसे बढ़ाया जाना तीन भर्ती वर्षों के लिए अनुमत्य है| आरक्षण को आगे बढ़ाने के तीसरे वर्ष में, रिक्ति संबंधित श्रेणी के लिए आरक्षित मानी जाएगी, परन्तु यदि आरक्षण आगे ले जाए गए तीसरे वर्ष में, संबंधित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा नहीं भरी जा सकती है, तो आरक्षण समाप्त माना जाएगा और रिक्ति अनारक्षित रिक्ति के रुप में भरी जाएगी| उच्चतम न्यायालय ने एम. नागराज के मामले में यह निर्णय किया है कि आगे बढ़ाने के नियम को तैयार करते समय भरी न गई रिक्ति समय कारक नाम दो कारकों को ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है| ये दो वैकल्पिक कारक हैं और यदि भरी न गई रिक्ति को आगे बढ़ाने की ऊपरी सीमा को हटा दिया जाए तो दूसरा वैकल्पिक समय कारक आता है और उस मामले में प्रशासन में दक्षता के हित में समय सीमा लागू की जाएगी, जैसा अनुच्छेद 335 द्वारा यथा अनिवार्य है| यदि समय सीमा नहीं रखी जाती है तो पद वर्षों तक खाली रहेंगे, जो प्रशासन के लिए हानिकारक होगा| अतः प्रशासन की दक्षता के हित में बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को अनिश्चितकाल तक खाली नहीं रखा जा सकता है|

सिफारिश सं. 5

सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के अनारक्षण पर लगाए गए प्रतिबन्ध के अनुरूप, पदोन्नति में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, पद–आधारित रोस्टर के कार्यान्वयन के लिए पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले आरक्षित पदों का अनारक्षण किए जाने पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए **{पैराः 6.6.2}**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरा जाना, दोनों की परिस्थितियां बहुत भिन्न है| सीधी भर्ती के मामले में आरक्षित रिक्तियों के लिए यदि उपयुक्त आरक्षित उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो उसी भर्ती वर्ष में अथवा यथाशीघ्र उपयुक्त आरक्षित उम्मीदवारों की भर्ती के लिए दूसरा प्रयास किया जा सकता है| ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध होने तक

ऐसे प्रयास जारी रखे जा सकते हैं| तथापि, पदोन्नति के मामले में, आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए फीडर ग्रेड में यदि उपयुक्त पात्र आरक्षित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो पद को रिक्त रखने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा| पद को रिक्त रखने से एक अवांछित स्थिति पैदा होगी, जब यह ज्ञात है कि निकट भविष्य में किसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का मिलना संभव नहीं है| इससे न केवल प्रशासन की दक्षता प्रभावित होगी जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 335 में अधिदेशित है, बल्कि अन्य उम्मीदवारों की नैतिकता पर भी प्रभाव पड़ेगा| यह निर्दिष्ट किया जा सकता है कि सरकार ने अनारक्षण के लिए कठोर प्रक्रिया निर्धारित की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जनसंपर्क अधिकारी तथा संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव के अनुमोदन और अनुसूचित जनजाति आयोग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श करने का प्रावधान है| इसके अतिरिक्त, पद आधारित रोस्टर लागू होने के पश्चात, आरक्षण, आरक्षित रिक्ति के अनारक्षित होने के बाद भी समाप्त नहीं होता है| जब उत्तरवर्ती भर्ती में नई रिक्ति होती है तो इसे आरक्षित माना जाता है| यदि कोई अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार रिक्ति भरने के लिए उपलब्ध है तो इसे ऐसे उम्मीदवार द्वारा भरा जाता है|

सिफारिश सं. 6

जहां मौजूदा भर्ती नियमों में पदों को 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का उपबन्ध हो, वहां भर्ती नियमों को सीधी भर्ती के भाग की व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि यदि फीडर संवर्ग में अगले पद पर पदोन्नति के लिए अनु.ज.जा. के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न हों, तो अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित प्वाइंट, अस्थाई रूप से, सीधी भर्ती कोटे की ओर मोड़े जा सकें और अनारक्षण को टाला जा सके **{पैराः 6.6.3}**।

की गई कार्रवाई

किसी पद के लिए भर्ती नियम संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं| पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती के समान घटकों को रखना व्यवहार्य नहीं हो सकता है|

सिफारिश सं. 7

अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने के लिए सभी विभागीय पदोन्नति समितियों/ बोर्डों/ चयन समितियों में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अलग प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का उपबन्ध करने के लिए उपर्युक्त अनुदेशों को संशोधित किया जाना चाहिए **{पैराः 6.7.2}**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) के दिनांक 16.08.1990 के कार्यालय ज्ञापन सं. 39016/9(एस)/89-स्थापना(बी) में निहित अनुदेशों में यह व्यवस्था है कि जहां कहीं विद्यमान चयन समिति/बोर्ड अथवा समूह ग अथवा घ पदों/सेवाओं में 10 अथवा इससे अधिक रिक्तियां भरे जाने के लिए गठित किया जाना है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति से संबंधित एक सदस्य और ऐसी समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य रखना अनिवार्य है| अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि वहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी की खोज करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं जहां रिक्तियों की संख्या जिनके विरुद्ध चयन किया जाना है 10 से कम हो| उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के आंशिक संशोधन में, जहां डीओपीटी के दिनांक 11.07.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42011/15/95-स्थापना (एससीटी) द्वारा संशोधित अनुदेश जारी किए गए हैं, वहां जहां कहीं चयन समिति/बोर्ड मौजूद है अथवा समूह ग अथवा घ पदों/सेवाओं में 10 अथवा इससे अधिक रिक्तियां भरे जाने के लिए गठित किया जाना है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित एक सदस्य और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य रखना अनिवार्य है| 10 रिक्तियों से कम के मामले में, समिति/बोर्ड में ऐसे सदस्यों को शामिल करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिएं| ऐसी आशा की जाती है कि विभागीय पदोन्नति समितियों/ बोर्डों/चयन समितियों में किसी विशेष समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति अन्य समुदायों से संबंधित व्यक्तियों का ध्यान रखेगा|

सिफारिश सं. 8

सामाजिक समानता लाने के संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सकारात्मक भेदभाव के सिद्धान्त का विस्तार गैर–सरकारी क्षेत्र पर भी किया जाना चाहिए और इसकी शुरुआत उन क्रियाकलापों से की जानी चाहिए, जो संस्थात्मक वित्त का लाभ प्राप्त कर रहे हैं **{पैराः 6.8.2}**।

की गई कार्रवाई

औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग ने यह सूचित किया है कि निजी क्षेत्र में साकारात्मक कार्रवाई करने के लिए 2006 में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्थापित समन्वय समिति की पहली बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि साकारात्मक कार्रवाई के मुद्दे पर प्रगति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम कार्य, उद्योग द्वारा स्वयं स्वैच्छिक कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा|

सिफारिश सं. 9

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश के समय यह बाध्यकर खंड निर्धारित करना चाहिए कि नया प्रबन्धन विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में आरक्षण की नीति का पालन करेगा और उसे जारी रखेगा। सरकार को इस बारे में एक विधान बनाने पर विचार करना चाहिए**{पैराः6.8.3}**।

की गई कार्रवाई

विनिवेश विभाग ने सूचित किया है कि चालू विनिवेश नीति के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में सरकारी शेयर धारिता 51% बनी रहेगी और यह विनिवेश केवल 49% तक सीमित रहेगा| साथ ही सीपीएसई के सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरुप में

14.05.2012 की स्थिति के अनुसार

कोई परिवर्तन नहीं होगा और प्रबंधन नियंत्रण सरकार के साथ बना रहेगा| ऐसी स्थिति में, सीपीएसई में रोजगार से संबंधित आरक्षण पर सरकार की मौजूदा नीति लागू रहेगी|

सिफारिश सं. 10

वैज्ञानिक और तकनीकी पदों को, जिनमें अनुसन्धान करने, अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्ग–निर्देश देने और निर्देशित करने के लिए अभिप्रेत पद भी शामिल हैं, पहली बार कार्मिक और प्रशासनिक सुधार आयोग के का.ज्ञा., दिनांक 23 जून, 1975 द्वारा समूह 'क' के सबसे निचले सोपान तक अनु.जा. और अनु.ज.जा. के लिए आरक्षण की स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया था। इसलिए, आयोग सिफारिश करता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की स्कीम का विस्तार समूह 'क' के पदों/ सेवाओं के सबसे निचले सोपान के आगे (अर्थात समूह 'क के भीतर) बढ़ाया जाना चाहिए **{पैराः 6.9.6}**।

की गई कार्रवाई

सभी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पद आरक्षण के क्षेत्र से बाहर नहीं हैं| केवल अत्यधिक ऊंचे स्तर के पदों को ही आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है और इनकी संख्या बहुत कम है| अनुदेशों में यह प्रावधान है कि "वैज्ञानिक अथवा तकनीकी" पदों में कोई आरक्षण नहीं होगा जो ग्रुप क के निम्नतम ग्रेड से बहुत अधिक ऊपर है क्योंकि इनकी आवश्यकता अनुसंधान करने अथवा अनुसंधान का आयोजन करने के लिए दिशानिर्देश देने अथवा निर्देश देने के लिए होती है| इंदिरा साहनी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बताया है कि ऐसी कतिपय सेवाएं अथवा पोजीशन ऐसी हैं जहां उनसे जुड़ी ड्यूटी की प्रकृति के कारण अथवा उस स्तर (पदानुक्रमों में) जिन पर वे हैं, केवल प्रतिभा को ही गिना जाता है| ऐसी स्थितियों में, आरक्षण देने की व्यवस्था करना परामर्शनीय नहीं है|

सिफारिश सं. 11

माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करने के लिए, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ यह कहा गया था कि अनु.ज.जा./अनु.ज.जा. को सामान्य श्रेणी के साथ विचार के एक ही जोन में साथ–साथ रखने से आरक्षण का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा, समूह 'ग' से समूह 'ख' में, समूह 'ख' के भीतर और समूह 'ख' से समूह 'क' के सबसे नीचे के सोपान में चयन द्वारा पदोन्नति के लिए सामान्य श्रेणी और अनु.ज.जा./अनु.ज.जा. के अधिकारियों के लिए विचार का एक ही ज़ोन तैयार करने की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर फीडर संवर्ग में अनु.ज.जा. और अनु.जा. के पात्र अधिकारियों के लिए विचार का अलग एक जोन तैयार किया जाना चाहिए **{पैराः 6.13.3}**।

की गई कार्रवाई

डीओपीटी के दिनांक 06.01.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/2/2002-स्थापना (डी) द्वारा जारी विचारार्थ जोन से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि 10 से अधिक रिक्तियां के लिए विचारार्थ जोन का सामान्य आकार एक होगा और अगले उच्चतर इंटेगर + 3 के लिए इसकी आधी रिक्तियों को एक सामान कर दिया जाएगा लेकिन विचारार्थ जोन का आकार 10 रिक्तियों से कम नहीं होगा| विचारार्थ जोन के सामान्य आकार से संबंधित मौजूदा प्रावधान 10 रिक्तियों तक (और शामिल की गई) के लिए लागू होना जारी रहेगा, जो निम्नानुसार है:-

रिक्तियों की सं.	सामान्य विचारार्थ जोन
1	5
2	8
3	10
4	12
5 से 10	रिक्तियों की सं. से दुगुना + 4

अनुदेशों में यह भी प्रावधान है कि यदि सामान्य विचारार्थ जोन के अंदर एसएसी/एसटी के उम्मीदवार प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं, चुनाव के क्षेत्र को रिक्तियों की सं. से 5 गुना तक बढ़ाया जा सकता है और चयन के विस्तृत क्षेत्र के अंदर आने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार (कोई अन्य उम्मीदवार नहीं) पर भी उनके लिए आरक्षित रिक्ति के लिए विचार किया जाएगा| उदाहरणार्थ 100 रिक्तियां होने के मामले में सामान्य विचारार्थ जोन 150+3 होता है जबकि विचारार्थ विस्तृत जोन 500 है|

रामसिंह मीणा बनाम भारत सरकार के मामले में कैट जोधपुर पीठ में ओए सं. 66/2000 के दो परस्पर विरोधी निर्णयों की विधायी कार्य विभाग के परामर्श से जांच की गई है और निम्नलिखित मुद्दों पर माननीय भारत के महान्यायवादी से परामर्श मांगा गया:

(1) क्या इस कारण से विचारार्थ अलग जोन को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों का विस्तृत विचारार्थ जोन इस कारण से अलग विचारार्थ जोन के समतुल्य होता है कि केवल विस्तृत विचारार्थ जोन में आने वाले अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर भी पदोन्नति के लिए विचार किया जाता है और विस्तृत जोन में आने वाले सामान्य उम्मीदवारों को विचार से बाहर रखा जाता है?

4. विस्तृत जोन में केवल अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाता है| अत:, यह मानने पर भी कि उच्चतम न्यायालय ने अलग विचार जोन की अपेक्षा की है, माननीय भारत के महान्यायवादी का यह मत है कि विस्तृत विचार-जोन, विशेष रुप से अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार, अपेक्षाओं को पूरा करते हैं| विस्तृत जोन का लाभ एक विशेष श्रेणी के उम्मीदवार अर्थात केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए रहेगा और वह लाभ अन्य उम्मीदवारों के साथ नहीं बांटा जाता| अत:, विस्तृत जोन अलग जोन बन जाता है| अत:, विस्तृत विचार जोन एक अलग विचार जोन के समतुल्य माना जा सकता है, जैसा कि रामसिंह मीना के मामले में अधिकरण की जोधपुर पीठ द्वारा माना गया है| माननीय भारत के महान्यायवादी का पुन, यह मत है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विचार जोन का सीमित विस्तार, अनुपालन के लिए सर्वाधिक परामर्शनीय मार्ग होगा| विनोद

कुमार संगल बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (1195) 4 एसएससी 246 में उच्चतम न्यायालय ने इस सिद्धांत का अनुमोदन किया है|

5. उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय भारत के महान्यायवादी ने डीओपीटी द्वारा उपर्युक्त पैरा-3 द्वारा उठाए गए प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित उत्तर दिया है:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए विस्तृत विचार-जोन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग विचार-जोन के पर्याप्त रुप से समकक्ष है| यह इस संशोधन के अधीन है कि व्यवहार्यत: विस्तृत जोन अलग जोन की अपेक्षा अधिक सीमित प्रतीत होता है|
2. वैचारिक तौर पर, विस्तृत विचार जोन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अलग विचार जोन के समकक्ष होगा चूंकि विस्तृत जोन में केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों पर विचार किया जाता है| तथापि, एक सीमा होनी चाहिए कि समग्र श्रेणीकरण/वरिष्ठता सूची में कोई कितने नीचे तक जा सकता है|

   भारत के माननीय महान्यायवादी की वर्गीकृत सलाह के मद्देनजर और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, यह निर्णय लिया गया है कि प्रवरण पदों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए विस्तृत विचार जोन की अपेक्षा से संबंधित मौजूदा प्रावधानों को रोके रखा जाए जैसा कि डीओपीटी के दिनांक 06.01.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/2/2002-स्थापना (डी) में उपबंधित है|

सिफारिश सं. 12

2001 की जगनणना के बाद गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए, गोवा राज्य में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में, जहां भर्ती स्थानीय/क्षेत्रीय आधार पर की जाती है, समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों में स्थानीय/ क्षेत्रीय आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को संशोधित करके 0 प्रतिशत से बढ़ा कर 12 प्रतिशत कर देना चाहिए {**पैराः 6.14.5**}।

की गई कार्रवाई

समूह ग और घ पदों की सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत की मात्रा सामान्यत: जो गोवा राज्य के क्षेत्र अथवा इलाके से उम्मीदवारों को आकर्षित करती है, इस विभाग के दिनांक 04.07.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36017/1/2007-स्थापना (आरईएस) के अनुसार 12% निर्धारित की गई है|

सिफारिश सं. 13

गृह मंत्रालय को उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11.02.2005 के अपने निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी राज्य सरकारों को यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि अनुसूचित

जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार, चाहे उनका मूल किसी भी राज्य का हो, उन संघ राज्यक्षेत्रों में अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यालयों/ संगठनों में सिविल पदों/ सेवाओं में नियुक्ति के लिए आवेदन करने और विचार किए जाने के हकदार होंगे {**पैराः 6.14.7**}।

की गई कार्रवाई

गृह मंत्रालय (एमएसए) ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि एस पुष्पा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11.5.2005 के निर्णय के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त संदर्भ के साथ- साथ दिल्ली की एनसीटी (जीएनसीटीडी) की सरकार से प्राप्त संदर्भ की जांच विधि एवं न्याय मंत्रालय के साथ परामर्श से उस मंत्रालय में की गई थी। विधि मंत्रालय ने दिनांक 24.5.2005 को विचार व्यक्त किया था कि दिनांक 11.02.2005 के एस पुष्पा के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया कानून दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू है। अतः, एमएचए ने दिनांक 01.6.2005 को विधि मंत्रालय की सलाह को पृष्ठांकित करते हुए जीएनसीटीडी को एक पत्र जारी किया। अनुवर्ती कार्रवाई के रुप में जीएनसीटीडी ने दिनांक 30.6.2005 को डीएसएसएसबी इत्यादि को एक पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि एससी/एसटी के सभी अभ्यर्थी अपने जन्म स्थान को ध्यान में लाए बिना दिल्ली की एनसीटी की सरकार में एससी/ एसटी के लिए आरक्षित सिविल पदों पर भर्ती में आरक्षण के लिए पात्र थे। जीएनसीटीडी के दिनांक 30.6.2005 के इस पत्र के साथ जीएनसीटीडी के अन्य पत्रों तथा भारत की केन्द्रीय सरकार के निदेशों के परिणामस्वरुप इन्हें "सर्व रुरल एण्ड अर्बन वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूओआई तथा अन्य" के शीर्षक के तहत सीडब्ल्यूपी सं.507/2006 में माननीय उच्चतम के समक्ष चुनौती दी गई थी।

उपरोक्त रिट याचिका ("सुभाष चन्द्र तथा अन्य बनाम डीएसएसएसबी" शीर्षक वाली एसएलपी सं. 24327/2005 के साथ मिला दी गई), में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने दिनांक 04.08.2009 को अपना निर्णय दिया जिसने अनुसूचित जनजातियों की सभी श्रेणियों तथा अप्रवासी अनुसूचित जातियों को दिल्ली की एनसीटी के तहत सिविल नौकरियों में आरक्षण के लाभों से वंचित कर दिया। उसी समय, उत्तरांचल बनाम संदीप कुमार सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 07.10.2010 के निर्णय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय ने मामले को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया है। अतः, यह मामला अभी भी न्याय निर्णयाधीन है।

सिफारिश सं. 14

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों के प्रयोजन के लिए सीधी भर्ती के कोटे की 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा को हटाने पर विचार करे {**पैराः 6.17.2**}।

की गई कार्रवाई

सरकार के कल्याण उपाय के रूप में, दिवंगत के आश्रित परिवार के सदस्यों और बीमारी के कारण सेवानिवृत्त केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति द्वारा ग्रुप 'ग' या 'घ' में रिक्त पदों पर 5% सीधी भर्ती की जा सकती है ताकि उन्हें आपातकाल से निजात मिल सके| अनुकंपा भर्ती में उसका/उसकी जाति का ध्यान रखे बिना केन्द्र सरकार के कर्मचारी के शोकार्त/दुखी परिवार की निर्धन स्थिति ही आधारभूत मानदण्ड है| यह योजना उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों के आधार पर तैयार की गई है|

हाल ही में डीओपीटी ने रिक्तियों के 5% कोटे की गणना की शिथिल पद्धति की अनुमति देते हुए सांत्वना नियुक्ति की विद्यमान नीति की समीक्षा की तथा इसे उदार बनाया है| डीओपीटी के दिनांक 19.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 14014/3/2005-स्था. (डी) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सांत्वना नियुक्ति समूह "ग" तथा समूह "घ" स्तर के तकनीकी पदों के विरुद्ध भी की जा सकती है|

सिफारिश सं. 15

अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए, चाहे उनका मूल–स्थान कोई भी हो, आरक्षण का उपबन्ध करने के बारे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप, जिसकी सूचना दिल्ली की एन.सी.टी. सरकार द्वारा अपने 30 जून, 2005 के पत्र द्वारा डी.एस.एस.एस.बी. के अध्यक्ष और सभी विभागाध्यक्षों को दी गई थी, दिल्ली सरकार को सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों में अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए विशेष समयबद्ध अभियान चलाना चाहिए। आयोग ने अपने दिनांक 14 जुलाई, 2005 के पत्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के मुख्य सचिव से पहले से अनुरोध किया है कि अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाए {**पैराः 6.18.14**}।

की गई कार्रवाई

गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र के लिए नोडल मंत्रालय है| एनसीटी सरकार दिल्ली में आरक्षण गृह मंत्रालय द्वारा देखा जाता है| गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि शीर्ष न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 04.04.2011 को दिल्ली मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि गृह मंत्रालय द्वारा अंतिम निर्णय सूचित

करने या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर फैसला लेने तक अ.ज. अभ्यर्थियों की भर्ती केवल ठेके के आधार पर जारी रहेगी| इसके अलावा, अ.ज. के लिए पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली आरक्षित सभी रिक्तियों को खाली रखा जाएगा|

इसके अतिरिक्त, दिनांक 07.10.2010 को उत्तरांचल बनाम संदीप कुमार सिंह मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला नहीं है| यह मामला अब उपर्युक्त (बड़ी) पीठ के समक्ष रखा जायेगा और इसलिए, मामला अभी भी न्याय निर्णयाधीन है|

सिफारिश सं. 16

अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को संसद द्वारा पारित किए जाने और अधिनियम बन जाने के बाद संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए **{पैराः 6.19.2(i)}**।

की गई कार्रवाई

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को राज्य सभा से वापस ले लिया गया है और दूसरा विधेयक नामतः, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 अब व्यपगत हो गया है|

सिफारिश सं. 17

पूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, जो उसकी वर्ष 2001–02 की सातवीं वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 4.75 और 4.77 में दी गई हैं, न्यायपालिका, लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय और सशस्त्र बलों को भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के दायरे के अन्दर लाया जाए **{पैराः 6.19.2(ii)}**।

की गई कार्रवाई

न्यायपालिका में आरक्षण के संबंध में यह बताया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और 235 के अनुसार जिले और अधीनस्थ न्यायपालिका में व्यक्तियों की नियुक्ति, पदोन्नति और तैनाती से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं| उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के रुप में नियुक्ति के लिए किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण के लिए भारत के संविधान में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है|

सेना में आरक्षण के मामले में यह बताया जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने यह विचार व्यक्त किया है कि राष्ट्र की सेना देश के सर्वोत्तम युवाओं से बनाई जानी चाहिए| कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग ने इसे प्रभावी बनाने के लिए यह विचार व्यक्त किया है कि रक्षा सेवाओं में भर्ती किसी जाति, प्रकार अथवा धर्म को ध्यान में रखे बिना सामान्य मानदण्डों पर सभी आम लोगों के लिए खुली रखी जानी चाहिए|

लोकसभा और राज्य सभा में आरक्षण पहले से ही दिया जा रहा है|

सिफारिश सं. 18

कार्य–भारित पदों के लिए नियुक्तियों और 45 दिनों से कम अवधि की नियुक्तियों में भी आरक्षण होना चाहिए {**पैराः 6.19.2(iii)**}।

की गई कार्रवाई

केवल उन्हीं कार्यभारित पदों को आरक्षण के क्षेत्र से बाहर रखा जाता है जो दुर्घटना रेस्टोरेशन राहत कार्य आदि की आपातकालीन राहत के लिए आवश्यक होते हैं, जहां आरक्षण प्रावधान लागू करना व्यवहार्य नहीं होगा| इसी प्रकार जब बहुत कम अवधि के लिए नियुक्तियां की जाती हैं, तो जाति अथवा किसी समुदाय से संबंधित व्यक्ति को नियुक्त करना व्यवहार्य प्रतीत नहीं होता|

सिफारिश सं. 19

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के दायरे का विस्तार वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के सम्बन्ध में, जिनकी आवश्यकता अनुसन्धान करने अथवा अनुसन्धान को आयोजित करने, मार्गनिर्देश प्रदान करने और निर्देशित करने के लिए होती है, समूह 'क' के सबसे निचले सोपान के ऊपर भी किया जाना चाहिए (मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ऐसे पदों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण समूह 'क' के केवल सबसे नीचे के सोपान तक उपलब्ध है) {**पैराः 6.19.2(iv)**}।

की गई कार्रवाई

अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि उन "वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाएगा जो ग्रुप क के निम्नतम ग्रेड की अपेक्षा अधिक ऊंचे होते हैं चूंकि ये अनुसंधान अथवा आयोजन, मार्ग निर्देशन और अनुसंधान निर्देशन करने के लिए अपेक्षित होते हैं|" इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि ऐसी कतिपय सेवाएं अथवा पोजिशन हैं जहां या तो उनसे संलग्न ड्यूटी की प्रकृति के कारण अथवा उस स्तर (पदानुक्रम में) जो उन्हें प्राप्त है, केवल प्रतिभा देखी जाती है| ऐसी स्थितियों में आरक्षण प्रदान करना परामर्शनीय नहीं है| (16.02.2012)

सिफारिश सं. 20

किसी पद पर पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के मामले में ढील दी जाए, यदि ऐसी पदोन्नति के लिए उन पर विचार किए जाने के समय, इन समुदायों के ऐसे उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, जिनको पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव प्राप्त हो {**पैराः 6.19.2(v)**}।

की गई कार्रवाई

उच्चतर स्तरों पर संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर न्यूनतम रेसिडेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित की गई है कि अधिकारी को उच्चतर जिम्मेदारियां निभाने के लिए प्रोढ़ता प्राप्त करें| यह सभी श्रेणियों के लिए लागू होता है और किसी एक समूह के संबंध में छूट देना सार्वजनिक सेवाओं के हित में नहीं होगा|

सिफारिश सं. 21

प्रस्तावित विधेयक की धारा 13(3) में यह उपबन्ध है कि यदि सम्पर्क अधिकारी को अपने द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान अथवा अन्यथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उपेक्षा अथवा चूक के किसी मामले का पता चले तो वह यथास्थिति सम्बन्धित सचिव अथवा विभागाध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वह सचिव अथवा विभागाध्यक्ष नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकरण को इस मामले में उपयुक्त आदेश जारी करेगा। आयोग ने अपनी टिप्पणियों में इस धारा के अन्त में निम्नलिखित को जोड़ने का सुझाव दिया था {**पैराः 6.19.2(vi)**}।

की गई कार्रवाई

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 अब वापस ले लिया गया है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 व्यपगत हो गया है|

सिफारिश सं. 22 (1) से (3)

22(i): समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों पर, जो सामान्यतः किसी स्थान और क्षेत्र के उम्मीदवारों को आकर्षित करते हैं, सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 और 2001 की जनगणना की समाप्ति के बाद जारी किए गए इसी प्रकार के संशोधनों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यताप्राप्त समुदायों/ जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि इन समुदायों के व्यक्ति अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हों {**पैराः 6.20.1(i)**}।

22(ii): आयोग ने देखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस. और आई.एफ.एस. की संवर्ग संख्या का एक–तिहाई भाग राज्य सिविल सेवाओं के अधिकारियों में से नामजदगी द्वारा भरा जाता था। इस प्रकार के प्रवेश/ नामज़दगी में अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए आरक्षण होना चाहिए {**पैराः 6.20.1(ii)**}।

22(iii): अनुसूचित जनजातियों के जो अधिकारी अपने संगठनों में काफी वरिष्ठ हों, उन्हें भी सम्पर्क अधिकारियों के रूप में नामजद किए जाने और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति कक्षों में भी काम करने के अवसर दिए जाने चाहिएं **{पैराः 6.20.1(iii)}**।

की गई कार्रवाई

22 (i): सरकार ने जनगणना 2001 के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत को संशोधित कर दिया है|

22(ii): एससीएस/एसपीएस/एसएफएस के अधिकारियों को आईएएस/आईपीएस/आईएफएस में पदोन्नति विधायी विनियमों अर्थात आईएएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955, आईपीएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1955 तथा आईएफएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमन, 1966 द्वारा नियंत्रित है| केन्द्रीय सरकार में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को आरक्षण उपलब्ध है केवल यदि एक समूह क के पद से अन्य समूह क के पद पर पदोन्नति का तरीका अचयन है अर्थात वरिष्ठता द्वारा जो फिटनेस के अधीन है| वहीं एससीएस/एसपीएस/एसएफएस अधिकारियों का आईएएस/आईपीएस/आईएफएस के लिए पदोन्न्ति हेतु चयन के लिए मानदंड मैरिट सह वरिष्ठता है| इसके अलावा, यह कहा गया है कि वर्तमान निर्देशों के तहत आरक्षण का लाभ राज्य सिविल सेवा/राज्य पुलिस सेवा/राज्य वन सेवा के लिए प्रारंभिक नियुक्ति के समय उपलब्ध है| भर्ती के पश्चात एससीएस/एसपीएस/एसएफएस के अधिकारी विषय पर राज्य सरकार में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुरुप एससीएस/एसपीएस/एसएफएस में उच्चतर पदों पर पदोन्नति प्राप्त करते हैं| अतः यह कहा जाता है कि अनुसूचित जनजातियों के एससीएस/एसपीएस/एसएफएस अधिकारियों को आईएएस/आईपीएस/आईएफएस में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने हेतु सिफारिश सरकार की नीति के अनुरुप नहीं है|

22 (iii): डीओपीटी के वर्तमान निर्देशों के अनुसार उपसचिव या इससे ऊपर के रैंक का कोई अधिकारी जाति या समुदाय संपर्क अधिकारी के रुप में नामांकित किया जा सकता है|

सिफारिश सं. 23 (क) और (ख)

23(क): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी मंत्रालयों और विभागों और विशेष रूप से उन विभागों पर, जो विभिन्न पदों/ सेवाओं में नियुक्तियों के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण हैं, जोर देना चाहिए कि वे इन सभी समूहों में और विशेष रूप से समूह 'क' और 'ख' में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के द्वारा विशेष प्रयास करें **{पैराः 6.21.1.2}**।

23(ख): केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में समूह 'क' और 'ख' के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 7.5 की विहित प्रतिशतता से बहुत कम है। लोक उद्यम विभाग को यह मामला उन प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के साथ उठाना चाहिए, जो केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का नियंत्रण करते हैं, और उन पर (केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर) जोर देना चाहिए कि वे इन समूहों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को 7.5 प्रतिशत के वांछित स्तर तक बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करें **{पैराः 6.21.2.2}**।

की गई कार्रवाई

23 (क) और (ख): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा यथा शीघ्र सभी बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए सम्मिलित प्रयास करने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं|

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को समयबद्ध रुप से भरने के लिए अगस्त, 2004 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया गया था| 127 सीपीएसई सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल 36,356 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां थीं, जिसमें से 30,592 रिक्तियां भर दी गई थीं|

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए एक नया विशेष भर्ती अभियान 19.11.2008 को चलाया गया था| कुल 63647 बैकलॉग आराक्षित रिक्तियां (डीआर कोटा और पदोन्नति कोटा) थीं| इनमें से अब तक 33550 को भर दिया है| जुलाई, 2011 में अभियान को फिर से शुरु किया गया था और सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि 31 मार्च, 2012 तक अ. जातियों/अ. जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों की शेष बैकलॉग रिक्तियों का भरना सुनिश्चित करने के लिए सम्मिलित प्रयास किये जायें|

डीपीटी ने सभी मंत्रालयों/विभागों को सुझाव दिया है कि चालू रिक्तियों को भरते वक्त आरक्षण कोटे को पूरा करे ताकि बैकलॉग रिक्तियां इकट्ठी होने का अवसर न रहे|

इसके अलावा, विभिन्न् रियायतें जैसे ऊपरी आयु सीमा में ढ़ील, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए ढ़ील दी गई निर्धारित आयु सीमा के अंदर अवसर परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट, उपयुक्तता के मानदंडों में छूट, आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अपनी स्वयं की मैरिट पर चुने गए अभ्यर्थियों का असमायोजन, आरक्षण आगे ले जाने का प्रावधान इत्यादि सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने के लिए उपलब्ध होने हेतु जारी है| यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद केवल इन श्रेणियों के व्यक्तियों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएं, सीधी भर्ती के मामले में पदों के आरक्षण पर प्रतिबंध है|

सिफारिश सं. 24 (i) से (ii)

24(i): सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों में अधिकारियों, लिपिकों और उप–कर्मचारियों के तीनों संवर्गों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम है। यह स्थिति मुख्यतः इसलिए उत्पन्न हुई है कि इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो सभी पदों के बारे में नियंत्रण अधिकारी और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी हैं, अनु.ज.जा. के बारे में भारत सरकार की आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने में अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाने में विफल रहे हैं। इस गम्भीर स्थिति में, इन बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के खिलाफ आरक्षण की नीति का उपयुक्त कार्यान्वयन न किए जाने के कारण कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) के बैंकिंग प्रभाग को चूककर्ता बैंकों को अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों के बैकलाग/कमी को समयबद्ध तरीके से भरे जाने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिएं **{पैराः 6.21.3.5}**।

24(ii): यदि बैंकों द्वारा समाचारपत्रों में दिए गए विज्ञापनों के प्रति, जिनमें बैकलाग रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हों, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की अनुक्रिया अच्छी न हो, तो बैंकों को विभिन्न पदों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए भर्ती करने वाले दलों (टीमों) को देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की बहुलता वाले क्षेत्रों में भेजना चाहिए **{पैराः 6.21.3.5}**।

की गई कार्रवाई

24 (i) और (ii): वित्त सेवा विभाग ने समयबद्ध रुप में भर्ती के लिए विशेष ड्राइव द्वारा अनुसूचित जनजाति की सभी बैकलॉग/शार्टफॉल रिक्तियों को भरने के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं|

तथापि, एसडीआर, पीएसबी में एक सतत् प्रक्रिया है तथा कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे देना बैंक ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है|

सिफारिश सं. 25 (i) से (vi)

25(i): मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तब तक वार्षिक अनुदान देना पूरी तरह बन्द कर देने पर अथवा अनुदान की राशि में समुचित कटौती करने पर, जो वह उचित समझे, विचार करना चाहिए, जब तक वे लेक्चररों की नियुक्तियों में अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की आरक्षण की नीति को कार्यान्वित करने के लिए सहमत नहीं हो जाता और एक समुचित अवधि में अनुसूचित जनजातियों के लेक्चररों की नियुक्ति करके इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई शुरू नहीं करता **{पैराः 6.21.4.5(i)}**।

25(ii): मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ये अनुदेश जारी करने चाहिएं कि वे रीडरों और प्रोफेसरों के उन पदों पर नियुक्तियों में, जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं, आरक्षण का अनुसरण भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करते हुए करें **{पैराः 6.21.4.5(ii)}**।

25(iii): अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के ग्रेड में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस मामले को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के साथ उठाना चाहिए और उन्हें सलाह देनी चाहिए कि वे लेक्चरर के ग्रेड में बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और इन बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की विहित अवधि में भरने का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 6.21.4.5(iii)}**।

25(iv): यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को दो वर्ष की उस अवधि के अन्दर भरने में असफल रहें, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदान की किस्त रिलीज़ करते समय यह शर्त लगा देनी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी **{पैराः 6.21.4.5(iii)}**।

25(v): कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बाकी सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर–अध्यापन श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नगण्य है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चूककर्ता विश्वविद्यालयों को सलाह देनी चाहिए कि वे अनु.ज.जा. के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियां अभिज्ञात करें और इन बैकलाग रिक्तियों को एक वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि में भरने का एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें **{पैराः 6.21.4.8}**।

25(vi): यदि चूककर्ता विश्वविद्यालय एक वर्ष की उस अवधि में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने में असफल रहें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनुदानों की किस्तें रिलीज़ करते समय यह शर्त लगानी चाहिए कि जब तक वे अनुसूचित जनजाति की रिक्तियों की कमी को पूरा नहीं करेंगे, तब तक अनुदान की अगली किस्त रिलीज़ नहीं की जाएगी **{पैराः 6.21.4.8}**।

की गई कार्रवाई

25(i): अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए बनी भारत सरकार की आरक्षण नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए लागू नहीं है| भारत सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत स्थापित एवं प्रशासित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी है| उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि मामला अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्याय निणर्याधीन है|

25(ii): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र सहित दिनांक 25.08.2006 को भारत सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण नीति को सख्ती से कार्यान्वित करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को दिशानिर्देश जारी किए हैं| दिशानिर्देशों के पैरा सं. 6(क) के अनुसार, सभी अध्यापक पदों जैसे प्राध्यापक, रीडर, प्रोफेसर या किसी अन्य नाम से जाने जाने वाले पद हों और सभी संस्थाओं के गैर-अध्यापक कर्मचारी के सभी पदों में आरक्षण लागू है|

25(iii) से (iv): मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशानुसार, यूजीसी ने केन्द्र सरकार द्वारा निधि प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों को अध्यापक तथा गैर-अध्यापक पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए बैकलॉग रिक्तियां भरने का आदेश जारी किया है अन्यथा, "यूजीसी, अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की रिक्तियां भरने हेतु प्रामाणन प्राप्त किए बिना, इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए योजना निधियों के तहत वित्तीय सहायता निर्मुक्त नहीं करेगा|"

25(v) से (vi): (i) सरकार/यूजीसी की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए और (ii) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत केन्द्रीय विश्विवद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलोज तथा अन्य सहायता अनुदान प्राप्त संस्थाएं और अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर, सार्वजनिक निधियों से सहायता अनुदान प्राप्त केन्द्रों में अध्यापक तथा गैर-अध्यापक पदों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए यूजीसी समय-समय पर विभिन्न आदेश जारी करता है|

गैर-अध्यापक कर्मचारी के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरटी) के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बैकलॉग रिक्तियों की स्थिति|

वर्गीकरण	**सीधी भर्ती**			**पदोन्नति**		
	01.11.2008 तक बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	विज्ञापित बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	जालाई, 2011 तक भरी गई बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	01.11.2008 तक बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	विज्ञापित बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	जालाई, 2011 तक भरी गई बैकलॉग रिक्तियों की संख्या
ग्रुप-क	208	178	32	1	0	2
ग्रुप-ख	11	10	5	14	7	7
ग्रुप-ग	96	63	38	157	86	16
ग्रुप-घ	49	19	11	19	2	2
कुल	364	270	86	191	95	27

यूजीसी ने दिनांक 6 नवंबर, 2008 को हुई बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नीति स्वीकार करने तथा 6 महीने के भीतर अनुसूचित जनजातियों के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भरने का भी निर्णय लिया है| तदनुसार, यूजीसी ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं के उप-कुलपतियों से अनुरोध किया गया है कि बैकलॉग रिक्तियों के लिए तत्काल विज्ञापन जारी करें और विज्ञापन की प्रतिलिपि सहित अनुपालन रिपोर्ट आयोग को एक महीने के भीतर भेजें| संबंधित विश्वविद्यालयों से आरक्षण नीति की पूर्ण कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट प्राप्त होने तक अनुदान का एक हिस्सा रोक लिया जायेगा|

सिफारिश सं. 26

जनजातीय कार्य मंत्रालय को आदिम जनजाति समूहों वाले 15 अन्य राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश से भिन्न) को सलाह देनी चाहिए कि वे समूह 'ग' और समूह 'घ' के पदों और अध्यापन श्रेणी के विभिन्न ग्रेडों के संविदा पदों में आदिम जनजाति समूहों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए इसी प्रकार के उपबन्ध करें और उसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश की स्कीम के अनुरूप, भर्ती की प्रक्रिया से गुजरना न पड़े, बशर्ते कि उनके पास इन पदों के लिए न्यूनतम अर्हता हो **{पैराः 6.22}**।

की गई कार्रवाई

संबंधित राज्य सरकारों से आयोग की सिफारिश पर विचार करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

अध्याय – 7

अध्याय–7: अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी करना और उनका सत्यापन

सिफारिश सं. 1

1(क): समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विहित किए गए फार्मेट के पीछे की ओर ऐसे सभी आदेशों/ अधिनियमों की सूची दिए जाने के लिए, जिनमें जातियों/ जनजातियों को अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है, मौजूदा फार्मेट को संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र में सम्बन्धित आदेश/ अधिनियम का नाम लिख सकें। फार्मेट की एक प्रति अनुलग्नक 7.I में दी गई है, जिसमें अन्य परिवर्तन भी शामिल हैं **{पैराः 7.1.2}**।

1(ख): कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को एक दूसरा जाति/जनजाति प्रमाणपत्र फार्मेट फिर से शुरू किए जाने की जरूरत है, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1982 में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए विहित किया गया था, जो मूल राज्य से किसी अन्य राज्य में प्रव्रजन कर गए थे ताकि वे अपने पिता/ माता को जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर प्रव्रजन के राज्य से प्रमाणपत्र हासिल कर सकें। इस फार्मेट की एक प्रति, आवश्यक संशोधनों सहित, अनुलग्नक 7.II में दी गई है**{पैराः7.1.3}**।

की गई कार्रवाई

1(क) तथा (ख): कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए जाति/समुदाय के प्रमाण पत्रों को जारी करने के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी करने के लिए प्रस्ताव की जांच कर रहा है|

सिफारिश सं. 2

सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों को सलाह दी जानी चाहिए कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति के समय उन अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की समुदाय स्थिति का सत्यापन, जिन्हें पदोन्नत किए जाने का प्रस्ताव हो, उन्हें उन अभिलेखों से स्वयं करना चाहिए, जो उनके पास उपलब्ध हों और यदि उनके पास अद्यतन अभिलेख उपलब्ध न हों तो उन्हें यह पता लगाने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए कि क्या उक्त अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार का समुदाय पदोन्नति के समय अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल बना हुआ है अथवा नहीं **{पैराः 7.2.2(क)}**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 09.09.2005 कार्यालय ज्ञापन संख्या 36011/3/2005-स्थापना(आरईएस) के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश दोहराए हैं कि नियुक्ति प्राधिकारियों को प्रारंभिक नियुक्ति पर तथा कर्मचारी की जीवनवृति के

प्रत्येक महत्वपूर्ण उत्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की जाति की स्थिति का सत्यापन करने की आवश्यकता है|

सिफारिश सं. 3

जनजातीय कार्य मंत्रालय को, जो किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अनुसूचित अथवा गैर–अनुसूचित करने वाला नोडल मंत्रालय है, उस अधिसूचना की एक प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जारी की जाती है, सभी मंत्रालयों को उनकी सूचना, अभिलेख और उपयुक्त समय पर उपयोग के लिए हमेशा उपलब्ध कराई जानी चाहिए **{पैराः 7.2.2(ख)}**।

की गई कार्रवाई

सिफारिश को उपयुक्त कार्रवाई के लिए नोट कर लिया गया है| अनुसूचित जनजाति के रुप में किसी समुदाय को अनुसूचित या विअनुसूचित करने के संबंध में अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाती है| यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएं|

सिफारिश सं. 4

राज्य सरकारों को सभी जिला प्राधिकारियों को (प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम) यह अनुदेश जारी करने चाहिएं कि उनके कार्यालयों में आवेदनों के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन तक की अधिकतम अवधि में समुदाय प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने चाहिएं **{पैराः 7.2.3}**।

सिफारिश सं. 5

सरकारी अनुदेशों और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, बहुत से राज्यों ने अनु.जा. /अनु.ज.जा. के प्रमाणपत्र धारकों की समुदाय स्थिति के लिए जिला और राज्य स्तरों पर संवीक्षा समितियां गठित की हैं। आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ में ऐसी समितियां गठित कर दी गई हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बाकी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के साथ इस मामले को उठाए और सलाह दे कि अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले कर्मचारियों की समुदाय स्थिति के सत्यापन के प्रयोजन से इसी प्रकार के तंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है **{पैराः 7.3.2}**।

की गई कार्रवाई

(4) तथा (5) : सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्र जारी करने और सत्यापन करने का कार्य संबंधित राज्य सरकारों का है| आयोग की सिफारिशें सभी राज्य सरकारों की जानकारी में ला दी गई हैं|

उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसरण में, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से अनुरोध किया है कि शिक्षा संस्थाओं, सार्वजनिक निकायों, पीएसयू, स्थानीय निकायों तथा अन्य स्वायत्त संस्थाओं, जहां

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लागू है, सहित सभी जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के मामले राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त संवीक्षा समिति को सौंपें| यह भी अनुरोध किया गया है कि संवीक्षा समिति को प्रशासनिक आदेश द्वारा अधिकार दिया जाए ताकि उच्च न्यायालय में उनकी रिपोर्ट का विरोध न हो तथा न्यायालयों के समक्ष लंबित नकली जाति प्रमाणपत्र मामले पर निर्णय राज्यों/सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के विरुद्ध न हो|

सिफारिश सं. 6

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दे कि वे छः महीने की अवधि के लिए वैध अस्थायी जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने की पद्धति को तत्काल बंद कर दें और उन्हें समुदाय प्रमाणपत्र आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन तक की अवधि के भीतर आवेदनकर्ता की समुदाय स्थिति की पूरी जांच करने के बाद ही जारी करने चाहिएं **{पैराः 7.6.1}**।

की गई कार्रवाई

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अस्थायी जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने पर कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं| तथापि, वह डीओपीटी जाति/समुदाय के प्रमाण पत्रों को जारी करने के बारे में नए दिशानिर्देश जारी करने का प्रस्ताव करता है|

सिफारिश सं. 7

प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को यह सलाह दिए जाने की आवश्यकता है कि उन व्यक्तियों के पुत्रों और पुत्रियों को, जिनके पास किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जारी किए गए जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र पहले से हों, कोई नई जांच किए बिना समुदाय प्रमाणपत्र, अनुलग्नक 7.II में दिए गए अलग फार्मेट में, जारी किए जाएं **{पैराः 7.6.2}**।

की गई कार्रवाई

डीओपीटी का विचार है कि कुछ बेईमान लोगों द्वारा ऐसे प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है| अतः ऐसे निर्देश जारी करना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है| (16.02.2012)

सिफारिश सं. 8

जनजातीय कार्य मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों को निदेश देना चाहिए कि उनके द्वारा जिला और तालुका स्तर के प्राधिकारियों को जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बारे में जो अनुदेश जारी किए गए हैं, वे उनकी समीक्षा करें और उन्हें यह सलाह दें कि वे समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उस मानक फार्मेट का उपयोग करें, जो भारत सरकार द्वारा विहित किया गया है **{पैराः 7.6.3(i)}**।

की गई कार्रवाई

भारत सरकार ने इसे प्रभावी बनाने के लिए पहले ही निर्देश जारी किए हैं कि जाति/समुदाय के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किए जाते हैं तथा इसे स्वीकार किया जाता है यदि निम्नलिखित प्राधिकरणों द्वारा किसी एक द्वारा जारी किया जाता है:-

1. जिला मैजिस्ट्रेट/अपर जिला समाहर्ता/समाहर्ता/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/उपसमाहर्ता/प्रथम श्रेणी वृत्तिभोगी मैजिस्ट्रेट/उपमंडल मैजिस्ट्रेट/तालुका मैजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मैजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त|
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मैंजिस्टेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट|
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे का न हो तथा
4. क्षेत्र जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्य तौर पर रहते हैं, का उपमंडल अधिकारी|

सरकार ने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक प्रपत्र भी निर्धारित किया है|

सिफारिश सं. 9

जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोधों को उस रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए, जो इस प्रयोजन से तालुका/ जिला स्तर पर रखा गया हो और प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में जाति/ जनजाति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के अनुरोधों को अभिलेखबद्ध करने वाले रजिस्टर में दर्ज क्रम संख्या अथवा रजिस्ट्रेशन संख्या, प्रमाणपत्र पुस्तक संख्या और प्रमाणपत्र संख्या प्रमाणपत्र के मुखपृष्ठ पर होनी चाहिए और उस पर निर्गम प्राधिकारी की मुद्रा और मोहर स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए **{पैराः 7.6.3(ii)}**।

की गई कार्रवाई

जाति प्रमाणपत्र जारी करने का मामला राज्य सरकारों से संबंधित है| सिफारिशों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है|

सिफारिश सं. 10

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सभी राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे जिला/ तालुका प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दें कि प्रमाणपत्र द्विभाषिक रूप से, अर्थात क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी अथवा हिन्दी, दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं, ताकि प्रमाणपत्रों के धारकों को परेशानी से बचाया जाए और प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोका जाए **{पैराः 7.6.4)}**।

की गई कार्रवाई

संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रमाणपत्र की भाषा निश्चित की जाती है| तथापि, यह हिदायतें भी दी गई हैं कि यदि जाति प्रमाणपत्र अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा अन्य किसी भाषा में जारी किया जाता है तो उसे अंग्रेजी या हिन्दी में भी साथ-साथ जारी किया जाए| इससे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की भाषा न जानने वाले अधिकारियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के दावे को समझने में सुविधा होगी|

सिफारिश सं. 11

संविधान के अनुच्छेद 342(I) के अन्तर्गत जारी किए गए मूल राष्ट्रपति आदेशों में किए जाने वाले संशोधनों में हमेशा यह स्पष्ट करने वाला खंड हमेशा होना चाहिए कि अनुसूची में पहली बार शामिल किए गए समुदायों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में साधारण निवास स्थान अथवा उन मामलों में, जहां क्षेत्र प्रतिबन्धों को हटा दिया गया है, साधारण निवास स्थान का निर्धारण मूल आदेश/ अधिनियम में संशोधन की तारीख के संदर्भ में किया जाएगा **{पैराः 7.6.5}**।

की गई कार्रवाई

विधायी कार्य विभाग से उपयुक्त कार्रवाई के लिए सिफारिशें नोट कर ली गई हैं, क्योंकि इसका प्ररूप विभाग द्वारा तैयार किया गया है|

सिफारिश सं.12

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सभी मूल आदेशों को, उनमें किए गए संशोधनों के साथ, अपनी वेबसाइट में शामिल करना चाहिए और अपनी वेबसाइट पर अनुसूचित जनजातियों की अद्यतन राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र–वार सूची भी उपलब्ध करानी चाहिए **{पैराः 7.6.6}**।

की गई कार्रवाई

ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि अनुसूचित जनजातीय सूची में शामिल करने या बाहर निकालने संबंधी मूल आदेश जनजातीय कार्य मंत्रालय की वेबसाइट (www.tribal.gov.in) पर उपलब्ध हों|

सिफारिश सं.13

झूठे प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने की बढ़ती हुई पद्धति को कारगर ढंग से समाप्त करने के लिए नियुक्ति के बाद सत्यापन की मौजूदा प्रक्रिया के स्थान पर, समुदाय प्रमाणपत्र की वास्तविकता के नियुक्ति–पूर्व सत्यापन के लिए विश्वसनीय तंत्र विकसित करना होगा। उस अवधि का उपयोग, जिसमें सिफारिश किए गए उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्व–वृत्त का सत्यापन पुलिस प्राधिकारियों से कराया जाता है, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने का दावा करने वाले उम्मीदवारों को जारी किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिला अधिकारियों से कराने के लिए भी किया जाना चाहिए। नियुक्ति करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारियों को, जो चरित्र और

पूर्व–वृत्त के सत्यापन के लिए सम्बन्धित राज्य के पुलिस प्राधिकारियों को पत्र लिखते हैं, यह सलाह भी दी जानी चाहिए कि वे उसी के साथ–साथ जिला प्राधिकारियों, अर्थात जिला कलेक्टरों, डिप्टी कमिश्नरों, जिला मेजिस्ट्रेटों, आदि को प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने अथवा यदि किसी कारण अभिलेख उपलब्ध न हों तो यह प्रमाणित करने के लिए लिखें कि उम्मीदवार वास्तव में अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है **{पैराः 7.6.7(i)}**।

सिफारिश सं. 14

नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को सामान्यतः नियुक्ति की पेशकश उम्मीदवारों द्वारा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित होने के अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता के बारे में सन्तोषजनक सत्यापन रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने के बाद देनी चाहिए। लेकिन, यदि जिला प्राधिकारियों से उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदनपत्रों के साथ प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता (अथवा अन्यथा) के बारे में सत्यापन रिपोर्ट छः महीने की अधिकतम अवधि में प्राप्त न हो, तो अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को अनन्तिम आधार पर नियुक्ति की पेशकश इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि उसकी परिवीक्षा तब तक स्वीकृत नहीं होगी, जब तक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाएगी {इस सम्बन्ध में क्रम संख्या 16 की सिफारिश की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है} **{पैराः 7.6.7(ii)}**।

सिफारिश सं. 15

उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों से करा लेने की प्रस्तावित प्रणाली (क्रम संख्या 13 में उल्लिखित) को अपनाए जाने तक, उम्मीदवार को अनन्तिम आधार पर नियुक्त किए जाने के बाद समुदाय प्रमाणपत्रों का सत्यापन निर्गम प्राधिकारियों के माध्यम से कराने की मौजूदा प्रणाली को उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद छः महीने तक की अवधि में अवश्य पूरा कर लिया जाना चाहिए और सत्यापन का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा न होने की स्थिति में, नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को इस विफलता की जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी पर डालनी चाहिए और इस विफलता के लिए जिम्मेदार निर्धारित किए गए अधिकारी/ पदाधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए **{पैराः 7.6.7(iii)}**।

सिफारिश सं. 16

यदि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसी उम्मीदवार को, उसके समुदाय प्रमाणपत्र का सत्यापन होने तक, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किसी रिक्ति में अनन्तिम आधार पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी परिवीक्षा को तब तक समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए समुदाय प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों से इस बारे में सन्तोषजनक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। यदि उसके/ उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र/ किए गए प्रमाणपत्र जाली/ नकली अथवा झूठा (ठे) पाया जाए/ पाए जाएं, तो इससे सरकार को उसे/ उन्हें लिखित रूप से एक महीने का नोटिस दे कर केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत ऐसे उम्मीदवार (रों) की सेवाओं को सीधे समाप्त करने में सहायता मिलेगी **{पैराः 7.6.7(iv)}**।

सिफारिश सं. 17

यदि नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा सम्बन्धित जिला प्राधिकारियों/ संवीक्षा समितियों के माध्यम से कराए गए नियुक्ति–पश्चात सत्यापन से यह प्रकट हो कि उम्मीदवार ने नकली/ जाली अथवा झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है और उसका सम्बन्ध मान्यताप्राप्त अनुसूचित जनजाति से नहीं है, तो उसकी सेवाओं को (यदि उसे नियमित/ पक्के आधार पर नियुक्त किया गया हो), माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कुमारी माधुरी पाटिल बनाम महाराष्ट्र सरकार, 1994 की सिविल अपील संख्या 5834 {पैरा 7.3. 1(xiii) में उल्लिखित} में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार, उसे कोई नोटिस दिए बिना सीधे समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को इसके साथ–साथ जाली/ झूठे सामुदायिक

प्रमाणपत्रों के धारकों के खिलाफ आई.पी.सी. के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के प्रयोजन से इस मामले को सी.बी.आई. के साथ उठाना चाहिए {पैराः 7.6.7(v)}।

की गई कार्रवाई 13 से 17

सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की प्रारंभिक नियुक्ति के समय जाति/समुदाय के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में निर्देशों को संशोधित करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है|

सिफारिश सं. 18

अनुसूचित जनजाति के झूठे प्रमाणपत्र के धारकों को किसी भी हालत में सामान्य उम्मीदवार के रूप में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ऐसे झूठे/जाली प्रमाणपत्रों के धारकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और इस प्रकार रिक्त हुए पदों/ स्थानों को अनुसूचित जनजाति में से भरा जाना चाहिए, जिनके लिए वे मूल रूप से आरक्षित थे {पैराः 7.6.8}।

की गई कार्रवाई

डीओपीटी के दिनांक 24.04.1990 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/6/88 स्थापना (एससीटी) में व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकरणों को अनुसूचित जनजातियों से संबंधित होने का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति के प्रस्ताव में निम्नलिखित एक धारा को शामिल करना चाहिए:-

"नियुक्ति अस्थायी है तथा जाति/जनजाति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापित किए जाने के अधीन है तथा यदि सत्यापन से यह प्रकट होता है कि अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा झूठा है तो जैसा झूठे प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दिया गया है कि बिना कोई कारण बताए तथा ऐसी आगे की कार्रवाई हेतु बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी|"

डीओपीटी के दिनांक 19.05.93 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/7/91-स्थापना (ए) में दिए गए निर्देशों तथा जिन्हें दिनांक 29.03.2007 तथा दिनांक 19.05.93 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42011/22/2006-स्थापना (आरइएस) के माध्यम से भी दोहराया गया है, प्रावधान करते हैं कि जब भी यह पाया गया कि एक सरकारी सेवक जो सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए भर्ती नियमों इत्यादि के संबंध में अहर्त या पात्र नहीं था या नियुक्ति प्राप्त करने हेतु उसने झूठी सूचना या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था तो उसे सेवा में नहीं रखा जाना चाहिए| यदि वह परिवीक्षक है या अस्थायी सरकारी सेवा में है तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाए या उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए| यदि वह एक स्थायी सेवक बन गया है तो सीसीएस(सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 14 में यथा निर्धारित जांच की जाए और यदि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सरकारी सेवक को सेवा से हटा देना या बरखास्त कर देना चाहिए| अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित पदों को अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों में से ही भारा जाना चाहिए|

सिफारिश सं. 19

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्गों को समुदाय प्रमाणपत्र जारी करने के विनियमन के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए विधेयक को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह करने के बाद उसे जल्दी ही संसद में प्रस्तुत करना चाहिए और राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को सलाह देनी चाहिए कि वे झूठे समुदाय प्रमाणपत्र जारी किए जाने के इस बढ़ते हुए संकट पर काबू पाने के लिए इस प्रकार के कानून बनाने का कार्य शुरू करें {**पैराः 7.6.9**}।

की गई कार्रवाई

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एम/एसजेएंडई) ने सूचित किया है कि जनजातीय कल्याण निदेशक, आंध्रप्रदेश सरकार बनाम लावेतीगिरि तथा अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.04.95 के निर्णय के अनुसरण में पूर्व के कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों के सामुदायिक प्रमाण पत्रों के मुद्दों को नियमित करने के लिए विधेयक का मसौदा तैयार किया था तथा इसे अपने दिनांक 13.07.1995 के पत्र के साथ सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचार आमंत्रित करने हेतु भेजा था| प्रारुप विधेयक पर 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त टिप्पणियां उस मंत्रालय द्वारा तत्पश्चात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) को समय-समय स्मरण कराया गया है उनकी टिप्पणियों की शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए उस मंत्रालय द्वारा मामले को जनजातीय कार्य मंत्रालय अध्यक्ष एनसीएससी तथा अध्यक्ष एनसीएसटी के साथ उठाया गया है।

सिफारिश सं. 20

इन अनुदेशों को दोहराए जाने की आवश्यकता है कि किसी व्यक्ति की जनजाति/ समुदाय स्थिति का निर्धारण उसके पिता की जनजाति/ समुदाय स्थिति के आधार पर किया जाता है, माता की जनजाति/ समुदाय के आधार पर नहीं और इसीलिए, किसी महिला आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का सत्यापन (i) उसकी माता की नहीं, बल्कि उसके पिता की जनजाति/समुदाय, और (ii) उसके पति के परिवार के निवास–स्थान के सन्दर्भ में नहीं बल्कि उसके पिता अथवा दादा के निवास–स्थान के सन्दर्भ में किया जाना जरूरी है। मातृसत्तात्मक प्रणाली का प्रचलन होने की स्थिति में, किसी व्यक्ति की जनजाति स्थिति का निर्धारण उसके पिता की जनजाति स्थिति के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी माता की जनजाति स्थिति के आधार पर किया जाएगा और इस मामले में महिला आवेदक को जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों का सत्यापन उसके पति की नहीं बल्कि उसकी माता की जनजाति स्थिति के सन्दर्भ में और उसके सामान्य निवास–स्थान का निर्धारण उसके पति के परिवार के निवास–स्थान के सन्दर्भ में नहीं, बल्कि उसकी माता अथवा नानी के निवास–स्थान के सन्दर्भ में किया जाना जरूरी है। इन अनुदेशों का अर्थ यह भी है कि किसी गैर–अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह करने वाली अनुसूचित जनजाति की महिला अनुसूचित जनजाति की बनी रहेगी। इसी प्रकार, अन्तर्जातीय विवाह के मामले में, उस परिवार के बच्चों को उनके पिता की समुदाय/जनजाति स्थिति प्राप्त होगी {**पैराः 7.6.10**}।

की गई कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने विवाह पर अनुसूचित जनजातियों की स्थिति के प्रश्न पर अपने दिनांक 02.05.1975 के परिपत्र सं. 35/1/72-आर.यू (एससीटी.5) के माध्यम से पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है, जो निम्नानुसार है:-

दिशानिर्देशित करने वाला सिद्धांत यह है कि कोई व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है को केवल इस कारण से कि उसने अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है, उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा| इसी प्रकार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य यदि उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं, के पश्चात भी वह उस अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसा भी मामला हो, का सदस्य रहेगा|

अंजान कुमार बनाम भारत संघ जो (2006) 3 एससीसी-257 में सूचित किया गया था के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के हाल ही के निर्णय में जिसमें एक दम्पत्ति की संतान शामिल है जहां मां अनुसूचित जनजाति से संबंधित है तथा पिता गैर-जनजातीय था, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय पूर्व के निर्णयों पर चर्चा के उपरांत कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए उठाए गए प्रश्न की कोई अधिक रेस इंटिग्रा नहीं है| दावे को कायम रखने के लिए व्यक्ति को दर्शाना होगा कि वह सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और संचयी निर्योग्यताओं से पीड़ित है| संबंधित प्राधिकारी जिनके समक्ष ऐसे दावे किए गए हैं, वह अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कर्त्तव्यबद्ध है कि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व आवेदक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक रुप से निर्योग्यताओं से पीड़ित है| अक्तूबर, 2008 में इस मंत्रालय द्वारा इन निर्देशों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोटिस में लाया गया है|

अध्याय – 8

अध्याय–8: अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध और अत्याचार

सिफारिश सं. 1

अत्याचार के मामलों/ शिकायतों के अन्वेषण में तेजी लाने के लिए पुलिस के उप–अधीक्षकों के अलावा, पुलिस निरीक्षकों को भी शक्ति प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 7(1) और नियम 5(3) में उपयुक्त संशोधन किए जाएं {**पैराः 8.11.2**}।

की गई कार्रवाई

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है कि गृह तथा जनजातीय कार्य मंत्रालयों के साथ परामर्श से मुद्दे की जांच की गई थी और इन सब पर विचार यह है कि ऐसे मामलों को सुग्राहीता तथा अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए जांच के स्तर को नीचे ले जाना ठीक नहीं होगा|

सिफारिश सं. 2

पांचवीं अनुसूची के सभी राज्यों के सभी जिलों में अतिरिक्त सत्र न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामोद्दिष्ट किए जाने के बजाय, नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनन्य रूप से विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिएं {**पैराः 8.12.3**}।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों से सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 3

5वीं अनुसूची के उन नौ राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया जाए कि वे अनु.जा. और अनु.ज.जा. (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 15 के उपबन्धों के अनुसार अत्याचार के मामलों से कारगर ढंग से निपटने के लिए आकस्मिकता योजनाएं तैयार करने और उन्हें अधिसूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें, जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है {**पैराः 8.13.3**}।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों से सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 4

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया जाए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रबंध करें कि अन्वेषण की प्रक्रिया 30 दिनों की विहित अवधि में पूरी की जाए और घटना के तुरन्त बाद उत्पीड़ितों/ उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए {**पैराः 8.14.2**}।

की गई कार्रवाई

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिनांक 14.03.2006 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सुझाव दिया था कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों (अत्याचारों की रोकथाम) नियमावली, 1995 के नियम 7(2) के अनुरुप अपराधों की जांच 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जानी चाहिए और यह कि राहत और पुनर्वास अविलंब पीड़ित को प्रदान किए जाने चाहिएं|

सिफारिश सं. 5

यदि अनुसूचित जनजाति का उत्पीड़ित लोक अभियोजक के कार्य–निष्पादन से सन्तुष्ट न हो तो उसे लोक अभियोजक को बदलने और गैर–सरकारी वकील/ अधिवक्ता लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए और गैर–सरकारी वकील लगाने का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए **{पैराः 8.14.3(i)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकार से सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 6

कानूनी सहायता, जिसका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में उपबन्ध है, अनुसूचित जनजाति उत्पीड़ित को यथासम्भव शीघ्र दी जानी चाहिए। कानूनी सहायता देने के बारे में जागरूकता कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों में शुरू किया जाना चाहिए, ताकि उत्पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके **{पैराः 8. 14.3(ii)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकार से सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 7

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के तहत वित्तीय राहत की राशि उत्पीड़ित को घटना के तुरन्त बाद दी जानी अपेक्षित है। किन्तु, यह देखा गया है कि कुछ जिला प्राधिकारी, विशेष रूप से हत्या, गहरी चोट, बलात्कार और आगजनी के मामलों में घटना के तुरन्त बाद राहत मुहैया नहीं कर रहे हैं। सभी जिला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के आवश्यक अनुदेश जारी किए जाने चाहिएं कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार विशेष रूप से जघन्य अपराधों और अत्याचार के अन्य अपराधों में वित्तीय राहत तत्काल दी जाए **{पैराः 8.14.3(iii)}**।

की गई कार्रवाई

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 01.04.2010 को जारी अपनी परामर्शी में गृह मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ (1) अत्याचारों के पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने, (2) राज्यों जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्याचारों के पीड़ितों को आर्थिक राहत पुनर्वास सुविधाओं का कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया है से बिना और विलंब के ऐसा करने का अनुरोध किया गया है|

सिफारिश सं. 8

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12(4) के अन्तर्गत अत्याचार के उत्पीड़ितों को दी जाने वाली वित्तीय राहत की राशि की समीक्षा की जानी चाहिए और इस कठोर तथ्य को देखते हुए कि 1995 से शुरू हुए पिछले एक दशक के दौरान जीवनयापन व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए **{पैराः 8.14.3(iv)}**।

की गई कार्रवाई

केन्द्रीय सरकार ने दिनांक 23.12.2011 की अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) नियम, 1995 का संशोधन किया है, जिससे अत्याचारों के पीड़ितों के लिए राहत के कम-से-कम मानदंड में सामान्यतया 150% की वृद्धि को प्रभावी बनाया गया है|

******